खण्ड-119, अंक-4
गुरूवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(26 फरवरी, 1953 ई0)

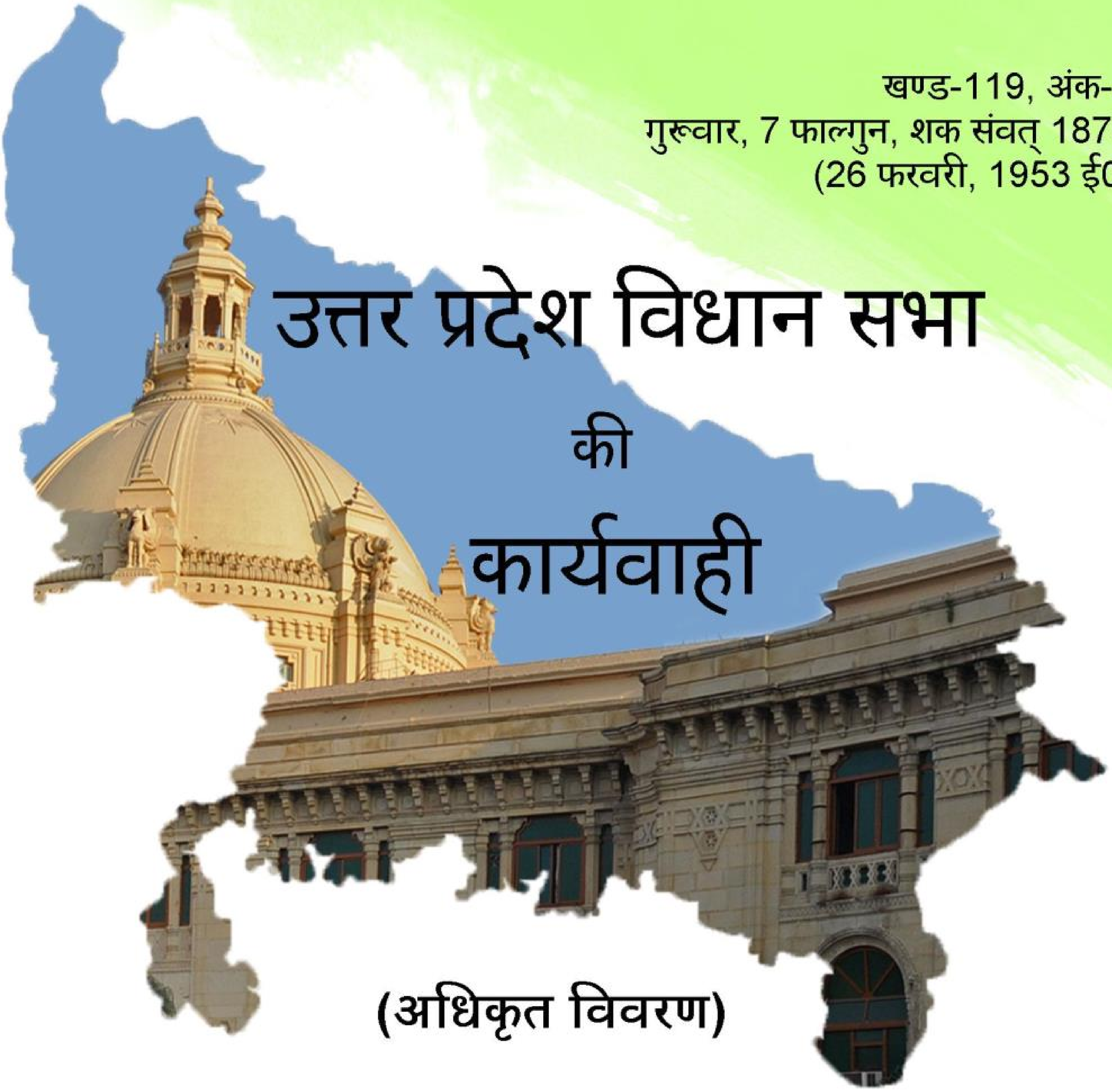

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 119 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ फ़रवरी, १९५३ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करनसिंह श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री

फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मानधाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसैन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदास, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हक़ीम श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति

१—श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने पद को कब छोड़ा ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—१० जनवरी, १९५३ ।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय तक दूसरी नियुक्ति इस पद पर क्यों नहीं की गई ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है । नियमानुसार कमीशन के सीनियर मेम्बर इस समय चेयरमैन के पद का आवश्यक कार्य कर रहे हैं ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दो मेम्बरों से सही ढंग से काम चल रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां ।

श्री भगवान सहाय—तो फिर क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरे मेम्बर को पर्मानेन्टली अलग कर देने के मसले पर विचार करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पहले भी कई मौक़े ऐसे हुए जब कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन और कामों में काफ़ी वक्त के लिये गये, मगर उनकी आरजी गैर हाजरी से कोई नुक़सान नहीं पहुंचा, लेकिन हमेशा के लिये अलहदा कर देना और किसी बात को थोड़े दिन के लिये अमल में न लाना दूसरी बात होती है ।

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा के खनिज पदार्थ

*१--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला अल्मोड़ा के बहुत से क्षेत्रों में लोहा, अबरख, शिलाजीत, तांबा, कोयला आदि चीजें निकलती हैं?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--ज्योलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि लोहा, अबरख और तांबा थोड़ी मात्रा में और कहीं कहीं मौजूद हैं। कोयले के विषय में कोई सूचना नहीं है। शिलाजीत भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है।

*२--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--यदि हां, तो क्या सरकार इन चीजों से सम्बन्धित उद्योग-धन्धों की वृद्धि के लिए कोई निश्चित कदम रखने के लिए तैयार है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह खनिज पदार्थ इतनी थोड़ी मात्रा में और दूर दूर तथा दुर्गम स्थानों में हैं कि उनका विकास अभी तक आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं समझा गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या सरकार बतलायेगी कि ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंन्डिया की रिपोर्ट कब की है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह असल में यह हुआ था कि यहां कुछ नमूने आये थे, उस पर ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया को लिखा गया। उन्होंने सन् ५० से पहले उसका सर्वे किया। फिर सन् ५०-५१ के लिये लिखा गया कि उसका सर्वे किया जाय, लेकिन वह हो नहीं सका। ५२-५३ की स्कीम में फिर सर्वे के लिये लिखा गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या सरकार को विदित है कि ताँबे और अबरख की खानों के समीप मोटर सड़क बन चुकी है और यह स्थान दुर्गम कदापि नहीं रहा?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(१) जी हां।

जहां तक अबरख का ताल्लुक है वह कुछ हरे रंग का होता है इसलिये बहुत कारामद नहीं है। इसका नमूना कलकत्ता भेजा गया था, वहाँ इसका चार-पांच सौ रुपया प्रति मन तक लगा था। विचार किया जा रहा है कि इसका किस प्रकार विकास किया जाय।

राज्य में अंग्रेज कर्मचारियों की संख्या

*३--श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सारे प्रदेश में कुल कितने अंग्रेज अभी भी सरकारी नौकरियों में अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अंग्रेज आफिसरों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी के आगे पृष्ठ--पर)

*४--श्री झारखण्डे राय--क्या सरकार इन विदेशियों को हटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, अथवा करेगी?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने भारतीय शासन के अधीन नौकरी जारी रखी है और इनको केवल अंग्रेज होने के कारण हटाने का कोई विचार नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनको कितनी तनख्वाहें अलग अलग दी जाती हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--हर एक को तनख्वाह अलग-अलग ही दी जाती है, उसके ग्रेड के मुताबिक।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ये अंग्रेज अभी तक जो नौकरियों में बने हुये हैं ये किसी समझौते के अनुसार हुये हैं या किस आधार पर?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--ये पहले से नौकरियों में थे और उन्होंने नौकरी में रहना चाहा और उनको रहने दिया गया।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे ही पदों पर जो हिन्दुस्तानी रखे गये हैं उनकी और इनकी तनख्वाहों में कोई अन्तर है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जहां तक मैं समझता हूं कोई नहीं है।

*५--६--श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--

[देखिये आगे पृष्ठ १९२ पर]

राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमा होल्डर्स

*७--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९४७ के २४ फरवरी के किसी जी० ओ० के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तीन Technica Institutes के Diploma holders को कुछ वर्षों के experience के बाद Class II Engineering Service के लिए योग्य माना था ? यदि हां, तो सरकार ने इसे कब बदला और क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, २४ फरवरी, १९४७ का जी० ओ० अब भी लागू है और उसको बदला नहीं गया है।

*८--श्री केशव पान्डेय--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के तीनों राजकीय टेक्निकल इन्स्टीटयूट गोरखपुर, झांसी और लखनऊ के Diploma holders को class II of engineering services के योग्य माना है ? यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार को इसे मानने में क्या आपत्ति है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बता सकती है कि क्लाज २ सर्विसेज को मानने पर भी लड़कों को सर्विसेज की कोई सहूलियत नहीं दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जो जी० ओ० के अन्दर शरायत हैं अगर वे पूरी होती हैं तो फिर उनको औरों के साथ गौर किया जाता है।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बता सकती है कि गोरखपुर और लखनऊ के टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के विद्यार्थियों की डिप्लोमा होल्डर्स में कोई अन्तर अब नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उसमें जहां तक है जो यहां से पास हैं और किसी रिकग-नाइज्ड फर्म में पांच साल काम किये हुए हैं उसके बाद अगर उनके पास भी क्वालिफिकेशन हैं जो इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स के लिये लागू हैं तो फिर कोई अन्तर नहीं रहता।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन शरायत के अनुसार गोरखपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट में विद्यार्थी भर्ती होते हैं वैसे ही लखनऊ में भी ? फिर पढ़ाई में कोई अन्तर न होने पर भी कोई शर्त कहां से लाई जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जहां तक जूनियर स्केल का ताल्लुक है उसमें तो उसकी शरायत वही है जो बतलायी गयी कि वे पास हों और पांच साल काम किये हों और उसके बाद इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स के एक्जामिनेशन के क्वालिफिकेशन्स उनमें मौजूद हों।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतला सकेंगे कि इन तीन टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमा होल्डर्स कितने आज तक सर्विस में रखे गये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---सरकार ने प्रश्न संख्या ७ के जवाब में बताया है कि २४ फरवरी का जो जी० ओ० है वह अभी तक लागू है, तो उसके बाद जो और जी० ओ० हुए हैं वे पहली आज्ञा के खिलाफ पड़ते हैं तो क्या वे रद्द समझे जायेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जो जी० ओ० के खिलाफ रखे गये हैं वे नियमानुसार गलत हैं ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीनों इन्स्टीट्यूशन्स में टेक्निकल इक्विपमेंट तथा मशीनरी एक ही स्टैन्डर्ड की पढ़ाने के लिये रखी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इन सब जगहों पर करीब करीब सब मशीनरी है । एक आध जगह कुछ कम है और कहीं कुछ ज्यादा । कहीं की मशीनरी नयी है और कहीं की पुरानी ।

*९---श्री नारायण दत्त तिवारी---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राज्य को कपड़े पर लगाये गये सेस से आय

*१०---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने जो मिलों के कपड़ों पर ३ पाई प्रतिगज सेस लगाया है उसके उत्पादन में से हमारी प्रदेशीय सरकार को कितनी धनराशि मिलेगी या मिली है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या माननीय मन्त्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि इस प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास अपनी मांग इस फन्ड से कुछ कोष पाने के लिये रखी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---अभी तो यह फन्ड ही नहीं है जब हो जायगा तब उसके लिये कोई सवाल पैदा होगा।

*११---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार बतायेगी कि उस रकम को करघा उद्योग की उन्नति पर लगाने का विचार है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई योजना इस सम्बन्ध में बनायी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता ।

गृह उद्योग विभाग के अन्तर्गत योजनाओं के विस्तार

*१२---श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि साल के प्रारम्भ में गृह उद्योग विभाग के अन्तर्गत किन-किन योजनाओं को तोड़ने का निश्चय करके भी उनको पुनः पूर्ववत् चालू रक्खा गया और किनका विस्तार कम कर दिया गया और क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---गृह उद्योग विभाग के अन्तर्गत कुछ योजनाओं के विस्तार को कम करने का निश्चय किया गया है । उनमें से खादी योजना पूर्ववत चालू रखी गयी है और गुड़ योजना का विस्तार कम कर दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय---क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन सी योजनायें हैं जिनका विस्तार कम कर दिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---काटेज आइल स्कीम, हैन्ड पेपर स्कीम, लिनसीड फाइबर स्कीम और गुड़ स्कीम ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि गुड़ योजना के द्योग के अनुदान को कम करने का क्या कारण है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---गुड़ स्कीम कोई १५ साल से चालू थी और जिस उद्देश्य से वह चालू की गयी थी वह बहुत हद तक पूरी हो चुकी है इस वजह से कम की गयी।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के बजट में भी गुड़ योजना कम कर दी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--अभी तो इस साल का बजट आपके सामनें पेश होगा, उसके बाद मालूम होगा।

*१३--श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले बजट सेशन के वक्त गुड़ उन्नति योजना को पूर्ववत चालू रखने के लिये मुख्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री ने आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उसका विस्तार कैसे कम कर दिया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--पिछले बजट सेशन के समय गुड़ उन्नति योजना को पूर्ववत् चालू रखने के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ?

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी बतला सकते हैं कि उनसे तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी से बाबा राघव दास तथा श्री गेंदा सिंह का एक डेपुटेशन गुड़ उन्नति योजना के सम्बन्ध में मिला था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी बतला सकते हैं कि गुड़ उन्नति योजना अब किन-किन जिलों में चालू है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह पूरब के १२ जिलों में चालू है ।

गणतन्त्र सप्ताह में श्रमदान

*१४--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गणतन्त्र सप्ताह में कितने आदमियों ने श्रमदान दिया और उनमें क्या कार्य हुआ ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)--गणतन्त्र सप्ताह में प्रदेश में लगभग २० लाख आदमियों ने श्रमदान दिया। सड़कें बनाई गयीं तथा मरम्मत भी की गयी। तालाबों को खोदा तथा गहरा किया गया। बन्धियां बनाई गयीं। कुंएं बनाये अथवा मरम्मत किये गये। नए पन्चायतघर तथा स्कूल की इमारतें बनानी शुरू की गयीं। इनके अतिरिक्त नालियाँ, पुलियां, पुल, खाद के गड्ढे, सोख्ते तथा गाँधी चबूतरे भी बनाये गये।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस सप्ताह में जो कच्ची सड़कें बनायी गयी हैं, क्या उनको कन्सोलिडेट करने के लिये मैटिरियल और सुपरविजन दिया जायगा ?

श्री फूल सिंह--जैसा कि मैंने कहा यह सब मामला विचाराधीन है। जहां तक हो सकेगा इन सब कामों को पूरा करने की कोशिश की जायेगी।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतला सकते हैं कि गणतन्त्र सप्ताह में अधिकारियों का कितना मार्ग व्यय हुआ है ?

श्री फूल सिंह--मार्ग व्यय तो देना तय नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो नोटिस देने पर बतला सकूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने रचनात्मक कार्य में विशेष दिलचस्पी ली है, क्या सरकार उनको किसी तरह से सम्मानित करना चाहती है ताकि और लोगों का भी उत्साह बढ़े ?

श्री फूल सिंह--जो लोग ऐसे काम में सहयोग देते हैं, उनको और मौका दिया जाता है ताकि वे और अच्छे काम अच्छी तरह से कर सकें।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभाओं द्वारा जो नयी सड़कें बनायीं गयी हैं उनको नक्शे में दर्ज कराया जायगा ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---क्या मन्त्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि जो सड़कें तैयार हो चुकी हैं उनमें जहां जहां पुल नहीं बने हैं उन पुलों को शीघ्र बनाया जायगा ?

श्री फूल सिंह---उन पुलों को शीघ्र बनाने की कोशिश की जायगी।

श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस श्रमदान सप्ताह में जिन जिलों में सबसे अच्छा कार्य हुआ है उन जिलों को कुछ प्रोत्साहन देने के लिये पुरस्कार दिया जायगा ?

श्री फूल सिंह---जी हां, जिन जिलों ने सबसे अच्छा काम किया है उनमें से पहिले पांच जिलों को इनाम दिया जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिन जिलों में श्रमदान करने की योजनायें ग्रामीण जनता ने प्रस्तुत की हैं तो उन जिलों में सरकार खर्च करने का कुछ इन्तजाम करायेगी ?

श्री फूल सिंह---जी हां।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार श्रमदान को अनिवार्य कराने के लिये कोई बिल सदन में वह पास कराना चाहती है ?

श्री फूल सिंह---अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

*१५---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मुख्य मन्त्री गांवों में श्रमदान के बढ़ते हुए आन्दोलन का अधिक ठोस कार्यों में उपयोग करने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई है ?

श्री फूल सिंह---जी हां। यह विषय इस समय विचाराधीन है।

*१६---श्री झाऊखंडे राय---[१२ मार्च, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

* * * *

मेरठ डिवीजन में शरणार्थियों के लिये क्वार्टर और दूकानें

*५---श्री मदन मोहन उपाध्याय (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ डिवीजन में सन् १९५१-५२ ई० में शरणार्थियों के लिये कितने क्वार्टर और दूकानें बनीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उल्लिखित समय में मेरठ डिवीजन में शरणार्थियों के लिये १,४१६ क्वार्टर बने।

*६---श्री मदन मोहन उपाध्याय (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि इन क्वार्टरों और दूकानों को बनाने के लिये जमीन की कीमत का तखमीना कलेक्टरों की ओर से सरकार के पास भेजा गया और बाद में जो कीमत चुकायी गयी उसमें काफी फर्क था ? यदि हां, तो कितना ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये लैण्ड एक्वीजीशन (भूमि प्राप्त करने का) ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन भूमि प्राप्त करने के लिये जमीन की कीमत का ऐसा कोई तखमीना कलेक्टर सरकार के पास नहीं भेजता है ?

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५१-५२ में मेरठ डिवीजन में बने हुए शरणार्थियों के क्वार्टरों और दूकानों पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री दीन दयालु शास्त्री---(जिला सहारनपुर)---क्या यह सही है कि इन क्वार्टरों में से बहुत से क्वार्टर बरसात में रहने के लायक तक नहीं रहते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---रहने के लायक तो रहते हैं।

अध्यापकों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री राजनारायण जी ने भेजा है और वह अध्यापकों के सम्बन्ध में है। मैं श्री राजनारायण जी से इतना जरूर कहूंगा कि मैं इसकी तो अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि कल शाम तक तीन रोज से बराबर इस प्रश्न पर आय-व्ययक के संबंध में विवाद हुआ है। नियम ७० के ५ के अनुसार कोई भी बहस जो एक दफ़ा हो चुकी है उसको उस सेशन में रिवाइव नहीं किया जा सकता है। इतना प्रत्यक्ष नियम होते हुये विरोधी दल के नेता की हैसियत से इस तरह के इस नियम का जो कामरोको प्रस्ताव के संबंध में है, उल्लंघन करना मुझे समय का दुरुपयोग मालूम होता है क्योंकि वह विषय इतने शीघ्र ही फिर सदन में आता है। इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता और आगे के लिये भी मैं यह सूचना दे देता हूं, जिसमें सदन का समय बचाया जाय।

श्री जोरावर वर्मा द्वारा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा, कामरोको प्रस्ताव श्री जोरावर वर्मा का है। कहीं पर मार-पीट हो गई है वह उसके सम्बन्ध में है। इस प्रस्ताव में शासकीय कार्यवाही का इस विषय पर उल्लेख नहीं है कि शासकवर्ग ने क्या कार्यवाही नहीं की या क्या बात हुई। कहीं पर कोई झगड़ा हो या और कोई बात हो जाय तो घटना ही के ऊपर इस तरह से यहां कामरोको प्रस्ताव आना अनुचित है, जब तक कि यह मालूम न हो कि सरकार से उस घटना से क्या विशेष सम्बन्ध है और सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। ऐसी अवस्था होने पर ही सदन में उस संबंध में बहस उठाई जा सकती है। मैंने इसलिये यह स्पष्टीकरण दिया कि रोजबरोज इस क़िस्म के प्रस्ताव अखबारों को देखकर मेरे पास भेज दिये जाते हैं। अब आइन्दा मैं इसका उल्लेख भी यहां पर नहीं करूंगा और यदि इस क़िस्म के प्रस्ताव आयेंगे तो मैं उनका उत्तर सीधे माननीय प्रस्तावक सदस्यों के पास भेज दूंगा और इस सदन में उसका जिकर भी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रचारार्थ इस सदन का उपयोग नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैं एक निवेदन इस सम्बन्ध में करना चाहता हूं कि अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में उनकी भूख हड़ताल का यह आज चौथा दिन है और इसके सम्बन्ध में कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आया। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि चूंकि उनकी हालत आज बहुत खराब है, इस सवाल को सदन में उठाया जाय और यह बहुत अहम मसला है, इस पर विवाद हो जाय और उनके लिये कोई व्यवस्था निकाली जाय, यह मेरा आशय था।

श्री अध्यक्ष--आपने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अन्दर आपने कई विशेष चीजें पूरी-पूरी दी हैं, जो हड़ताल के संबंध में हैं। आज उसमें कोई विशेष चीज पैदा हो गयी ऐसी बात नहीं है। उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ है, यह मुझे दिखाई देता है। रोज एक घंटे या दो घंटे में स्थिति कुछ बदल जाय, यह सम्भव हो सकता है, किन्तु इससे कोई महत्व का मतलब नहीं निकलता है। भूख हड़ताल का घंटों में क्या परिणाम हो सकता है, सब को इसका अन्दाजा हो सकता है। इस विषय पर कल विचार हो चुका है। उस सिलसिले में फिर यहां पर विचार हो यह सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ कामरोको प्रस्ताव आना चाहिये और इसी दृष्टि से इसका यहां पर जिकर होना चाहिये नहीं तो इस क़िस्म के प्रस्ताव से इस सदन का बहुत समय नष्ट होता रहेगा।

वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९ -ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य--ख--(स्थापना व्यय को छोड़कर)

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--माननीय स्पीकर महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९, राजस्व से किये जाने वाले

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख के अन्तर्गत २,२८,१९,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज इस वर्ष बजट के इस अवसर पर अपने बजट के एक महत्वपूर्ण अनुदान को उपस्थित करने का अवसर मुझे पहले पहल यहां मिला है। आज ही इन अनुदानों के संबंध में इस आदरणीय सदन में जो विचार होने वाला है उसका श्री गणेश हो रहा है और इस आरम्भिक दिवस पर सिंचाई के संबंध में पहले-पहले अवसर प्रदान किया गया है और पहला दिन इसको दिया गया है और मैं यह भी देखता हूं कि हमारे इस बजट में जो बहुत से अनुदान रखे गये हैं उनमें सिंचाई का यह अनुदान, जो, कि ९,१०,४४ के क्रम में मौजूद है, वह कदाचित् यदि सब से बड़ा नहीं लेकिन जो बड़ी-बड़ी मांगें हैं उनमें अपना स्थान रखता है। अनुदान संख्या ९ तो विशेषकर सिंचाई विभाग की उस मद से संबंध रखती है जो आज चलती हुई नहरों, ट्यूब-वेल्स और जो स्थापित व्यवस्था सिंचाई विभाग की है, उसके संचालन के लिये खर्च होता है यानी मेरा मतलब यह है कि जो रनिंग नहरों के मेनटेनेन्स पर और रिपेयर पर, उनकी वृद्धि, इम्प्रूवमेंट और सुधार पर इस अनुदान के अनुसार मिलने वाली रकम खर्च की जाती है। हमारे प्रदेश में सिंचाई की यह व्यवस्था काफी पुरानी है। आज से सवा सौ वर्ष पूर्व पहले पहल हमारे प्रदेश में पूर्वी जमुना की नहर निकाली गई। यह नहर मुग़लों के ज़माने से चलती हुई किसी नहर को सुधार कर के आरम्भ की गई थी और उस समय ब्रिटिश शासन यहां मौजूद था, जमुना नहर सन् १८३२ में निकाली गई थी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे नहरों का विकास इस प्रदेश में हुआ। जमुना की नहर के बाद गंगा की नहर, जिसको अपर गंगा केनाल कहते हैं, जो हरिद्वार से निकलती है, वह निकाली गई, उसके बाद लोअर गंगा केनाल अलीगढ़ में नारौरा के पास से निकली, फिर शारदा केनाल निकली, फिर बुंदेलखंड में बेतवा और केन केनाल निकली। इस तरह धीरे-धीरे सौ सवा सौ वर्ष में नहरों का विकास हुआ। यह बड़ी-बड़ी नहरें गंगा, जमुना, शारदा और केन और बेतवा की निकाली गई। मिर्ज़ापुर में भी हमारी कुछ नहरें निकलीं वहां के रिजरवायर और डैम से। इस तरह से सौ सवा सौ बरस में उत्तर प्रदेश के तमाम भूखंड में नहरों का जाल सा बिछ गया। सन् २८ में जब पहले पहले जल से बिजली का उत्पादन हुआ तो यहां सिंचाई की व्यवस्था में एक और परिवर्तन हुआ। सन् २८ में गंगा की नहर से बिजली बनाने की विधि यहां कार्यान्वित की गई। हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर, जिस समय उत्पन्न हुई उस बिजली की शक्ति का उपयोग कर के रामगंगा में एक पम्प केनाल बनाई गई। फिर सिंचाई की व्यवस्था के विचारकों ने सोचा कि इसका उपयोग भूगर्भ में स्थित जल को निकालने में भी किया जा सकता है। हमारे देश में कुएं के द्वारा सिंचाई तो प्राचीन काल से होती है। सिंचाई की जो व्यवस्था यहां रही है, इस देश के इतिहास और पुराणों के देखने से मालूम होता है कि तालाबों, जलाशयों और कूपों से ही सिंचाई यहां होती रही है। तो कुओं से सिंचाई तो होती ही रहती है, परन्तु बिजली के द्वारा भूगर्भ के अधिक नीचे के स्तर से जल निकाल कर के सिंचाई करने की व्यवस्था यहां सन् १९३२ के बाद जब गंगा के जल से बिजली मिलने लगी, तब सोची गयी और तब से सन् १९३३ से ट्यूबवेल बनने भी आरंभ हुए और हम यह देखते हैं कि सन् १९३३ से लेकर के सन् १९४६ तक के बीच में डेढ़ हज़ार के ऊपर, क़रीब क़रीब १,८४७ ट्यूबवेल हमारे प्रदेश में बने। उसी समय इन ट्यूबवेलों को बिजली देने के लिये गंगा की नहर पर जल से बिजली पैदा करने के कई कारखाने बने जिनको कि पावर हाउसेज़ कहा जाता है। सात आठ की संख्या में वह बने और गंगा ग्रिड के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे निकली हुई बिजली से हमारे प्रदेश में यह नल कूप भी चलाये गये।

तो अब तक हमारे प्रदेश में दो व्यवस्थाएं चलती रही हैं, एक तो भूमि के अन्दर से जल निकाल करके सिंचाई करने की और दूसरी उन नदियों से सिंचाई करने की, जिनका उद्गम हिमालय में हो और जहां बरफ़ गलने से पानी गरमी में भी मिलता हो और बराबर पर्वत

के उद्गम के कारण जल का प्रवाह बना रहता हो। यह ऐसी व्यवस्था रही है कि जो हमारे देश में कदाचित् अन्य प्रान्तों की अपेक्षा सब से बड़ी रही है। स्टेट के द्वारा इर्रिगेशन की व्यवस्था और सिंचाई का प्रबन्ध और उसके लिये एक इमारत सी खड़ी करना, जो इतनी व्यापक रूप से फैली हुई हो, यह उत्तर प्रदेश में भारत में सब से अधिक रही है।

सन् १९४६ में जब कांग्रेस हुकूमत आई, जनता का शासन हुआ इस देश में, तो सिंचाई की व्यवस्था में उसने और विकास करने की सोची और उसकी नीति में भी परिवर्तन हुआ। अब तक सिंचाई की जो भी व्यवस्था रही, वह इस प्रदेश के एक खंड में रही, ऐसे खंड में जहां जल की वर्षा कम होती है, बरसात ही कम होती है, १५, १६, १२, १८ इंच, इससे अधिक नहीं। जहां जल की आवश्यकता सब से अधिक थी, जहां की भूमि बिना जल के उत्पन्न नहीं कर सकती थी और जहां जल मिल जाने से उत्पादन की शक्ति भूमि की बढ़ जाती थी, ऐसे ही भूखंड में यह व्यवस्था शुरू की गयी और उसमें भी तत्कालीन सरकार की एक व्यवसायी नीति थी, वह यह कि जहां पानी की आवश्यकता है, पानी दो और उसके द्वारा पानी की क़ीमत लो और यह इस प्रकार चलाई जाय कि इर्रिगेशन की यह व्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो जाय और यदि सम्भव हो तो उसके द्वारा स्टेट के जनरल रेवेन्यू को भी कुछ लाभ पहुंचे।

सन् १९४६ में जब जनता का शासन स्थापित हुआ तो कार्मशियल व्यु प्वाइंट जो रहा है, एक व्यावसायिक नीति जो रही है, इर्रिगेशन की तरफ, उसमें परिवर्तन हुआ। सोचा यह गया कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कृषि प्रधान है, जहां की आबादी बहुत बड़ी ह, जिसकी जनसंख्या गांवों में निवास करती है और जहां के लोगों का जीवन खेती पर ही मुख्यतः निर्भर करता है और यह भी देखा गया कि इस प्रदेश के, जहां की जीविका का मुख्य साधन कृषि हो, यदि जीवन के स्तर को उठाना है तो सिवाय इसके कोई तरीक़ा नहीं है कि यहां के उत्पादन, का जो मुख्य प्रकार है उसको इस प्रकार की सहायता दी जाय कि उत्पत्ति बढ़े और प्रदेश के ढांचे में समानता की वृद्धि हो। इस दृष्टि से यह सोचा गया कि सिंचाई की व्यवस्था में कुछ विकास और कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो शुद्ध व्यावसायिक नीति से न चलें और साथ ही साथ उन प्रदेशों में भी, जहां की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उसका विकास किया जाय, उसे कुछ गति प्रदान की जाय और अधिक से अधिक भूमि स्टेट के साधनों के द्वारा सींची जाय। सन् १९४६ से यह स्थिति चल रही है। और आप देखेंगे कि ४६ से ले कर ५२ के बीच में नहरों में भी और हमारे नल कूपों म भी एक खासा बढ़ाव हुआ, उनकी संख्या बढ़ी। जो आंकड़े हैं और जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से यह पुस्तिका बंटी है, मुझे खेद है कि वह आज ही बंट सकी, उसे एक आध रोज पहले बंट जाना चाहिए थ। लेकिन पुस्तिका छपकर आज ही बंट सकी। अगर आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि हमारी व्यवस्था में नलों में कई हजार की वृद्धि हुई है और टयूबवेल्स में कई सौ टयूबवेल्स पिछले पांच वर्षों में बने और इस प्रकार १९५१–५२ में, जहां १९४७ में आपके यहां १७ हजार ८ सौ २४ मील नहरें थीं, १८४७ टयूबवेल्स थे, सात हजार आठ सौ अठारह मील ड्रेंस स्केप नैविगेशन चैनेल्स, टयूबवेल, गूल्स, ड्रेन्स इत्यादि और जहां इन साधनों से क़रीब ६० लाख एकड़ जमीन सींची जाती थी और ६८ लाख एकड़ जमीन सींचने योग्य थी, वहाँ १९५२ के मार्च में हमारी सिंचाई की व्यवस्था में १९ हजार ५ सौ २५ मील खाली इर्रीगेशन चैनेल्स हुए, जिसमें २ हजार ९ सौ ४१ मील मेन कैनाल और ड्रेनज हैं, १२ डाइवर्जन और स्टोरेज डैम्स जोकि बड़ी बड़ी नदियों पर क़ायम हैं, ९,४९० मील ड्रेन्स स्केप, नैविगेशन चैनेल्स और टयुबवेल्स गूल्स और २,३९३ टयूबवेल्स हमारे यहां इस प्रदेश में क़ायम किये गये। १९५२ के मार्च के अन्त तक यह संख्या हमारे सामन है और आज इस प्रदेश में एक बड़ी सीमा तक सिंचाई हो रही है।

अगर आप बजट पर दृष्टिपात करेंगे तो यह देखेंगे कि अनुदान संख्या ९ में दो हेड्स लिखे हुए हैं। एक प्राडक्टिव और दूसरा अनप्राडक्टिव। प्राडक्टिव हेड तो वह है जिसमें

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सिंचाई करने वाली नहरें घाटे पर न चल रही हों। अनप्राडक्टिव नहरें वह सिंचाई करने वाली नहरें हैं या कुएं हैं जो घाटे पर चल रहे हों। घाटा इस दृष्टि से देखा जाता है कि जो मूल लागत लगी हुई है, उस पूंजी के द्वारा जो कुछ उसका ओजमर्रा का खर्च है उससे निकले और साथ-साथ पूंजी के ऊपर तीन फीसदी, साढ़े तीन फीसदी जो पूंजी का सूद है, वह भी निकल आये। इतनी आय अगर होती है तो उसको प्राडक्टिव वर्क्स में ले लेते हैं और अगर इतनी आय नहीं होती तो उसको अनप्राडक्टिव मानते हैं। गंगा, यमुना की नहरों से जो सिंचाई हो रही है और उससे जो आमदनी हो रही है उसे हम प्राडक्टिव मानते हैं, क्योंकि उसका विकास हो गया है। उधर के लोग नहरों का उपयोग करना समझ गये हैं। वे एक-एक बूंद पानी का उपयोग करते हैं और पानी का मूल्य भी समझते हैं। वह नहरें, जिनको लोग डेवलप कर चुके हैं, इर्रीगेशन को भी डेवलप कर चुके हैं, वह प्राडक्टिव हेड में आ जाती हैं।

शारदा की जो नहर है जो गंगा और यमुना की नहरों से भी बड़ी है और कई ज्यादा एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है और जिसका बराबर विस्तार होता चला जा रहा है वह अबतक अनप्रोडक्टिव हेड में है। यह तो स्थापित व्यवस्था जो है इस व्यवस्था में उनके दिन-प्रतिदिन के चलाने के लिए हमने अनुदान संख्या ९ के द्वारा खर्च की मांग की है और यदि आप अपने बजट के वाल्यूम ४ पर दृष्टिपात करेंगे तो उसमें इनका डिटेल भी मिल जायगा कि जिन-जिन हेड्स में हमने आपसे खर्च की स्वीकृति देने की प्रार्थना की है, उनका विस्तार क्या है, उनकी तफसील क्या है। २ करोड़ २८ लाख रुपये जो मांगे गये हैं, इनमें १० लाख रुपये की वह रक़म भी शामिल है जो कि हम एलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देते हैं ट्यूब वेल्स को चलाने के लिए। इसी में ११ लाख रुपये से कुछ अधिक की वह रक़म भी शामिल है, जो हमारी नहरों के चलाने में, उनके छोटे-मोटे सुधार करने में, प्रति वर्ष उनकी सफाई करने में और मेंटिनेंस में खर्च होती है। इसी अनुदान में वह रक़म भी शामिल है जो रुड़की के रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत के लिए हमने रखा है। आपको और इस सदन को कदाचित् पता होगा, इसका कुछ जिक्र उधर हुआ भी था कि सन् ४८ में जब जनता का शासन हुआ तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में क़ायम किया गया सिंचाई के संबंध में और उसके जिम्मे काम यह किया गया कि वह भूमि की परीक्षा करे, नदियों के प्रवाह के सम्बन्ध में जो तरह-तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं उनके सम्बन्ध में प्रयोग करे, जो नये ट्यूब-वेल्स हम बनाते हैं या बड़े-बड़े डैम्स बनाते हैं उनके सम्बन्ध में बहुत तरह की राय और मशविरा, जो हमें आवश्यक होता है कि इन डैम्स के बनाये जाने पर पानी कितना रुकेगा, कहां तक परकोलेट करेगा इत्यादि, इन विषयों की जांच पड़ताल करे, इसके लिए यह रिसर्च इंस्टीट्यूट क़ायम किया गया है। इसका फील्ड रिसर्च तो बहादुराबाद में है और इसकी लेबोरेटरी का काम रुड़की में है जो बहादुराबाद से नजदीक ही है। उसकी इमारत बन रही है। उसके लिए भी इमारत की पूर्ति के लिए रुपया यहां रखा गया है और मैं अपने माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि उन्हें अवकाश मिले तो बहादुराबाद के इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखने का कष्ट करें। यह धीरे-धीरे हमारे प्रदेश में एक अपना स्थान बना रहा है और न केवल हमारे प्रदेश के निर्माण सम्बन्धी योजनाओं का परीक्षण यहां हो रहा है प्रत्युत् भारत के अन्य प्रान्तों और स्वयं भारत सरकार के भी जल सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी और भूमि के स्ट्रक्चर सम्बन्धी तमाम जितने प्रश्न खड़े होते हैं, इंजीनियरिंग के, वह यहां भेजे जाते हैं। उनका परीक्षण बड़ी मुस्तैदी के साथ और सफलता के साथ हो रहा है। हमारे प्रदेश के बहुत से स्थानों में बाढ़ों के द्वारा जो कठिनाइयां होती हैं, जो कटाव हो रहा है, उन सबके सम्बन्ध में, नदियों के प्रवाह, उनको रोकने, उनके द्वारा किस प्रकार हानि बचाई जाय, उनके प्रवाह को मोड़ा जाय, इत्यादि विषयों पर इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च हो रहा है और उनसे बहुत लाभ भी हो रहा है। हमारे यहां गोरखपुर से देवरिया में राप्ती नदी के बाढ़ की वजह से जो कष्ट वहां होता है, उससे कैसे उस प्रदेश को बचाया जाय, इस सम्बन्ध

में भी वहां रिसर्च हो रहा है। बनारस के घाट किस तरह गिर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार गिरने से बचाया जा सकता है यह भी रिसर्च वहां हो रहा है। जो बड़े–बड़े डैम्स हमारे बन रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है, कितना पानी ले सकेंगे, कितना पानी सूखेगा, कितने दिन तक इनकी लाइफ हो सकती है इन तमाम चीजों की गवेषणा और उसका अनुशीलन इस इंस्टीट्यूट में हो रहा है। थोड़ा सा विस्तार में मैंने इस इंस्टीट्यूट के संबंध में इसलिए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा उपयोगी कार्य इस प्रदेश का यह इंस्टीट्यूट कर रहा है और मैंने यह आवश्यक समझा कि इसकी सूचना इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को दूं ताकि जब कभी उन्हें अवसर मिले तो इस इंस्टीट्यूट को वे जाकर देखें। इसकी इमारत का भी रुपया इसमें रखा गया है।

पूर्वी यमुना केनाल, जो सौ सवा सौ वर्ष पहले बनाई गई थी उसकी रीमाडेलिंग के लिए भी इसमें रुपया रखा गया है। यह रीमाडेलिंग इस विचार से की जा रही है कि यमुना का जल कुछ अधिक मात्रा में हमको मिल सके। ऐसे तो आप सदस्यों को कदाचित् पता हो अथवा न हो कि यमुना की जो हमारी नहर बनी है उसका हेड वर्क पूर्वी पंजाब में पड़ता है और उनसे हमारा एक समझौता सा है कि इतना पानी उस नहर से वह ले लेते हैं और इतना पानी हम को दे देते हैं। यह नहर वास्तव में बड़े भारी क्षेत्र की सिंचाई करती है। जल हमें हिस्से में कम ही मिलता है। अब तक सात सौ कसेक्स मिलता रहा है, परन्तु उसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ उधर के किसान करते हैं। मैं उस क्षेत्र में घूम आया हूं। मैंने देखा है कि जल का कितना मूल्य उधर के किसान समझते हैं और कैसा उसका उपयोग अपने लिये करते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार जल बचाया जाय कि दूसरों को भी मिल सके। यह यमुना की नहर सवा सौ वर्ष पुरानी है और इस गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू भी मिलता है, परन्तु उसका कोई सुधार ज्यादा नहीं किया गया है। कभी–कभी सहारनपुर वगैरा में पानी बरस जाता है तो उसको यमुना केनाल में जमा कर हम पानी ले जाना चाहें, तो नहरें सवा सौ वर्ष पुरानी बनी हुई है और जिनकी कैपेसिटी कम है, अधिक पानी वे ले ही नहीं सकती हैं। उनमें जो पुराने पुल, पुलियां और गेट्स वगैरा बने हुये हैं, उनको भी चौड़ा करने की जरूरत है। यह स्कीम दस बारह लाख रुपये की होगी। उसके लिये भी इसमें अब की इस साल जो आगामी बजट होगा, तीन लाख रुपये रखे गये हैं। यह तमाम कार्य जो कि रेवेन्यू से मीट होते हैं और जो कि चलने वाली नहरों के चलाने के लिये, उनके सुधार के लिये और उनके सुरक्षण के लिये खर्च किया जाता है, रेवेन्यू से खर्च किया जाता है, और जो अनुदान संख्या ९ है, उसमें रखा गया है। अभी आप के सामने दूसरी ग्रांट भी आने वाली है, जिस पर विस्तार से विचार हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

जहां तक नहरों के सम्बन्ध में शिकायतें हैं पानी कम मिलने की, नीचे के अधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की अड़चन पैदा करने की या उस विभाग में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की, इस सम्बन्ध में बहुत से कटमोशन्स भी आये हैं, जो उपस्थित होंगे और उनपर विचार किया जायगा, परन्तु इतना मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी नहरें हमारे यहां हैं, जो हमारे यहां ट्यूबवेल्स हैं, उनकी व्यवस्था में जो दोष हैं उससे सरकार अपरिचित नहीं है और उन दोषों को दूर करने की चेष्टा भी की जा रही है। हमने अब यह भी सोचा है कि हम अपने जिले–जिले में इरिगेशन की कमेटियां बना दें। हमारी प्लानिंग कमेटियां बनी हुई हैं, परन्तु उनके साथ–साथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियों के द्वारा ही इरिगेशन कमेटियां हमारी बना दी जायं। जिले जिले में जो वहां की स्थानीय शिकायतों और दिक्कतों को दूर करने में सतर्कता के साथ काम करें। जिले के तमाम एम० एल० एज०, एम० एल० सीज०, वहां के प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और वहां के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर एक प्रकार से कनवीनर से होकर के, कमेटियां, प्लानिंग कमेटियों के साथ–साथ उन्हीं के अधीन, उनकी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

राय से वहां बना दी जायं और कोशिश की जाय कि प्रति महीने अथवा हर दूसरे महीने इन कमेटियों की बैठकें वहां हों और वे तमाम सवालात जो स्थानीय दिक्कतें पैदा करते हैं वे उन कमेटियों में पेश हों। एक्जिक्यूटिव इंजीनियर्स और नहर विभाग के और जितने कर्मचारी हैं वे उनपर अधिक से अधिक ध्यान दें और यथा संभव उन दिक्कतों और कठिनाइयों को दूर करने की वहीं की वहीं चेष्टा करें और अधिक से अधिक अपना सम्पर्क स्थानीय कार्य-कर्त्ताओं और किसानों से रखें ताकि उनकी व्यवस्था में उन्हें सहायता मिल सके। मुझे आशा है कि अगले वर्ष यह व्यवस्था हम कर सकेंगे और यथासंभव स्थानीय दिक्कतों को दूर करने में सफल होंगे। यह नहर विभाग ऐसा है जिसका सम्बन्ध जनता के जीवन से है और सब से अधिक किसान का सम्पर्क नहर विभाग से होता है। सरकार यह आशा करती है और उसका यह आदेश भी जारी हुआ है कि इस विभाग के कर्मचारी जो स्थान-स्थान पर नियुक्त हैं उनके लिए यह लाजमी है कि किसी समय उनका दरवाजा नहीं बन्द रहना चाहिये ताकि किसानों के लिए उनके पास आने में दिक्कत न हो सके। उन्हें इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि उनके स्थान की जो दिक्कतें और कठिनाइयां हैं और वहां जो शिकायतें होती हैं वह वहीं की वहीं तय हो जायं और यहां सरकार तक यथासम्भव न आएं। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की सफलता, उनका भविष्य और उनकी योग्यता का बहुत बड़ा यह प्रमाण होगा और बहुत कुछ उस पर वह निर्भर करेगा। यदि अपने यहां की शिकायतें वह अपने ही स्थान पर दूर करने की चेष्टा करें और वहीं के काम करने वालों से मिलकर के और किसानों से मिलकर के पानी इत्यादि के बटवारे में जो दिक्कतें होती हैं, उनको तय करें तो अच्छा है। क्योंकि पानी प्रत्येक स्थान पर पहुंचाना समय से और उसका बटवारा करना इसी में शिकायतें ज्यादा होती हैं। फिर भी अधिकारियों को और कर्मचारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि इस संबंध में उन्हें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इसी विचार से और इसी दृष्टि से उन्हें काम करना है और किसानों की यथासम्भव मांग पूरी की जा सके। जो कुछ भी सम्भव हो वह उस विषय में किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस भवन से मांग करता हूं कि अनुदान संख्या ९ स्वीकार की जाय।

विभिन्न अनुदानों पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--मैं जानना चाहूंगा कि जितने अनुदान हैं उनके लिए समय कुछ नियुक्त करना चाहिये या समय नियुक्त नहीं करना चाहिये। (कुछ रुक कर) इसके लिए कोई सुझाव नहीं है। अगर नहीं है तो वह चलेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--एक एक आदमी को पांच-पांच मिनट टाइम दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं अनुदानों के बारे में पूछ रहा हूं, न कि सदस्यों के भाषण के समय के बारे में सात अनुदान हैं। यह दो रोज में होंगे। तो इनके लिए कोई समय नियुक्त करना चाहिये, इच्छा है आपकी? यह आप का सुझाव तो इस समय सदस्यों के संबंध में है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--मैं सुझाव करता हूं कि जिस अनुदान पर यह बहस जारी है वह सवा बजे तक चलती रहे और दोपहर बाद जो दूसरे अनुदान हैं वे ले लिये जायं। सवा दो बजे जो दूसरा (सिंचाई स्थापना पर व्यय) है उस पर आधा घंटा और शेष टाइम (राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई) अनुदान जो ४४ नम्बर का अनुदान है, उसके ऊपर लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष--तीन ही लिये जायं आज?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--तीन ही आज लिये जायं।

श्री अध्यक्ष--श्री राज नारायण जी आप का सुझाव कोई नहीं है। सवा बजे तक यह अनुदान चला जो अभी पेश हुआ है और आधा घंटा दूसरा और उसके बाद बाकी जो समय रहेगा आज वह तीसरे अनुदान में चलेगा। यही बात है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो यही रहा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले पर सवा घंटा और दूसरे में आधा घंटा है और तीसरे में समय अधिक है। तो जो कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे शुरू में वह १५ मिनट लें बाकी लोगों को सात-सात मिनट मैं दूंगा पहले व दूसरे अनुदान में। आखिरी में दस मिनट दे सकता हूं बाकी सदस्यों को।

अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्ष क१७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) (क्रमागत)

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--मैं अनुदान संख्या ९ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय, यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

कमी का उद्देश्य है साधारण नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

श्रीमन्, मैंने सिंचाई मंत्री जी की सारी बातें सुनीं और जिस उद्देश्य से आज नहरें बढ़ाई जा रही हैं और सिंचाई के साधनों पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है उसका मक़सद भी क़रीब-क़रीब सभी को साफ है कि इससे अन्न की पैदावार बढ़ेगी और इससे हमारे सूबे की भुखमरी मिटेगी। उनके उद्देश्य से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर मैं समझता हूं कि जिस तरह आज का कार्य चल रहा है अगर उसी तरीक़े से कार्य चलता जायगा तो माननीय मंत्री जी द्वारा वर्णित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायगी। मैं चाहता हूं कि जहां मंत्री जी नहरों आदि की व्यवस्था करें वहां यह भी देखें कि अन्न की पैदावार बढ़ क्यों नहीं रही है। मुझे अफ़सोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं वरना मैं उनसे भी निवेदन करता और सरकार के जितने भी सम्मानित मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे आंकड़ों को देखेंगे तो यह बात साफ हो जानी चाहिये कि अन्न का उत्पादन सन् ४६ से इधर बढ़ा नहीं है। मुझे खुशी है कि कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां कुछ आंकड़ों की चर्चा कर रहे थे तो हमारे प्रस्तुत किये हुये आंकड़ों में से बावजूद बहुत कोशिश के वे अपनी समझ से केवल एक जगह कुछ त्रुटि पाये। हमें इस बात की भी ज्यादा खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो हम लोगों की ओर से भाषण हुये उन पर ध्यान करके कुछ समझने की कोशिश की। जहां तक अनुभव की बात है, यह सही है, जैसा कि कल माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बताया था, कि उन्हें इस सदन का अनुभव ज्यादा प्राप्त है और सन् ३६--३७ से लगातार जब जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता इस सदन में आई है तब-तब वह इसके सदस्य होते रहे हैं। मगर मैं देखता हूं कि अनुभव का सदुपयोग जहां होना चाहिये वहां हमारे मंत्री लोग नहीं कर सकते हैं। पता नहीं उसका क्या कारण है। यदि कोई दूसरे व्यक्ति कहे होते तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने कहा तो मुझे महान् आश्चर्य हुआ कि अगर इस तरह से आंकड़े रखें जायेंगे कि कितनी ज़मीन सिंचाई होती है, कितनी तोड़ में आई और कितनी उसमें से सिंचाई में आई तो समय नष्ट होगा और सरकार की कोई योजना सुनियोजित नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी का भी अनुदान आवेगा। उस समय अगर यह बात कही जाय तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि इस अनुदान में यह बात नहीं जमेगी।

श्री राजनारायण--यह सिंचाई और सिंचाई योजना है, तमाम ज़मीन और अन्नोत्पादन से यह सम्बन्धित है, इसलिये मैंने यह निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैंने तो केवल सुझाव दिया है।

श्री राजनारायण--इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि माननीय मुहम्मद इब्राहीम साहब के सम्भाषण को पढ़े होते और उसे पढ़कर बात किये होते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने साफ कहा है कि यह जो २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई वह सन् ४६ के बाद है।

और जिस ढंग से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सन् १९४० के आंकड़ों को घटाकर यह साबित कर दिया कि २२ लाख जमीन तो तोड़ी गई। श्रीमन्, ये आंकड़े प्रस्तुत हैं कि सन् १९४६ में जितनी जमीन थी वह ३६ हजार सात सौ ४१ हजार एकड़ थी जो कि नेट एरिया क्राप थी।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मन्त्री जी के बजट का समय आने वाला है जब वह आये तब आप उसको कहें तो ज्यादा युक्तिसंगत होगा।

श्री राजनारायण--यह आंकड़े कल उन्होंने दिये थे इसलिये मैं चूंकि उनका सम्बन्ध सिंचाई से है इसलिये आज उनका हवाला दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको रोकता नहीं लेकिन यह आपको सुझाव देता हूं कि आप उस अवसर पर करें तो ज्यादा युक्तिसंगत होगा।

श्री राजनारायण--तो मैं यह कह रहा था कि ये जो आंकड़े नई जमीन तोड़ने के बारे में हैं उनको किस हिसाब से उन्होंने निकाल कर रख दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान सिंचाई के सम्बन्ध में है। तो जो बातें कल की वार्ता में आयी थीं उनका चर्चा करना अप्रासंगिक है।

श्री अध्यक्ष--है तो यह आपत्तिजनक बात और इसलिये अगर उन बातों का जिक्र न हो तो अच्छा है।

श्री राजनारायण--तो मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि अगर वे अपनी नहरों द्वारा सींची हुई जमीन के बारे में देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में सन् १९४६ के बाद अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा है। मुझे खुशी है कि कल जितने माननीय मन्त्रीगण बोले हैं उन्होंने बावजूद अपनी विशेष बुद्धि के प्रयोग के अन्न के उत्पादन में वृद्धि की बात को साबित नहीं कर सके। तो श्रीमन्, इस बात से हम समझते हैं और सिंचाई मन्त्री जी के सामने कुछ ऐसी बातें लाना चाहते हैं जिससे वह समझें कि मैं यह चाहता हूं देहात में हर क्षेत्र में ज्यादा तादाद में पक्के कुयें खुदवाने की कोशिश की जाय। कल आंकड़े जो उन्होंने दिये थे कि ७ हजार, ८ हजार या १० हजार कुयें खुदवाये गये तो उससे तो काम नहीं चलता और उसी के साथ साथ समाचार पत्रों में भी और माननीय सूचना मन्त्री जी से मैंने निवेदन किया था कि जो अकालग्रस्त क्षेत्र हैं और जहां उपलवृष्टि हुई है वहां तत्काल कच्चे कुंये खुदवाकर अगर नई फसल को बोआने का प्रबन्ध किया गया होता तो वहां एक साल के अन्दर नई फसल उग आई होती और वहां के किसानों में कुछ और ही भावना पैदा हुई होती।

उसी के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी नहरें खोदी जा रही हैं उनमें खाली पूर्वी जिलों का हिसाब लगाया जाय। मैं बस्ती गया था। वहां शोहरतगढ़ से ५ मील की दूरी पर नहर विभाग द्वारा किसान की छाती भर आयी हुई फसल उखाड़ी जा रही थी। हमने अपने वहां के साथियों से कहा कि इस तरह से फसल उखाड़े जाने पर तुम विरोध करो क्योंकि किसी भी गलत क़ानून का तोड़ना हमारा धर्म है। चाहे गवर्नमेंट या माननीय सम्पूर्णानन्द जी कितना ही रिप्रेशन क्यों न करें।

श्री अध्यक्ष--किसी नाम का आप प्रयोग न करें। आपने गवर्नमेंट तो कहा ही और साथ ही माननीय सम्पूर्णानन्द जी का भी नाम लिया। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण--इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर जिले में गया था। वहां चुनार के पास एक छोटी सी नहर खोदी जा रही है। वहां के किसानों की फसलों के बारे में देखा जाय कि वह वहां खड़ी है या नहीं। श्रीमन्, इसी तरह से बनारस जिले के बारे में भी आपकी खिदमत में निवेदन करना चाहता हूं।

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, एक बात मैं इस सम्बन्ध में कह दूं कि जहां तक नई नहरों का सवाल है वह डिमान्ड ४४ आगे है। अगर यह बातें उस अनुदान के सम्बन्ध में हमारे नेता कहें तो कदाचित् उपयुक्त है। यह तो रनिंग केनाल्स के बारे में है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हुक्म दिया जा चुका है कि जहां फसलें खड़ी हों उन्हें कतई उखाड़ा न जाय। यदि इसके संबंध में हमारे नेता जी कुछ हमको स्थान वगैरहः का उदाहरण देंगे तो उनके लिये उचित कार्यवाही होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने माननीय सिंचाई मन्त्री जी के सम्भाषण को सुनने के बाद जितनी नहरों के बारे में बात आई उन्हीं को निवेदन कर दिया। जो उन्होंने खड़ी फसलों के न उखाड़े जाने के लिये आदेश की बात कही है उसकी मुझे खुशी है। लेकिन इसके बाद यह निवेदन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि छोटे-छोटे तालाब, पक्के कुयें और कच्चे कुंयें आदि ज्यादा तादाद में देहातों में खोले जायं और छोटे–छोटे तालाबों को ऐसे स्थानों पर, जहां कि पुराने तालाब खराब हो रहे हैं उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिये और पम्पिंग मशीनों के जरिये किसानों के लिये सिंचाई का इंतजाम होना चाहिये। नई नहरों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सिंचाई के लिये जो ट्यूब–वेल्स का प्रबंध हो रहा है, उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी इंजीनियरिंग विभाग से एक आदेश गया है कि जहां २५ हाथ से ज्यादा नीचे पानी मिले वहां पर अभी ट्यूब–वेल्स न बनाये जायं। मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से भूभाग हैं जहां पानी गहराई में मिलता है और कुएं खोदने में दिक्कत होती है, इसलिये अगर सरकार का यही रवैया रहा कि जहां पर पानी जल्दी न निकले वहां ट्यूब–वेल्स न बनाये जायं तो किसानों को बड़ी दिक्कत होगी।

इसके साथ–साथ जो सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई कमेटी के बनाने की बात कही जो वह उसको बनाकर इस पर विचार करें कि आगे किस तरह से काम होगा और जो शिकायतें हैं उनके बारे में वह विचार करने की कृपा करें। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि सिंचाई कमेटी वह बनाना चाहें तो भले ही बनायें लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व न रहेगा तो वह कमेटी भी जिस तरह से कि आज बहुत सी कमेटियां बनी हुई हैं और केवल एक काग़ज़ का आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है इसी तरह से इस कमेटी का परिणाम होगा। इसलिये मैं अदब के साथ माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि अगर जिलों में सिंचाई कमेटी बनाने की कोई बात हो तो उसमें सच्चे किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिये जो जानते हों कि कौन फसल कहां पैदा होती है और किस तरफ से नहर के पानी के जाने का रास्ता होना चाहिये, तब कहीं जाकर काम चल पायगा वर्ना बहुत सी शिकायतें सामने आयंगी। बहुत से व्यक्ति जो नहर के रास्ते को जानते हैं वह नहर के जाने के मार्ग को बदलवाकर ग़रीब किसानों की ज़मीन के लेने का षड़यंत्र रचा करते हैं, इसलिये इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं यहां पर एक बात के बारे में और निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग के जरिये से जितना रुपया आता है वह ५ करोड़ ८४ लाख ६ हजार ३२२ टोटल रेवेन्यू असेट्स हैं और सिंचाई की इन तीनों मदों को मिलाकर जो सूचना मंत्री जी के हाथ में है, वह ७,९३,३०,००० रुपये खर्च होती है। मैं जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि जब यह ६ करोड़ रुपये पहले से ही इसमें मौजूद हैं तब फिर यह ५० प्रतिशत सिंचाई के रेट में किस लिये बढ़ाये जाने की बात है। इसको भी इस समय जोरों के साथ सम्मानित सदस्यों को इसके विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिये और मांग करनी चाहिये सूचना मंत्री जी से कि रेट को न बढ़ाया जाय क्योंकि अगर यह बढ़ाया जायगा और इस तरह की सरकारी पालिसी अख्तियार की जायगी तो आप देखेंगे कि ६ करोड़ से डबल होकर ९ करोड़ रुपये की आमदनी होगी और सारा खर्चा, ८ करोड़ के अंदर हो जायगा तो सिंचाई के जरिये जो किसानों को पानी दिया जाता है तो वह इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिये। यह तो

[श्री राजनारायण]

ऐसी चीज है कि अगर इसमें सरकार को अपने पास से भी लगाना पड़े तो लगाना चाहिये और दूसरी मदों से इसमें खर्चा किया जाना चाहिये क्योंकि यह किसानों के हित में है। लेकिन जहां कोई किसानों के हित की बात आती है तो उसकी उपेक्षा की जाती है और कर-बोझ लाद दिया जाता है और उसको दूसरी मदों में खर्च किया जाता है जो अहितकर मदें होती हैं।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो टोटल एरिया इरीगेटेड है तो वह सन् १९४६---४७ ई० में कुल ४२,६६,६१२ एकड़ है। ४५-४६ में ५९,५३,७७६ एकड़ सिंचाई हुई थी। सिंचाई आंकड़े देखे जायं तो १९४५-४६ में तो ५९ लाख के एकड़ के करीब सिंचाई हुई है और ४७-४८ में ५४ लाख एकड़ के करीब हुई है। यह जो रिपोर्ट हमें मिली है "उत्तर प्रदेश थ्रू फिगर्स" से मिली है। इनको माननीय मंत्री जी देखें तो मालूम होगा कि सन् १९४६---४७ ई० में ५९,५३,७७६ एकड़ सिंचाई होती थी। तो फिर यह ४७---४८ में कम कैसे हो गई। ४८---४९ और ४९-५० में कम कैसे हो गई? यह फीगर्स कहां से आते हैं? ये फीगर्स उनके सामने हैं। जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे सम्मानित मंत्रीगण किया करते हैं जरा उसको वह हमारे सामने पेश करें। यदि उनकी नहरों से ज्यादा सिंचाई हुई तो वह कहां गई, प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार गलतफहमी में पड़ी हुई है। ९३ लाख डबल क्रापएरिया हमारे सूबे में मौजूद है। कहीं उसको एक तरफ दिखला दिया और कहीं दूसरी तरफ दिखलाकर सारे आंकड़ों को ठीक कर दिया जाता है। इसलिये मंत्री महोदय, अपने विभाग को यह सचेत करें कि यह जो जादूगरी होती है आंकड़ों की, यह न हुआ करे क्योंकि सेक्रेटरी लोग जो आंकड़े पेश करेंगे उसकी पूर्ति कहीं न कहीं से करायेंगे। जैसे कल मंत्री महोदय ने ४२ पेज के आंकड़े दे दिये। मैं निवेदन करूंगा कि वह ४२ पेज के आंकड़ों को देखें और जो फीगर्स हमें मिले हुए हैं उनको देखें तो उन्हें कहीं न कहीं त्रुटि जरूर मिल जायगी। वह उनके विभाग की है। उसे सुधारना चाहिये। उनका यह कहना कि विरोधी भाई अनुभव से काम लें कहां तक न्यायसंगत है? सारा अनुभव तो उनके पास है।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री ने कल एक बात कही उससे मेरी तबियत खुश हुई। सन् ४७ से जिस मंथरावाद मनोवृत्ति के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी आवाज बुलन्द करती रही है उसकी ताईद कल उन्होंने की। लेकिन मैं उनसे बतलाऊंगा कि रावणशाही को खत्म करने के लिये मंथरावाद को खत्म किया जाय। हम इसको समूल नष्ट करके रहेंगे। मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि मंथरावाद की मनोवृत्ति को छोड़ दें। दूसरे सिंचाई के तरीकों और उद्योगों के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगा। केवल इस समय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री इन तमाम चीजों को देखें अन्न के उत्पादन को देखें। इरिगेटेड एरिया सन् ४७, ४८ और ४९ में क्यों नहीं बढ़ा, ५० में कैसे बढ़ गया? अगर यह सब देखेंगे तो इसका सारा राज खुल जायगा अगर अन्न के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर मंथरावाद की मनोवृत्ति से सदस्यगण कार्य करेंगे तो रावणशाही नष्ट नहीं होगी। रावणशाही को नष्ट करने के लिये श्री राम बनो और उसको समूल नष्ट करने के लिये तैयार हो।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव राजनारायण जी ने पेश किया है उसी पर बोलूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत विस्तार के साथ भवन के सामने बातें रक्खीं। हम सब उनके अनुग्रहीत हैं। आपने अभी इस अनुदान को पेश करते हुए बतलाया कि हमारी यमुना नहर और अपर गंगा ये सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू पे करने वाली हैं। और बाक़ी शारदा केनाल और दूसरी कैनाल तो अनप्राडक्टिव हैं। जहां तक मैं समझता था अब तक तो अनप्राडक्टिव और प्राडक्टिव में यह अन्तर रखा गया था कि कुछ केनाल के

प्रोजेक्टस् तो ऐसे बने थे कि जिन को शुरू से ही यह माना गया था कि ये पे करने वाले होंगे, जो खर्च उन पर लगेगा उसको बर्दाश्त करेंगे और कुछ रुपया रेवेन्यू देंगे। और अनप्राडक्टिव वह माने गये थे जो इसलिये बनाये गये थे कि वहां पर फ़ैमिन होता था, वहां पर पानीकी जरूरत थी, लेकिन पानी वहां पर बहुत खर्च में मिल सकता था। इसलिये ऐसी केनाल्स वहां पर बनायी गयीं और उनसे आशा नहीं की जा सकती थी कि वह रेवेन्यू पे करेंगी या अपने खर्चे को बर्दाश्त करेंगी। इसलिये वह अनप्राडक्टिव कहलाती थी। लेकिन आज हमारे सिंचाई के मंत्री ने इस भाषा को बदल कर एक दूसरा रूप हमारे सामने रखा। उन्होंने यह कहा कि प्राडक्टिव वह हैं जो रेवेन्यू पे करें और अनप्राडक्टिव वह जो रेवेन्यू को पे न करे। मैं समझता हूं कि यह उनका कहना उचित ही है। आपने बतलाया कि अपर गंजेज़ केनाल और ईस्टर्न यमुना केनाल सब से ज्यादा रेवेन्यू पे करती हैं। तो जब ये सब से ज्यादा रेवेन्यू पे करती हैं तो आपको इस क्षेत्र के रहने वाले ही पैसा देते हैं इसलिये आपको उनके कष्टों को भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के रहने वालों को आज सिंचाई की तकलीफ़ है, आज उनकी कठिनाइयां हैं, उनको अभी तक उस मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है जिस मात्रा में उनको ज़रूरत है। यह आप मानते हैं कि उस क्षेत्र के रहने वालों ने अपने काश्तकारी के तरीक़े को उन्नत किया, वे पानी की क़ीमत को समझ गये और वहां पर अब दो-दो, तीन-तीन फ़स्लें पैदा करना चाहते हैं। उनकी जानकारी भी दूसरे क्षेत्र के काश्तकारों से उन्नत है। लेकिन उनको पानी उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जिस मात्रा में उनको ज़रूरत है। पहले जब आपने ये केनाल्स प्लान की थीं उस वक्त तो आपका अन्दाज़ा यह था कि १०० फ़ीसदी कमांड एरिया में से सिर्फ़ ४० फ़ीसदी एरिया में एक फ़स्ल में पानी मिलेगा और उसी हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूटरीज़ बनायी थी, उसी हिसाब से आपने कुलाबे लगाये थे। लेकिन अब वह अवस्था बिल्कुल तब्दील हो गयी। अब बजाय एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ आपका काश्तकार जा रहा है और यही हमारे प्रदेश की पालिसी है कि हमारे प्रदेश के रहने वाले काश्तकार जहां तक भी हो सके इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ़ जायं और ज्यादा से ज्यादा उपभोग उस भूमि का करें जो उनके पास है। अगर आप उनको इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ़ ले जाना चाहते हैं तो आपको इन केनाल्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और उनको इस तरह से फिर रिमाडल करना पड़ेगा कि जिससे वे इंटेंसिव कल्टीवेशन की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप रिमाडल करने जा रहे हैं, जब आप यमुना केनाल के पुलों को बढ़ाने जा रहे हैं, गंजेज़ के विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप उधर के काश्तकारों की तरफ़ ध्यान देंगे और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ को इस तरह से रिमाडल करेंगे जिससे इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिये वहां के काश्तकारों को पानी मिल सके और वहां के काश्तकार जो टैक्स के रूप में इर्रीगेशन ड्यूज़ दे रहे हैं उनको वे आसानी से बर्दाश्त कर सकें और उसका उपभोग भी ठीक हो सके। आपने देखा कि आपके इर्रीगेशन ड्यूज़ काफ़ी बढ़ गये हैं और ज्यादातर उसी क्षेत्र से ये इर्रीगेशन ड्यूज़ मिल रहे हैं जिस क्षेत्र के अन्दर ईस्टर्न यमुना केनाल या अपर गंजेज़ कैनाल बहती हैं। ईस्टर्न यमुना केनाल का प्राफिट ३० परसेंट से भी ऊंचा है। इसलिये आप वहां के काश्तकारों की ज़रूरतों की तरफ़ ध्यान दें और वहां पर पानी बढ़ाने की कोशिश करें और अपने इर्रीगेशन चैनेल्स को इस तरह से रिमाडल करें ताकि जो पहले भावना थी कि केवल ४० फ़ी सदी ही खेतों में पानी आये वह भावना बदल जाय और इस प्रकार की कोशिश हो कि वहां के ज्यादा से ज्यादा रक़बे को पानी मिल सके। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (ज़िला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो भाषण दिया मुझे उसको सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई विशेषकर इस कारण कि आज उस नीति में परिवर्तन हो गया है, जो व्यावसायिक नीति कही जा सकती थी उसको छोड़ दिया गया है यानी प्रोडक्टिव कैनाल्स की ओर ही ध्यान न देकर जनता के लिये, जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो सकती हैं उनकी ओर अब ध्यान दिया जा रहा है। अभी जो यहां पर

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

भाषण हुए उनमें उन कठिनाइयों का वर्णन किया गया, जहां पर इस समय नहरें चालू हैं लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर अभी तक इस डिपार्टमेंट की कृपा-दृष्टि बिलकुल ही नहीं हुई है। यह बात जो मैं कह रहा हूं वह आगरा, मथुरा दोनों जिलों के लिये लागू होती है लेकिन मैं विशेषकर अपने क्षेत्र 'बाह' के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर वर्षा बहुत कम होती है, भूमि काफी उर्वरा है परन्तु पानी की कमी के कारण केवल एक ही फसल ली जा सकती है और चार-पांच ही महीने काम करने के बाद किसान खाली बैठा रहता है। किसी अन्य उद्योग के अभाव में मवेशियों और आदमियों को उठा ले जाना यहां के आदमियों का मुख्य व्यवसाय बन गया है। अभी एक जगह से पांच आदमियों को भगा ले गये और सुना है १० हजार रुपया लिया गया। इसके अतिरिक्त इरोजन के कारण चारों तरफ बीहड बना जा रहा है और जो जमीन काश्त के लायक है वह भी खराब होती जा रही है। मैंने इसकी तरफ सरकार का ध्यान कई बार दिलाया है। मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री भी इससे अवगत होंगे और आशा है कि वे इस पर विचार कर रहे होंगे, लेकिन यह जो रिपोर्ट हमारे देखने में आयी उससे मुझे बहुत निराशा हुई। आगरे का तो एक जगह संकेत है, लेकिन बाह का कहीं नाम तक नहीं है। अगर वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कर दिये जायं तो तिगुनी नहीं तो दुगनी पैदावार तो अवश्य ही हो जायगी। मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि हमारा जो केस है वह बहुत ही न्याय-पूर्ण है क्योंकि आज जहां नहरें हैं या बनाई जा रही हैं, वहां पर वाटर लेबिल काफी ऊंची है। वहां पर पानी २५ फीट से ४० फीट की गहराई से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहां के क्षेत्र में ७० से ८० फीट तक पानी पाया जाता है। वहां पर सिंचाई के लिये किसानों को अपने प्राण होम देने पड़ते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वहां बड़ी भारी गरीबी और बेकारी फैली हुई है। आपको ऐसे गांव भी मिलेंगे, जिनमें बाहर की कमाई से अच्छे-अच्छे मकान बने हुए थे, लेकिन वे भी धीरे-धीरे उजड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आजकल जो इनसिक्योर कंडीशंस हैं उनके कारण भी वहां की हालत बहुत ही खराब हो रही है। एक तो पानी कम बरसने में भगवान की ही निगाह नहीं है दूसरे सरकार की निगाह भी अभी तक उस तरफ नहीं गयी है, इस प्रकार दोनों की कृपादृष्टि से यह क्षेत्र वंचित है।

इसका परिणाम यह हुआ है कि पहले तो जो व्यावसायिक नीति थी उसकी वजह से यहां पर कुछ नहीं हो सका, लेकिन आज भी मैंने बहुत से अधिकारियों को यह कहते सुना है कि वहां एक नलकूप बनाने में या नहर ले जाने में जितना खर्च पड़ता है वह दूसरी जगह से दुगना बैठता है। मैं समझता हूं कि कागज पर तो यह चीज इसी प्रकार मालूम होती है लेकिन जनता के कल्याण के रूप में जो परिणाम होता है वह सर्वथा भिन्न है। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, इन्हीं क्षेत्रों को सब से ज्यादा नहरों की जरूरत है, इन्हीं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नलकूपों की जरूरत है, जहां पर स्प्रींग लेबिल डीप है।

दूसरी बात यह कि आखिर जनता का कल्याण करना तो इस गवर्नमेन्ट को मंजूर ही है। आप देखते हैं कि एक ओर तो वहां डकैत और बदमाश त्रास दे रहे हैं और पुलिस पर काफी रुपया खर्च हो रहा है दूसरी ओर रेगिस्तान को रोकने के लिये फारेस्ट बेल्ट लगाया जा रहा है। फारेस्ट बेल्ट बनाना ठीक है, इससे रेगिस्तान का बाहर से आक्रमण रोक सकते हैं, लेकिन जो इधर रेगिस्तान बन रहा है उसके रोकने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है? फारेस्ट बेल्ट बीच में रह जायगी और दोनों तरफ रेगिस्तान हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि फाइव ईयर प्लान में पेश्तर इसके कि ५६ खतम हो, माननीय सिंचाई मंत्री जी कोई न कोई योजना ऐसी बनावें जिससे इस क्षेत्र की बढ़ती हुई बरबादी को किसी तरह से रोका जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता की कठिनाइयों व मुसीबतों से त्राण देने के लिये सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने अभी जो भाषण दिया उसको मैंने गौर से सुना, लेकिन मैं उस भाषण में यह चीज भी पाता हूं कि वे खुद इस बात को तसलीम करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसमें सम्पूर्णता नहीं

है। वे यह भी मानते हैं कि थोड़ा बहुत करप्शन भी है, कमियां भी हैं और उसको दूर करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। इन तमाम बातों को समझते हुए और इस बात को जानते हुए कि इस स्कीम में सम्पूर्णता अभी नहीं है और कोई भी वेलफेयर स्टेट हो वह एकदम से उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकता है जिस स्टेज पर कि उसको पहुंचना चाहिये, कम से कम सदन को उन्होंने अपने विश्वास में लिया है और मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये एप्रीसिएट करता हूं कि उन्होंने इस बात को तसलीम किया है और इसमें हमारा सहयोग भी मांगा है। उसी स्प्रिट से दो एक बात सहयोग की मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जहां तक इस इर्रीगेशन का ताल्लुक है यह किस तरह से जिले जिले में चल रहा है और किस तरह की खास खास शिकायतें हैं, वह मैं आपके सामने अवश्य पेश करना चाहता हूं। मेरा मंशा यह कदापि नहीं है कि मैं किसी तरह से आपको सहयोग देना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर होकर इसकी जरूरत समझता हूं कि चन्द एक दो बातें आपके सामने रखूं। सम्भव है कि वे चीजें आपके सामने पहुंच गयी हों, लेकिन फिर भी मैं उन्हें आपके सामने अवश्य पेश करना चाहता हूं। एक खास सवाल यहां पर पैदा हो गया है।

"हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड" नाम की एक किताब मैंने पढ़ी है, जिसमें लिखा है कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी है, लेकिन वहां पर एक बड़ा भारी डिफेक्ट यह है कि वहां सर्विसेज मिनिस्टर्स को डामिनेट करती हैं न कि मिनिस्टर्स सर्विसेज को डामिनेट करते हैं। यह एक बड़ा भारी डिफेक्ट वहां पर है जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंटल हेडस, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वे जो चीज उनके सामने रखते हैं उनको मानने के लिये मंत्री मजबूर हो जाते हैं। उनके सामने सिवा इसके कोई चारा नहीं रहता कि जो चीज उनके सामने रखी जाय उसको वे ऐडमिट कर लें। हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्रिटेन में इसके ऊपर सबसे ज्यादा आलोचना हुई है। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में भी इस तरह की बात हो सकती है और पंचवर्षीय योजना में अगर इस तरह की गड़बड़ी हो तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिये सब से मुख्य बात यह है कि यहां का जो एक तरह का यह ट्रेडीशन सा है उसका असर जो इर्रीगेशन मंत्री हैं उनके ऊपर पड़ता है। उनको इसमें सजग होना चाहिये कि उनके डिपार्टमेंट में किसी तरह से करप्शन न हो। मैं अपने यहां का एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। मेरे यहां बरेली जिले में एक ढाल बनना था वहां के लोग मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि बाबू जी ढाल बनवाना चाहते हैं और नहरवाले हमसे ४०० रुपया चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि रिश्वत देना बुरी बात है हम ऊपर से कोशिश करके तुम्हारा ढाल बनवा देंगे। मैंने उनको मना कर दिया। हम लोगों ने मंत्री महोदय से कहा कि एक ढाल बनना है तो उन्होंने चीफ इंजीनियर को लिखा और चीफ इंजीनियर ने जिले के इंजीनियर के पास भेजा। उसने वहां से लिख दिया कि यहां पर लो लेविल है इस वजह से वह ढाल नहीं बन सकता है। हम लोग इस बात को सुनकर खामोश हो गये। मंत्री जी खामोश, क्योंकि वह भी टैक्नीकल एडवाइज के खिलाफ कैसे जायं? तो इस सूरत में वह ढाल नहीं बन सका। तब वह आदमी मेरे पास आये और कहने लगे कि बाबू जी वह तो नहीं बन सका। मगर फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम बनवा लें। वे फिर वहां के इंजीनियर के पास गये और वहां जाकर उन्होंने कहा कि साहब अब बनवा दीजिये। तब इंजीनियर ने कहा कि अब तो यह नहीं बन सकता है। यह बात ऊपर तक पहुंच चुकी है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तब उन लोगों ने मेरे पास आकर कहा कि हम ही उसको बनवा लेते। आपने तो ऐसी सिफारिश की कि वह अब बन ही नहीं सकता है। तो यह मेरे जिले की मिसाल है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यह सही हो या ग़लत, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कुछ ऐसी प्रथा चल रही है कि जो ईमान्दार आदमी हैं वह कहते हैं कि हम क्या करें। हमारी सर्विसेज का संगठन कुछ ऐसा है कि जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उससे कभी कभी परेशानी हो जाती है। यह सर्विसेज का पुराने जमाने से कुछ ऐसा चला आता है कि जिसको हम सुधार नहीं पाये हैं। उनका कुछ एक गुट बना हुआ है और उसका असर मंत्री

[श्री नौरंगलाल]

महोदय पर भी नहीं पड़ता है और उसके सामने सब को झुकना पड़ता है और एक मजबूरी की हालत पैदा हो जाती है कि इसको कैसे तोड़ा जाय। जब तक हम इस चीज को नहीं देखे तब तक हम चाहे कितना भी सुधार करें तब तक करेप्शन दूर नहीं होगा। हम लोग टैक्स से नहीं डरते हैं चाहे कितना भी टैक्स ला जाय और जो वेल फेयर स्टेट होती है वहां पर टैक्स काफी परसेन्ट में लगाया जाता है। तो इन टैक्सेज से हम लोग नहीं डरते हैं। आवश्यक कामों को पूरा करने के लिये जरूर टैक्स लिया जाता है। तो इस खर्चे का सवाल नहीं है कि वह उतना होता है या ज्यादा होता है। लेकिन सवाल यह हो जाता है कि हमारी सद्भावना होते हुये भी वे लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैंने जो इशारा किया है उस खामी को दूर किया जाय। समय इतना कम इस अनुदान पर बोलने के लिये दिया गया है कि उस समय में सारी बात कहना और हर चीज पर प्रकाश डालना मुश्किल है। मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ भी हम बनायें उसके लिये लोगों को शक्ति दें और अगर शक्ति नहीं देते हैं खाली बनाने की ही बात करते हैं तो फिर वह चीज बेकार हो जाती है। अगर कोई भी काम आप कराना चाहते हैं तो उसके लिये शक्ति दीजिये। आप कोई समिति बनाते हैं तो उसके लिये शक्ति होना जरूरी है नहीं तो उसका कोई असर नहीं होगा। वह प्रस्ताव पास करेगी, लेकिन कर कुछ भी नहीं पायेगी। इस कारण काम के लिये शक्ति देना आवश्यक है तभी हम कुछ कर सकते हैं और काम को अच्छी तरह से चला सकते हैं।

श्री बलजन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, समय इतना कम दिया गया है कि उसमें ऐसी कोई बात खासतौर से कही जाय जो माननीय मंत्री जी तक पहुंच जाय और वह कार्यान्वित हो जाय ऐसी कोई बात नजर नहीं पड़ती। मगर फिर भी मुझे २, ४ सुझाव इस सम्बन्ध में देने हैं और मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय उन पर खासतौर से विचार करेंगे। मेरा सुझाव यह है कि हमारी नहर के अन्दर जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज्यादती है और इतने ज्यादा कर्मचारी हैं कि हमारे यहां जो चीफ इंजीनियर हैं वह भी तीन बना दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि ३ के बजाय अगर एक ही बना दिया जाय तो इससे कोआर्डिनेशन भी अच्छे तरीके से होगा और काम की देखभाल भी अच्छी तरह से होगी बमुकाबले इसके कि ३ चीफ इंजीनियर जो इस समय काम करते हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं, जिसको अगर आइन्दा न रखा जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास दिक्कत न होगी। एक तो इस विभाग में जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रखे जाते हैं, वह हैं। जब आप जुडीशियरी को सेपरेट कर रहे हैं तो फिर उनको अलग से इस विभाग के लिये रखने की क्या जरूरत है कि वह अलग से वहां के मुकदमे किया करें? वकील होने के नाते मेरा तजुर्बा है कि वहां के ऐसे बने बनाये मुक़दमे आते हैं और जैसे वहां के गवाह होते हैं और वह इस तरह के होते हैं कि वह एक तरह से जुडीशियरी का फ़ार्स है, मजाक़ है। आज हमारे यहां के गांव के लोग भी इतने डेवलप हो गये हैं कि वह इस तरह के इंसाफ़ को पसन्द नहीं करते। उन के हाथ से यह मुक़दमे ले लेने चाहिये और जिस तरह से फ़ूड वगैरा के और तमाम मुक़दमात दूसरे मैजिस्ट्रेटस् करते हैं, उसी तरह से नहरों के मुक़दमात भी वही किया करें। अगर उनको हटा दिया जायगा तो कोई मुश्किल न होगी वह अपने दूसरे कामों के साथ यह काम भी कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

इसी तरह से मैं समझता हूं कि इस समय जो नहर के कर्मचारियों को टी० ए० मिल रहा है, उसमें भी कमी हो सकती है। पहले भी जब कि यह टी० ए० रखा गया था उस समय उनको घोड़े रखने पड़ते थे, लेकिन आज हमने सर्विस रोड्स उनके लिये बनवा दी हैं और उनके लिये काफ़ी खर्चा भी रखा गया और रखा जा रहा है। तो क्या जब उन के पास कार थी और बाईसिकिल पर वह चलते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले का जो ट्रैवलिंग अलाउंस था, उसमें कमी कर सकते हैं और यह चीज उनको अखरने वाली नहीं है।

इसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि पतरोल का काम इस समय हमारे यहां कागज पर आबपाशी लिखना है तो अगर यह किया जाय कि पतरोल, पटवारी और टयूबवेल आपरेटर के जो काम हैं इन तीनों कामों को हम एक ही आदमी से ले लें, तो इसमें काफी खर्चे में कमी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पटवारी, पतरोल और आपरेटर के लिये अगर एक आदमी ऐसा रख लिया जाय जो एफिश्येंट हों और उसकी अच्छी तनख्वाह हो तो इस समय जो पटवारी और पतरोल की तनख्वाह के लिये झगड़ा है, वह भी निपट जाय और हमारा काम भी अच्छी तरह से हो सकता है।

इसी के साथ साथ मैं यह भी समझता हूं कि मैं जब से इस भवन में आया हूं, पिछले साल भी इस मिनिस्ट्री के सामने मैंने आपरेटरों की शिकायत रखी थी और इस समय भी मैं अपनी मिनिस्ट्री के सामने रखना चाहता हूं कि जो इस समय अत्याचार और रिश्वतें जो बड़े से बड़े कर्मचारी नहीं करते, वह आपरेटर कर रहे हैं। आपरेटर की जिस कदर शिकायत पश्चिमी जिलों में है, मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब को भी इस बारे में पहले से बतला दिया गया है, तो इसका भी इन्सदाद और इसको दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

मुझे इस सम्बन्ध में यह भी बतलाना है कि जो हमारी पश्चिमी नहरों में इस समय कुलाबे कम हो गये यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस नीति के कारण कम हुए। जब इंटेंसिव ऐग्रिकल्चर आप चाहते हैं तो पानी की कमी क्यों करते हैं? आपका इरादा यह भी है कि उसका टैक्स भी बढ़ा दिया जाय और पानी भी न दें। तो यह बड़ी भारी दिक्कत की बात होगी। नहरों के कुलाबे कम करने का नतीजा यह हुआ है कि लोग नहरें काटने लगे और आप तावान बढ़ाने लगे और इस प्रकार जो आपने ही चीज शुरू की और उससे जो नतीजा निकला उस पर तावान बढ़ा करके आप रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। यह भी देखने में आ रहा है। मैंने गंगा की नहर को कई जगह देखा है। उसका मेंटिनेंस इस कदर खराब हो गया कि उसकी सर्विस में कट्स होते हैं और सर्विस रेट भी बढ़ा दिये जाते हैं। अगर यही हालत रही तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को हो सकता है।

मुझे यह भी एक बात कहनी है कि इनकम के जरिये और हो सकते हैं। यह जो टैक्स का जरिया इनकम का है, मैं इसको गैर मुनासिब समझता हूं और यह देश के लिये भी घातक है, क्योंकि इससे पैदावार के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि देश की पैदावार घट जायगी और इससे हमारा सब का नुकसान होगा। अगर मिनिस्ट्री यही चाहती है कि इनकम बढ़े और उनको कुछ रुपया और मिल जाय तो मैं समझता हूं कि यदि देश के लाभ के लिये यह जरूरी है कि कुछ चीजें बनवाई जांय तो मेरा यह सुझाव है कि वह इस तरीके से टैक्स लगाये जो काश्तकारों पर न पड़ करके देश के सभी लोगों पर पड़े, जिनको उनसे लाभ होने वाला है।

मैं अन्त में अपने सिंचाई मंत्री की इस ओर तवज्जह दिलाऊंगा कि उन्होंने एक कमेटी का सुझाव दिया है, मगर जैसा कि श्री नौरंग लाल ने बतलाया है अगर कमेटी बनवाना है तो उसको पावर होनी चाहिये, नहीं तो नाम मात्र की कमेटी बनाना बिलकुल बेकार होगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (ज़िला आज़मगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सूचना मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जो भाषण उन्होंने आज सदन के समक्ष दिया है, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे कुछ सुझाव हैं और मैं आशा करता हूं कि सूचना मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे।

मेरा जिला, जहां से मैं चुन करके आया हूं, आजमगढ़ है। उसके दो भाग हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग के लिये तो टयूबवेलस् का कुछ प्रबन्ध किया गया है और टयूबवेल्स बन रहे हैं। आशा है कुछ दिनों में टयूबवेल्स तैयार हो जायंगे, परन्तु उसी

[श्री ब्रजबिहारी मिश्र]

जिले के पश्चिमी भाग की यह दशा है कि ट्यूबवेल्स से मेरा ख्याल है कि इस सदन को याद है, वहां पर ट्यूबवेल्स आ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे यह शंका हो रही है कि अगर ट्यूबवेल के भरोसे उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाय तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि उस भाग में नहर का विस्तार किया जाय। मेरा एक सुझाव है जो मैंने पहले माननीय सूचना मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि जो घाघरा नहर गोसांईगंज तक जाती है, उसकी शाख बढ़ा कर हम आजमगढ़ जिले तक भी ले जांय। उसको अहरौला तक ले जा सकते हैं। उस भाग में धान बहुत पैदा होता है। उससे उस क्षेत्र का बहुत बड़ा हित होगा। इसके साथ-साथ एक सुझाव और माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। मेरी समझ में यह एक बात नहीं आती है कि नई नहर निकाली जा रही है जो कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और बनारस जिले तक जायेगी। ये जिले, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ जिले की सीमा पर है। लेकिन आजमगढ़ जिला जो निकट-तम पड़ता है, वहां पर उसकी शाख नहीं ले जायी जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि मुझे जहां तक नहर के अधिकारियों से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनका भी कहना है कि आजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग का स्प्रिंग लेविल वही है जो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर आदि जिलों का है। तो फिर क्या कारण है कि आजमगढ़ जिले में उसकी शाख नहीं ले जायी जा रही है? मैं माननीय मंत्री महोदय को बतला देना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में फूलपुर, मधुबन, महमूदाबाद, देवगांव, लालगंज तहसीलें ऐसी हैं जहां धान बहुत ज्यादा पैदा होता है। यह मानी हुई बात है कि ट्यूबवेल्स से धान की पैदावार में कोई फायदा नहीं हो सकता है और ईश्वर की भी कोप दृष्टि है, पानी बरसता नहीं है। सरकार की भी कृपा दृष्टि नहीं है। नहरें नहीं ले जायी जाती हैं। ट्यूबवेल्स की तरफ वहां की जनता ताक रही है। मैं समझता हूं कि इस जिले की हालत स्वाती की तरह हो जायगी न ट्यूबवेल जल्दी बनेंगे, नहरें बन नहीं रही हैं। नतीजा यह होगा कि जनता बिलकुल भूखी और नंगी रह जायगी। मैं उस खित्ते का प्रतिनिधित्व करता हूं। अतएव, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि उस तरफ भी ध्यान दें और जहां तक हो सके नहर की उस शाख को वहां ले जायं।

इन शब्दों के साथ मैं जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इस विषय में मैं अपना यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आज मैं इस सदन के सामने जो सिंचाई का अनुदान है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और सुझाव भी दूंगा।

मैं सूचना मन्त्री को यह बता देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में किसानों पर जितना खर्च पड़ता है, किसान उसको पूरा देने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो खड़ यह है कि उनको रिश्वत देनी पड़ती है। इसकी रोकथाम अगर नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपकी सारी स्कीम असफल रहेगी। किसान पांच रुपये एकड़ सिंचाई देने को तैयार है लेकिन उसको पांच रुपये एकड़ के साथ साथ १० रुपये एकड़ रिश्वत देनी पड़ती है। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जिस हिस्से में बालू उड़ती है वहां पर ट्यूबवेल सफल नहीं हो सकता, क्योंकि साइंटिस्ट्स का कहना है कि ट्यूबवेल में नीचे से नमक आता है जोकि आकर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन स्थानों पर नहरों का प्रयोग किया जाय। जहां पर दूमट मिट्टी है वहां पर ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं जैसे ट्रांस राप्ती एरिया में नहर हमारी तहसील हरइया में बनानी चाहिए। वहां पर दूमट मिट्टी नहीं है। कितना गहरा खोदना पड़ता है, तब जाकर वहां पानी निकलता है। वहां पर एक एक बूंद पानी का महत्व है। तो उस हिस्से में जहां बालू उड़ती है, वहां

नहरों का प्रयोग किया जाय। जहां बालू का हिस्सा है वहां बजाय जमीन पर पानी ले जाने के जो काठ की नालियां होती हैं उनको बनाया जाय। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में काठ की नालियां बनी रहती हैं और उनमें पानी दिया जाता है। तो बजाय सीमेंट और ईंट के काठ की नालियां बनायीं जायं तो कम पैसे में बनेंगी लाभ भी ज्यादा होगा। दूसरी बात जो है, वह यह है कि हमारे सब सरकारी अफसर कोआपरेट करें। बिना कोआपरेशन के कोई काम चलता नहीं, चाहे पटवारियों को हटाइये, चाहे जो कुछ भी कीजिए। लेकिन जब तक सबका कोआपरेशन नहीं होगा, काम ठीक से नहीं होगा। यह भारतवर्ष चूंकि हमारा स्वराज्य का बच्चा है, नन्हा सा है, इसलिये हरएक आदमी का कर्तव्य है कि वह जुट जाय इस काम में। संलग्न हो जायं। न हम किसी की शोषण नीति देखें, न किसी की आलोचना करें। इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि देश के कल्याण की बात सोची जाय। क्योंकि इस पांच वर्ष के मध्य में यह पंचवर्षीय योजना जो हमारी है वह अगर पूरी होती है, सफलीभूत होती है, तो हम सुखी होंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमें मौका है कहीं लड़ाई वगैरह नहीं हो रही है। अगर लड़ाई छिड़ जायगी तो देश या प्रान्त में जो हमारे अच्छे अफसर हैं, जो हमारे पास सिपाही हैं, उनको काश्मीर के मोर्चे पर, पाकिस्तान के मोर्चे पर रहना पड़ेगा। उस वक्त यह सब कुछ नहीं हो पायगा। इसलिये हमें चाहिए कि जो समय हमें मिला है, उसमें हम अपना निर्माण करें। पिछला जो हमारा सप्ताह बीता है उसमें हमारे विद्यार्थियों ने बहुत कार्य किया है। पी० डब्ल्यू० डी० में यह पैसा जो इधर उधर किया जाता है मैं तो कहूंगा कि वह पैसा बच्चों को दिया जाय। बच्चों की हैल्प ली जाय। बच्चे काम करने के लिये तैयार हैं। बच्चों को यह आवश्वासन दिया जाय कि जो इस तरह काम सीखकर निकलेंगे उनको हम सर्विसेज में सुविधा देंगे तो बच्चों के जरिये बहुत सा हमारा काम हो जायगा। इस तरह से सिंचाई के लिये जो माननीय मन्त्री जी ने अनुदान उपस्थित किया है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि वह बहुत सुन्दर है और हमारा सुझाव है कि देश के हित की बात सोची जाय और हम सब मिलकर उसे करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सात मिनट के छोटे से समय में एक ऐसे विभाग की आलोचना करना जिससे कि हमारे माननीय मन्त्री जी जैसे विद्वान अध्यक्ष हों जरा कठिन होता है, लेकिन इतना कहना ही पड़ता है कि जो रिपोर्ट आज हमको बांटी गयी है वह रिपोर्ट उन सब रिपोर्टों से अलग किस्म की है जो पहिले डिपार्टमेंट की तरफ से बांटी जाती थीं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन काल से सन् १९४८ तक जो रिपोर्ट दी जाती थी उनमें कितना मैटर रहता था––

AGRICULTURAL CONDITIONS

1. The seasons
2. Demand and supplies
3. Rainfall
4. Floods
5. Area irrigated by canals
5. (a) Development of rice irrigation on the Sarda Canal
6. Area not maturel
7. Remissions
8. Value of crops irrigated
9. Percentages of Kharif and rabi areas
10. Drains

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

11. Spring levels

12. Wells

यानी सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वर्क्स ऐन्ड प्रोग्रेस आफ इर्रीगेशन रिसर्च इत्यादि की इतनी मोटी एक ४२ पेज की रिपोर्ट हमारे सामने रहती थी। तो उसमें हम अन्दाजा लगा सकते थे कि चैनेल्स का अर्थ, कैनाल्स, माइनर, ड्रेन आदि और जो उन्होंने बतलाया वह सब होता है, लेकिन इतनी छोटी सी रिपोर्ट में जिसकी देखने में सुन्दरता तो जरूर बढ़ गयी है, लेकिन मैटर बहुत ही कम रह गया है। यह हम कैसे पता लगा सकते हैं कि चैनेल्स के बजट में सात माने होते हैं जो कल उन्होंने बतलाये ? उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों के जाल में पड़ जाते हैं तो इसलिये अगले वर्ष से रिपोर्ट का मैटर वह बढ़वाने की कोशिश करें तो हम सब समझ सकेंगे। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह रेट्स के बारे में है। मैंने कल भी कहा था श्रीमन्, कि इर्रीगेशन रेट्स कमेटी सदन ने या किसने नियत की है। इस आदरणीय सदन के द्वारा यह रेट्स कमेटी नियुक्त नहीं की गई और जहां तक मुझे सूचना मिली है उस पुरानी कमेटी की कुल तीन चार मीटिंग हुई। जबकि अरबन एरिया, जमीन्दारी अबालिशन कमेटी को इस सदन ने दुबारा चुना, तो यह इर्रीगेशन रेट्स कमेटी उसी प्रकार दुबारा इस सदन के द्वारा चुनी जानी चाहिए और तब इर्रीगेशन रेट्स पर विचार होना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि इर्रीगेशन रेट्स का और बढ़ाया जाना, डेवलपमेंट और बैटरमेंट लैवी का दूसरा नाम है। पंच वर्षीय योजना की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि डेवलपमेंट लेवी लगायी जाय या इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये जायं। डेवलपमेंट लेवी जमीन पर लगती कही जाती है जहां स्केयरसिटी एरियाज नहीं होते हैं, लेकिन यह इर्रीगशन रेट्स सिंचाई की जमीन पर लगेंगे जोकि स्केयरसिटी एरियाज नहीं हैं। इसलिये खास तौर पर मैं समझता हूं कि आजकल जहां सिंचाई की ज्यादा योजना है वहां के लिये वह रेट्स का बढ़ाया जाना डेलवपमेंट लेवी से ज्यादा गम्भीर है। इसके साथ ही साथ जो इर्रीगेशन रेट्स कमेटी १९४९ की रिपोर्ट श्रीमान्, हमारे सामने है, उसमें रेट्स के दो हिस्से किये गये हैं, एक आक्यूपायर्स रेट और एक ओनर्स रेट। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस हिसाब से यह रेट्स लग रहे हैं। यहां गेहूं की फसल पर इर्रीगेशन रेट्स हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, केवल मध्य प्रदेश में यहां के मुकाबिले में रेट्स कम हैं। इसके साथ साथ गन्ने की फसल पर यहां रेट्स सबसे कम हैं। क्या माननीय मन्त्री जी ने इसका ख्याल रखा है ? श्रीमान्, जहां तक रेट्स का सवाल आता है, मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे अपनी नीति को स्पष्ट करें और यह बतलायें कि कब इर्रीगेशन रेट्स कमेटी के बारे में सदन से अधिकार मिला, कब सदन ने उसके बारे में प्रस्ताव किया ?

हमारे प्रदेश में कुंओं से भी सिंचाई होती है। इस साल के आंकड़ों में मैंने देखा कि ५५ लाख एकड़ जमीन कुंओं से सींची जाती है और ४९ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई नहरों से होती है। माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट में पक्के कुओं का कहीं तो जिक्र नहीं किया है कि कितने पक्के कुएं हैं। माननीय वेंकटेशनारायण जी ने जो आर्टिकिल लिखा था उसमें जहां एक ओर उन्होंने सिंचाई के आंकड़े गलत बतलाये वहां कुओं के आंकड़े भी गलत बतलाये। जितने कुएं सन् ४६ में थे उतने आज नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पक्के कुओं के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान स्टेट ट्यूबवेल की ओर दिलाना चाहता हूं। यह ठीक है कि ट्यूब वेल्स से सिंचाई का एरिया ४ करोड़ से बढ़ कर ९ करोड़ हो गया है लेकिन आमदनी एक करोड़ १६ लाख से ९५ लाख रह गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि टयूब वेल्स में आमदनी घटने का कारण क्या है। इसके साथ ही साथ इसी ग्रान्ट में मेन्टीनेन्स का खर्चा १ करोड़ ६५ लाख से बढ़कर १ करोड़ ७६ लाख हो गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार मेन्टीनेन्स का खर्चा

बढ़ने का कारण क्या है। इसके साथ साथ जहां तक मशीनरी वेल्स या पक्के कुओं का सवाल है, मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि पक्के कुओं को बढ़ाने के लिये और उनकी मरम्मत के लिये एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। जब तक पक्के कुओं के लिये कोई योजना नहीं बनेगी और पक्के कुओं की संख्या पर हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं कि यहां कि सिंचाई की हालत ठीक नहीं हो सकती है। कल माननीय मन्त्री जी ने भारत के नये अवतार के रूप में मन्थरा शब्द का प्रयोग किया, परन्तु जब तक कैकेई नहीं होगी तब तक मन्थरा कार्य ही कैसे कर सकती है। यदि कैकेई रूपी सरकार और यह नौकर शाही मन्थरा समाजवाद के राम का ख्याल करती तो समाजवाद के राम को बनवासी होने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो यही समझता हूं।

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ९ के ऊपर इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये। हम उन सब भाइयों के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट ने जो काम किया है और खिदमात पब्लिक की की है, उनको एप्रिशियेट किया। हम उन भाइयों के भी बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे लिये कुछ सुझाव दिया और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर उन चीजों को देखें और ज्यादा से ज्यादा उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। हम उन भाइयों के भी आभारी हैं कि जिन्होंने हमारी चीजों को पसन्द नहीं किया, पर हमें इस बात का मौका दिया कि हम कुछ और ज्यादा तरक्की करें और अपने आपको इस काबिल बनावें कि आगे चल कर वे हमारे काम को पसन्द कर सकें। नेता विरोधी दल आज भी कल की तरह आंकड़ों में फंस गये। जो हमने आज पुस्तिका आपके सामने दी है उसमें चीजें बहुत सफाई और सरलता के साथ दी हुई हैं। अगर आप उनको देखते तो शायद यह दिक्कतें न आतीं। उन्होंने जिक्र किया मेशनरी वेल्स के बारें में भी हमारे इस प्रदेश में ज्यादा जरूरत है कि आज छोटे छोटे कुवें बनें जिससे कि आम जनता को मदद मिल सके। इसका जिक्र तिवारी जी ने भी किया। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि कई बार इस सदन में इसका जिक्र हो चुका है और हर एक जिले में इस प्रदेश में हजारों मेशनरी वेल्स गवर्नमेंट बनवा रही है और उनके लिये चार सौ रुपया फी मेशनरी वेल्स सबसीडी भी दी है। यह विषय एग्रीकल्चर के मुहकमे का है इसलिये जब उनकी ग्रान्ट आवेगी तब अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो विस्तार पूर्वक आपको इसका जवाब दिया जायगा। आपनें कुछ खड़ी फसलों के बारे में भी जिक्र किया है। बस्ती जिले में आप गये और मिर्जापुर जिले में आप गये, वहां नहरें बन रहीं थीं, उस सिलसिले में खड़ी फसलें लोगों ने काट दीं। माननीय मन्त्री जी ने आपको बतलाया कि सरकार ने बड़ी सख्त हिदायत इस बात की की है कि जहां भी कहीं नहरें बनायी जायं अगर वहां फसल खड़ी है तो उन्हें मौका दिया जाय और वह फसल जब पक जाय और कट जाय तब उस जमीन में काम शुरू हो। आपने बड़ी स्पेसिफिक बात कही है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी नें फरमाया कि अगर आप बतला दें कि ऐसा कहा हुआ है तो गवर्नमेंट उसमें अधिक छानबीन करे और जहां हमारे कर्मचारियों ने गलती की है, उन्हें दन्ड दिया जाय। आपने यह भी फरमाया कि छोटे छोटे टैन्कों की सफाई कराई जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी, 'आप' शब्द का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राममूर्ति—जरा मेरे दांत निकल गये हैं इसलिये लोगों को जरा समझने में दिक्कत होती है।

तो जहां तक टैन्कों का ताल्लुक है, यह तो अच्छा ही हो कि हम इन छोटे छोटे टैन्कों को श्रमदान के जरिये से खोदें और उसमें पानी स्टोर करने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि हम तो सरकार का रुपया रिजरवेयरों में और बड़े बड़े टैन्क में खर्च कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े टैक्स जहां जहां हमें मिलते जा रहे हैं वहां भी हम डैम लगवाते हैं और उनके जरिये

[श्री राम मूर्ति]

कैनाल की जिस तरह से व्यवस्था होती है उसी तरह से उनको भी अपने यहां इन्तजाम में लाते हैं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने इर्रीगेशन कमेटी के बारे में जिक्र किया और आपने भी यह सुझाव दिया कि उसमें जनता के रिप्रेजेन्टिटिव हों। इसमें शक नहीं कि आपने ठीक सुझाव दिया और हमने जो आर्डर्स दिये हैं उनमें जनता के रिप्रेजेन्टिटिव की जगह रखी है।

श्री राजनारायण--आप 'शब्द' हमारे लिये सम्बोधन करते हैं। कभी कभी हमें भी समझने में भ्रम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष----केवल श्री राजनारायण जी के ही ऊपर कृपा नहीं होनी चाहिए।

श्री राममूर्ति----मैं तो आपकी ही खिदमत में अर्ज करता हूं लेकिन जरा ध्यान इस लिये दिला देता हूं क्योंकि हमारे माननीय नेता विरोधी दल जो हैं उन्हें छोटी छोटी बातों में परेशानी होती है इसलिये उनकी परेशानी भी दूर होती रहे।

श्री अध्यक्ष----अगर आप नेता विरोधी दल न कहकर नेता जी कहें तो वे शायद ज्यादा पसन्द करेंगे।

श्री राममूर्ति--मैंने हिदायत दी है कि वहां पंच और सरपन्च दो आदमी लिये जायं। खास तौर पर जहां कैनाल्स बनाई जाती हैं और ट्यूब वेल्स बने हुए हैं उन एरियाज के पंच और सरपन्च लिये जायं, प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लेजिस्लेटर्स एम० एल०एज० ओ० एम० एल०सीज० हैं, इन सबके लिये उसमें जगह है। इसमें शक नहीं कि उस कमेटी में बैठकर इन चीजों को तय करेंगे। यही नहीं जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि खाली हमने एक बार रिज्यूलूशन पास किया और वह रिज्यूलूशन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जायगा, ऐसा भी नहीं है। हमने यह हिदायत दे रखी है कि ज्यादा से ज्यादा जो वहां डिस्कशन हो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हम उन चीजों को जो वहां पर तय हों, अपने प्रोग्राम में ला सकें, उसके जरिये से हमारी मन्शा यह है कि हमारे इस सदन के सदस्य जो हैं उनके लिये भी जनता से ज्यादा सम्पर्क का मौका मिल सके। लोग उनके पास आवें और उनकी शिकायतों को वे उस कमेटी में बैठकर तय कर सकें। जो इन्जीनियर्स हैं, जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स होंगे और जो हैडक्वार्टर्स के इन्जीनियर्स होंगे वह उसमें होंगे।, उस जिले के अन्दर जितने भी डिवीजन्स होंगे और जितने भी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स होंगे वे सारे उसमें बुलाये जाया करेंगे ताकि सब लोग बैठकर उन मसलों पर विचार कर सकें। श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी ने आगरे के बारे में जिक्र किया, हमें उनके साथ बड़ी हमदर्दी है और यह मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि आगरा जिले के अन्दर एक डैम बनने जा रहा है और उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे बान्धों की स्कीमों पर हम जांच पड़ताल और सरवे करा रहे हैं। जहां भी हमको मौका मिलेगा वहां हम बनायेंगे। इस स्कीम के मातहत वहां पर ८ ट्यूब वेल्स भी तजुर्बे के तौर पर खोदे जा रहे हैं। अगर वहां लेयर अच्छी मिली और हमारा तजुर्बा कामयाब हुआ तो वहां ४०,५० ट्यूब वेल्स बनाये जायेंगे।

श्री नौरंग लाल जी ने हमारे सरकारी कर्मचारियों की कुरीतियों का जिक्र किया। इसमें शक नहीं कि इतना बड़ा मुहकमा है, वहां पर बहुत अच्छे लोग हैं कुछ इन्जीनियर्स हैं जो मुल्क को बनाते हैं लेकिन अब हम लोगों की श्रद्धा उनके ऊपर है। यह भी हो सकता है कि इतने बड़े मुहकमे के अन्दर शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ गड़बड़ी भी करते हैं। हमारी तो हमेशा से यह कोशिश रही है कि यदि कोई शिकायत हमारे सामने रखे तो हम बड़ी सख्ती के साथ उसकी जांच पड़ताल करेंगे। हमने यह भी हिदायत कर रखी है कि जिस आफिसर की शिकायत या मुहकमे के किसी छोटे आदमी की शिकायत की जाय तो वह उसमें शामिल न किया जाय। उसके ऊपर का आफिसर या यहां की सरकार के हैडक्वार्टर्स के इन्जीनियर हैं उनको हम भेजते हैं और उनके जरिये से मालूमात कराते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिकायतें दूर हों।

श्री बलवन्त सिंह जी ने घोड़ों के बारे में जिक्र किया था। हमें इस बात की कोशिश करनी है कि फिर से घोड़ों की प्रथा जारी हो जाय ताकि हमारे अफसर गांव-गांव जाकर किसानों की बातें सुन सकें।

एक बात यहां रेट्स कमेटी के बारे में कही गयी। यह मसला बड़ा नाजुक है और इसे कई दृष्टिकोणों से देखना है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बताया था कि इससे लगभग २ करोड़ रुपया जमा होगा जो इर्रीगेशन के महकमे पर खर्च होगा। देखना यह है कि जो रेट्स हैं वे सन् २३ में कमेटी के जरिये से तय हुये थे जो उस समय की फाईनेन्स कमेटी के सामने भी गये थे। उस समय की कीमतों में और अब की अनाज वगैरह की क़ीमतों में बड़ा फर्क हो गया है। यह ठीक है कि इस महकमे में ज्यादा ख्याल अनुपात का नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधन बढ़ाने हैं। जो भुखमरी के कारण सरकार को २,४ करोड़ रुपया हर साल खर्च करना पड़ता है वह बचाना है। चूंकि समय पूरा हो चुका है इसलिये मैं खत्म करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि रेट्स कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई और रेट बढ़ाने का प्रस्ताव कब पास हुआ ?

श्री राममूर्ति--क्या मैं उत्तर दे सकता हूं

श्री अध्यक्ष--हां, दीजिए।

श्री राममूर्ति--रेट्स कमेटी सन् ४८ में गवर्नमेंट ने कायम की थी और इसी सदन के दो सम्मानित सदस्य श्री केशव गुप्त और ठाकुर फूल सिंह ने इस प्रान्त में घूम कर जिले जिले में किसानों से बातें करके अपने ख्यालात बनाये थे। कमेटी की रिकमेन्डेशन तो १०० फीसदी रेट्स बढ़ाने की थी लेकिन सरकार ने केवल ५० फीसदी ही बढ़ाये और यह कहा था कि हम स्थिति को देखकर फिर राय कायम करेंगे। अब चूंकि समय हो गया है, फिर ज्यादा उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय मुझे निराशा हुई जबकि मैंने अपने उपमंत्री महोदय की बातों को सुना, बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या सिंचाई के साथ जो इतना महत्वपूर्ण विषय है यों ही खेल होता रहेगा या इसमें कुछ सुधार होगा और उत्पादन बढाने की चेष्टा होगी ? जब मैं देखता हूं कि पुराने कामों का समर्थन करने के लिये मंत्रीजी खड़े हो जाया करते हैं तो मुझे मालूम होता है कि उनकी गतिविधि में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है और फिर यह कहा जायगा कि राजनारायण जी उलझ गये। हमारे सामने जो आंकड़े रखे जाते हैं हम तो उन्हीं को देखकर बातें करते हैं। मैं यह बता दूं कि जिस दिन पिछला सदन उठा उसके २ दिन बाद मैंने सरकार को खत लिखा था कि बजट अधिवेशन आ रहा है और उसमें जो मुख्य बातें होती हैं उनकी जानकारी कराइये। यहां आने के चार दिन बाद हमको उत्तर मिलता है कि हमारा खत उनको मिला और हम आपको बतलाते हैं कि इन तमाम बातों की जानकारी के लिये २ साल लग जाते हैं और आडिट रिपोर्ट जो हमारे सामने रखी जाती है उसमें दो साल का हिसाब होता है।

हमारे माननीय मंत्री कमलापति जी ने इस बात के लिये क्षमाप्रार्थना की कि आज ही उन्होंने रिपोर्ट रखी। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि अगर हमें ये चीजें पहले नहीं मिल जातीं तो इनको ठीक तरह से समझने में हमें दिक्कत होती है। अब जो पत्रिका आज बांटी है उसमें सिंचाई योग्य क्षेत्रफल ६७ लाख ८० हजार एकड़ लिखा हुआ है सन् ५१-५२ में ७१ लाख ५ हजार एकड़ कुल सींचा गया क्षेत्रफल है और ४१-४२ में सींचा गया क्षेत्रफल ६० लाख २५ हजार एकड़ था। अब बात समझ में नहीं आती कि मैं आंकड़ों में उलझा हुआ हूं या माननीय मंत्री जी का सारा डिपार्टमेन्ट उलझा हुआ है। सींचे जाने के योग्य तो क्षेत्रफल ६७ लाख और सींचा गया क्षेत्रफल ७१ लाख। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि

[श्री राजनारायण]

इस तरह के आंकड़ों में समय न बरबाद किया करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आइन्दा से सूचना विभाग को बन्द कर दिया जाय अगर ऐसे आंकड़े निकलते हैं।

श्री रामभूति--मैं आपको इत्तिला के लिये आपको एक सूचना दे दूं कि आपने इर्रीगेबिल और इर्रीगेटेड इन दो लफजों में अपने को कन्फयूज कर लिया है। एक तो हमारा कमान्ड एरिया होता है जिसमें पानी दिया जा सकता है और जिसमें पानी कुल दिया जाता है तो वे इन दोनों के फर्क को समझ लें।

श्री राजनारायण--श्रीमान्, अब और तमाशा बन गया। सिंचाई योग्य जो क्षेत्रफल है वह है कम यानी ६७ लाख एकड़ और जो सींचा गया वह है ज्यादा यानी ७१ लाख एकड़। तो इन दोनों बातों को देख लें। अब इसके अतिरिक्त एक जो दूसरी पुस्तिका है, इसमें जो फिगर्स हैं इस पुस्तिका में उत्तरप्रदेश "फिगर्स १९४५-५२" के पृष्ठ ३ पर देखिये। १९५१ में कुल एरिया जो सींचा गया वह है ७१ लाख ५ हजार १५८ और ४५-४६ में था ५९ लाख ५३ हजार ७७६। ४७-४८ में था ५४ लाख तो ४७-४८ की फीगर को ५१-५२ की फिगर से घटा दीजिये तो १६ लाख जो माननीय वित्त मंत्री जी ने फिगर बताई है वह पूरी हो जाती है। लेकिन यह २२ लाख एकड़ की फीगर सन् ४०-४१ की फीगर को घटाने से आती है। लेकिन यह सरकार तो दृष्टि को खोलकर तमाम आंकड़ों पर ध्यान नहीं करना चाहती। चाहिये तो यह था कि सही सही आंकड़े सही रूप में रखे जाते लेकिन यहां तो आंकड़ों को और ही ढंग से रखा जाता है। जिस तरह से कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी को ४७ घटाना चाहिये था लेकिन उन्होंने घटा दिया ४० का आंकड़ा इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने जितने फीगर्स दिये हैं वह सब सन् १९४६ ई० के बाद के दिये हैं। इसलिये श्रीमन्, मैं केवल एक मिनट में यह बात कह देना चाहता हूं। सारी बात जो इसमें आती है वह रेट बढ़ाने की चीज है। चाहे कमेटी भी बनी हो मगर मैं चाहता हूं सरकार की ओर से आश्वासन कि भिन्न भिन्न नाम से नये कर का बोझा किसानों के सिर पर न लादा जाय। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिंचाई का रेट बढाया जा रहा है वह किसानों के हित में गला काटने वाला होगा। अगर आप इस तरह से गला काटेंगे तो फिर किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिये नहरों के पास बहुत कम जायगा और उसका उत्पादन बहुत कम हो जायगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं दे सकती है। यही कारण है कि आप रेट को बढ़ाकर किसान को मजबूर करेंगे कि वह नहरों के पास सिंचाई के लिये नहीं जायगा और जब वह नहीं जायगा तो उसके खेतों की सिंचाई ठीक तरह से नहीं हो पायगी और परेशान हो जायगा और उसका उत्पादन कम हो जायगा। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, क्या इर्रीगेबिल एरिया इर्रीगेटेड एरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--अब समय नहीं है। इसको आप फिर कभी पूछ लीजिये।

(श्री राजनारायण से) क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राजनारायण--श्रीमान्, यह इतना महत्वपूर्ण कटौती का प्रस्ताव है। इसको हम कैसे वापस ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य स्थापना व्यय को छोड़कर (लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख) के अन्तर्गत २, २८, १९, ००० रूपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

हज कमेटी के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नाम वापस लेने की अवधि में वृद्धि

श्री अध्यक्ष--एक सूचना दे देना चाहता हूं। हज कमेटी के लिये आज एक बजे तक नाम वापस लेने का समय दिया गया था, लेकिन मुझसे प्रार्थना की गयी है कि नाम वापस लेने के समय को बढ़ा दिया जाय क्योंकि चुनाव इतने शीघ्र होने वाले नहीं हैं, छुट्टियों के बाद होंगे, इसलिये मैं समय को बढ़ा देता हूं और नाम वापस लेने का समय ५ मार्च, १९५३ तक है जो नाम वापस लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद चुनाव होंगे।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान सं०--१० (लेखा शीर्षक १७,१८, १९ और ६८) सिंचाई पर व्यय

सूचना मन्त्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)--डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत २,२४,००,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय। श्रीमन्, अभी ग्रांट सं० ९ इस सदन ने स्वीकार किया है। यह जो अनुदान संख्या १० है, इसका ताल्लुक इस्टैब्लिशमेंट चार्जेज से है। जो इस्टैब्लिशमेंट इस सूबे में नहरों की व्यवस्था चलाने और संचालन करने के लिये आज मौजूद है, नहर के विभाग के छोटे बड़े कुल मिला करके १८,००० से अधिक कर्मचारी हैं, जो हमारे सूबे के कोने कोने में या मैं यूं कहूं कि गांव गांव के उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई की व्यवस्था सरकार की ओर से कुछ थोड़ी बहुत फैली हुई है मौजूद हैं। साथ ही साथ इस ग्रान्ट के द्वारा हम उन कामों को भी करते हैं, जो हमारे नये कांस्ट्रक्शन वर्क होते हैं फाइव इयर्स प्लान के अधीन। और हमारे इस इस्टैब्लिशमेंट में वह तबका भी शामिल है जोकि नहर के रेट्स का एसेसमेंट करता है और नहर के रेट्स वसूल करता है। इस प्रकार आप देखें कि एक तो इसमें हमारे करीब १८ हजार कर्मचारी शामिल हैं। हमारे इस प्रदेश में जो कार्य अगले साल होने वाले हैं वे करीब ६ करोड़ रुपये के नये कार्य हैं, जिनके सम्बन्ध में अभी आगे अनुदान इस सदन के सम्मुख पेश होगा। पिछले ५,६ वर्षों से इसमें हमारे काम काफी आगे बढ़े हैं और इस प्रकार बढ़े हैं कि सन् ५३ मार्च के अन्त तक जोकि यह चल रहा है २०,०४५ मील इरगेशन चैनेल्स हो जायेंगे। ९,८१० मील ड्रेनेज, स्कैप्स, ट्यूबवेल्स गुल्स, १४ स्टोरेज, रिजर्वायर्स, डाम्स, ट्यूबवेल्स २,६१३ और बहुत से छोटे छोटे चेक्स और चैनेल्स हैं। इस प्रकार ये तमाम इसी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, जिसका सारा खर्चा इसी अनुदान से किया जाता है। १९४६ में जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, जो हमारे नहरों की लम्बाई थी, जितने हमारे ट्यूबवेल्स थे, जितनी लम्बाई हमारे ड्रेनेज, स्कैप्स ट्यूबवेल्स गुल्स की रही है उन सब में काफी वृद्धि हुई है और ये सारे काम जो पिछले साल में होते रहे हैं और उनमें जो किसी प्रकार से वृद्धि हुई है, जो लोग आज मौजूद हैं उन्हीं के द्वारा कराये जाते रहे हैं। तो यह इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है और मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अनुदान की स्वीकृति प्रदान करें। इसमें इतनी बात और निवेदन करना है कि इसी विभाग के द्वारा हाईडेल इलेक्ट्रिक का जो कांस्ट्रक्शन होता है वह भी तमाम कराया जाता है। जैसे कि पथरी का पावर हाउस बन रहा है या शारदा पावर हाउस बन रहा है या जो और पावर हाउसेज बनेंगे जिनको आप अभी अगली डिमांड में देखेंगे जब हाईडेल की डिमांड आयेगी गाजीपुर में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में, फैजाबाद में, मैनपुरी में जहां कहीं भी काम होता है पावर हाउस का, वह इसी विभाग के द्वारा होता है। अगले साल हाईडल वर्क्स में १ करोड़ १० लाख का कांस्ट्रक्शन का काम इलेक्ट्रिसिटी विभाग में हुआ है वह इसी विभाग के जरिये से किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है उसका परसेंटेज अगर निकाल दिया जाय तो हमारे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माननीय सदस्यों को यह अन्दाजा लगेगा कि यह कोई बहुत अधिक परसेंटेज नहीं पड़ता है जितना कार्य हो रहा है उसके सिहाब से । मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह अनुदान स्वीकार की जाय ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में कटौती पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय । उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जैसा कि सिंचाई मन्त्री जी ने फरमाया इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा सम्बन्ध रखती है । मैं उसी से इस समय अपने को कंफाइन्ड अप रक्खूंगा सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वे लोग सिंचाई विभाग सम्बन्धी आंकड़े भी तैयार करने का काम करते हैं । उन आंकड़ों में जो गलतियां होती हैं उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है । इस समय बहुत थोड़ा वक्त है और जिस समय उनके ऊपर बहस चलेगी उस दिन मैं समझता हूं कि इस सम्बध में हमको विचार करने का मौका मिलेगा । मैं माननीय सूचना मन्त्री जी से यह निवदन करना चाहता हूं कि सूचना मन्त्री की हैसियत से उनको उस दिन कई सूचनाएं देनी होंगी और उस सूचना पर फिर हम विचार करेंगे और इन आंकड़ों की वेलेडिटी के लिये जो हमारे लिये चुनौती है उस दिन हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे । मैं इस समय केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग इस विभाग में काम करते हैं उनमें माननीय सूचना मन्त्री जी यह भावना पैदा करने की चेष्टा करेंगे कि जहां वह एक तरफ सरकार के मुलाजिम हैं वहां दूसरी तरफ बनिया वृत्ति से सौदा बेचने वाले हैं पानी बेचना, कपड़ा बेचना जो कुछ बेचने का काम है उसमें उस सौदा बेचने वाले में कितना सौजन्य होना चाहिए, कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, यह सब बातें वजन रखती हैं । महात्मा जी बराबर कहा करते थे कि गांधी आश्रम पोस्ट आफिस है जहां टिकट खरीदने में कोई भाव-ताव नहीं होता और पोस्ट आफिस समझकर ही गांधी आश्रम में काम करना चाहिए । मैं सिंचाई विभाग से भी यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के बारे में तो, उपाध्यक्ष महोदय, छोड़ देता हूं कि मेरी जानकारी क्या है, जो ट्रेजरी बेंचेन्ज की तरफ बैठने वाले सदस्य हैं उन्होंने जो अपनी राय जाहिर की है उससे माननीय सूचना मन्त्री जी को तथा उस विभाग के कर्मचारियों को कुछ सबक लेना चाहिए । मेरी थोड़ी सी जानकारी है । उस जानकारी को मैं माननीय सूचना मन्त्री जी की सेवा में जरूर रखना चाहता हूं । देवरिया, गोरखपुर, और बस्ती में भी ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं। मैंने तीनों जिलों में ट्यूबवेल्स के प्रबन्धकों से नजदीक से जाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की । ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, उन्हीं के किनारे खेत सूख रहे हैं लेकिन उन ट्यूब वेल्स से लोग पानी नहीं ले रहे हैं, यह अजब बात है । मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आखिर तुम ट्यूब वेल्स से पानी क्यों नहीं लेते । उनका यह कहना है कि ट्यूबवेल्स से जिस वक्त हम पानी लेते हैं हमें यह भरोसा नहीं रहता है कि ठीक ठीक लिखा भी जायगा, जितना हम पानी लेते हैं उससे बहुत ज्यादा लिख दिया जाता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी लेते तो बहुत ज्यादा हैं मगर लिखा बहुत कम जाता है, यह जहां पर बनिया वृत्ति और तिजारत की बात होती है वहां ईमानदारी की बड़ी जरूरत पड़ती है । अगर वह कोई समझ ले तो खरीदने वाले हमेशा उसके ऊपर अपने को छोड़ देते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मनोवृत्ति किस तरह से पैदा हो सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में, इसका प्रयत्न करना चाहिए । यह बात सही है कि बहुत सी कोशिशें ऐसी की गयी हैं कि पानी जितने गैलन जिसके खेत में जाता है उतना ही लिखा जाय लेकिन आदमी आदमी है और मशीन मशीन है, रोज उसका पहरा नहीं दिया जा सकता । इसलिये बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं अबकी जब ओले पड़ने के सिलसिले में हम लोग देवरिया गये तो हमारे साथ में डाक्टर लोहिया साहब थे । उनसे हमने कहा कि जरा आप भी देखने जाइए क्योंकि आप भी किसानों के नेता हैं। तो उन्होंने आध घंटे तक सारी बातों की जानकारी की तो यह मालूम हुआ कि केवल दो हजार घंटे उसने काम किया है वर्ष भर में जबकि ८ हजार घंटे काम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी । तो अगर ज्यादा से ज्यादा पानी हम लोगों को पहुंचा सकें और साथ ही सस्ती कीमत पर, तो ज्यादा

मुनाफा होगा। लेकिन अगर मंहगी कीमत हम लें और कम से कम पानी बिके तो निश्चित है कि हमारी आमदनी घटेगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस मामले पर पूरी तहर से गौर होना चाहिए कि किस प्रकार हम ठीक ठीक पानी लोगों को पहुंचा सकें और उसका कम दाम लें ताकि लोग ज्यादा पानी लेने के लिये तैयार हों।

दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं। इससे बहुत नजदीक का सम्बन्ध शायद उसका न हो, लेकिन मैं माननीय सूचना मन्त्री जी से इसके लिये क्षमा चाहूंगा कि रेट बढ़ाने वाली बात का भी थोड़ा सा इस्टैब्लिशमेंट से सम्बन्ध है। रेट बढ़ाने वाली बात के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १८६७ से लेकर १९०५ तक कोई रेट बढ़ाने की जरूरत अंग्रेजी सरकार को नहीं पड़ी। १९०५ तक ही नहीं बल्कि १९२३ तक कोई रेट नहीं बढ़े और १८६७ और १९२३ के बीच में एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि १९१४ से १९१८ तक की लड़ाई बीत गयी। उस जमाने में जितना अनाज का भाव तेज हुआ था वह भी हमारे कहने की जरूरत नहीं है, सारा सदन जानता है, लेकिन फिर भी सिंचाई के रेट्स बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अब की मर्तबा इस बजट में, जबकि सन् १९४६ से १९५२ तक कितनी ही मर्तबा सिंचाई के रेट्स बढ़ाय गय हैं आज भी सिंचाई के रेट्स बढ़ाये बिना काम नहीं चल रहा है और ५० फीसदी रेट्स बढ़ाये जा रहे हैं। किसानों के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार की यह धारणा हो गयी है कि किसान खुशहाल हैं, उन्हें इस धारणा को बदलना चाहिए। अगर यह धारणा न बदली गयी तो हमारे देश की जो रीढ़, किसान हैं वह बोझा लदते लदते टूट जायेगी। इसके अलावा न जाने कितने करों का बोझ अप्रयत्क्ष रूप से उनके ऊपर पड़ रहा है। कपड़े और तेल आदि के रूप में जितनी भी चीजें वह खरीदता है। उन पर उसको कर देना पड़ता है। इधर तो प्रान्तीय सरकार को वह गन्ने पर कर देता है उधर एक्साइज डियूटी के रूप में केन्द्रीय सरकार को भी देना पड़ता है। इसके अलावा उसकी जो सुविधायें हैं उन सुविधाओं की तरफ कम से कम ध्यान दिया जाता है। आगे के जो अनुदान आयेंगे उन अनुदानों के सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि उसकी सुविधाओं की तरफ कितना ध्यान दिया जाता है। ऐसी हालत में किसान के ऊपर बोझ लादने की अगर यही नीति चलती रही तो उस किसान की हालत उस मुर्गी की सी होगी जिससे एक ही मर्तबा में सब अन्डों को लेने की कोशिश की गयी थी। मैं यह मानता हूं कि इसका अधिकतर बोझा पश्चिमी जिलों पर पड़ेगा, लेकिन चाहे पूर्वी जिले हों या पश्चिमी जिले हों, कर का बोझ किसान के ऊपर सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अब पूछा यह जायगा कि रुपया कहां से आयेगा ? रुपये लाने के लिये सोचा जा सकता है। उसके बहुत से साधन हैं, ऐसे साधन हैं जिन साधनों से काफी रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। मैं आपसे एक ही बात निवेदन कर दूं। आपने पिछले साल सेस का ३ करोड़ ९० लाख रुपया वसूल करने से छोड़ दिया। आखिर पब्लिक एक्स्चेकर से यह रुपया कम हो ही गया है फिर यह जो इर्रीगेशन टैक्स आप वसूल कर रहे हैं सब मिलाकर वह ३९० लाख नहीं हो सकता। जो लोग टैक्स देने के लायक हैं उनसे रुपया नहीं लिया जाता और जो देने के लायक नहीं हैं उनसे वसूल किया जाता है और उन पर इसलिये यह बोझा बराबर डाला जाता है कि उसे स्वीकार कर लेते हैं, वे हुकूमत के बहुत लायल हैं, वफादार हैं। मैं कहूंगा कि उनके ऊपर यह बोझा डाला जाना ठीक नहीं है।

अन्त में एक बात और कह दूं कि सिंचाई के लिये रेट्स बढ़ाये जाते हैं या सिंचाई के लिये खर्चा लिया जाता है तो जिस अनुपात में यह रुपया उनसे वसूल किया जाता है उसी अनुपात में सिंचाई मंत्री को उनकी उपज भी बढ़वाने की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिये। सरकारी नौकरियों में इस बात की क्षमता देखी जाय कि उन्होंने अपने इलाके में कितनी उपज बढ़ाई है। ऐसा हिसाब अवश्य रखा जाय जिससे यह देखा जा सके कि फलां इलाके में इतना पानी अधिक दिया गया, इतनी उपज अधिक हुई और फलां इलाके में लोगों को आसानी से पानी दिया गया जिससे हम अफसरों के बारे में समझ सकें कि कौन अफसर कैसा काम करता है। मैं समझता हूं कि इसकी सख्त जरूरत है। जो कोई भी इन्जीनियर हो, सिंचाई विभाग का अफसर हो, उसकी कारगुजारी देखने के लिये इस बात के

[श्री सेवा सिंह]

जानने की अत्यन्त आवश्यकता है कि उसके जमाने में उस इलाके में कितना अन्न ज्यादा हुआ, कितनी कैश क्रोप हुई और कितनी अनाज की पैदावार हुई, कितने ज्यादा पानी का उपयोग किया गया और पहिले से अधिक सहूलियत के साथ लोगों को पानी मिला। अगर यह चीज होगी तो निस्सन्देह हम जान सकेंगे कि कौन अफसर ईमानदार रहा, किसने कारगुजारी दिखाई और उन हरामखोर मुलाजिमों की पोल खुल जायेगी जो घर बैठकर जनता का पैसा तनख्वाह के रूप में खाते हैं तथा जो ईमानदार आदमी होंगे उनकी सुर्खरुई होगी। इसी से जनता को भी लाभ ज्यादा पहुंच सकेगा तथा गवर्नमेंट का जो मकसद है वह भी पूरा हो जायगा।

ये दो तीन बातें मैं जल्दी में कह गया। अब केवल मुझे यह और कहना है कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो राप्ती के बान्ध की चर्चा की है, जोकि गोरखपुर और देवरिया को पानी देने वाला है, उसके लिये मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी को धन्यवाद देने के लाभ से अपने को वंचित करने में मजबूर हूं। इस बान्ध से मैं समझता हूं कि ५० हजार एकड़ से अधिक जमीन को लाभ पहुंचेगा। यह तो केवल मैं देवरिया की बात करता हूं, लेकिन गोरखपुर में करीब ५० हजार एकड़ जमीन को लाभ पहुंच सकता है। इसके अलावा और भी कमी हो सकती है। लेकिन मैं उसका चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो ऐसी बात का सुझाव देना चाहता हूं कि जिसको सब जानते हैं और वह यह है कि जिस तरह से सिंचाई विभाग में करेप्शन है और भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की दिशा में उम्मीद करता हूं कि अगले साल के बजट में, जब वह यहां पर आयेगा और सिंचाई मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें इन तीन बातों का उल्लेख होगा कि भ्रष्टाचार दूर हो गया, अनाज की उपज ज्यादा बढ़ गई और इतना पानी खेतों को दिया गया कि जितनी उनको आवश्यकता थी।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री दाताराम से) इस अनुदान के लिये आधे घंटे का समय दिया गया है। तो आप अपना भाषण ५ मिनट के अन्दर ही समाप्त करने की कृपा करें।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो अनुदान पेश हुआ है उसमें ट्यूबवेल की जो बात रखी गई, मैं उसकी बाबत कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे जिले सहारनपुर में भी मेरे क्षेत्र तहसील नकुड़ में कुछ ट्यूब-वेल बन रहे हैं। वहां पर उनके लिये पिछले अक्तूबर के महीने में सड़क बनाई गई है और उसके लिये ऐसा हुआ है कि कुछ गेहूं के खड़े हुए खेतों को काटकर वह सड़क बनाई गई है, लेकिन आज तक वहां पर कोई काम ट्यूबवेल का नहीं शुरू हुआ है। इससे बेहतर तो यह होता कि जब यह ट्यूबवेल बनने शुरू होते तभी गेहूं के खेतों को नुकसान पहुंचाया जाता। अब वहां पर वह सड़क ६ महीने पहले बना दी गई, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले सहारनपुर में एक यमुना की नहर है उससे बहुत ज्यादा हिस्सा खराब होता है। अभी हमारे सामने जो आबपाशी के रेट को डयोढ़ा करने का सवाल पेश है वह हम किसानों पर बोझा बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन किसानों को उतना पानी नहीं मिलता है जितना कि किसानों के लिये जरूरत होती है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से काश्तकार कैसे बरदाश्त कर सकते हैं। टैक्स तो बढ़ाया जाय कोई बात नहीं वह तो गवर्नमेंट की मरजी है उसको बढ़ाना भी चाहिये, लेकिन पानी भी किसानों को उतना ही मिलना चाहिये कि जितने की उनको जरूरत है। बाज जगह ऐसा होता है कि एक दफा जब पानी आ गया तो फिर पानी नहीं आता है चाहे वह खेत फिर सूख ही जाय, लेकिन जो रेट चार्ज किये जाते हैं वह पूरे पानी के चार्ज किये जाते हैं। इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि उनके खेतों में पानी आया है या नहीं आया है। मैं एक मिसाल देता हूं कि हमारे यहां यमुना की नहर पर एक रजबहा है, जिसको हंगावली के नाम से कहा जाता है। उसकी टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। इसकी बराबर दरख्वास्त दी जाती रही

हैं, लिखा पढ़ी हो रही है और मैंने इसके लिये कुछ सवाल भी किये थे, लेकिन उनका जवाब यही दिया जाता है कि नहीं, साहब पानी पहुंचता है। पता नहीं कि मैं जो वहां का रहने वाला हूं उसको तो मालूम नहीं और मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन सरकार कहती है कि वहां पर पानी पहुंचता है। यह क्या बात है यह समझ में नहीं आता। मैं सूचना मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसी बातों की तरफ ध्यान दें। अगर हमारे मुल्क में पानी और खाद का अच्छा प्रबन्ध हो जाय तो जो जापान का धान के तरीके का जो चर्चा हो रहा है कि वहां पर बहुत धान पैदा किया जाता है तो मैं यह समझता हूं कि हमारा किसान जापान से भी ज्यादा यहां पर पैदा कर सकता है। लेकिन उसके लिये पानी और खाद का अच्छा इन्तजाम किया जाय। दिक्कत यह है कि जनता की जो इच्छा है और काश्तकारों की जरूरत को पूरा करने के लिये जो कमी है उसको पूरा करने के लिये कोशिश नहीं की जाती। अभी इस यमुना नहर की अपर डिवीजन के लिये जो ३ लाख की मांग रखी गई है उसके लिये मैं सूचना मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि अगर अपर डिवीजन के लिये ३ लाख भी और रख दिया जाता तो उस यमुना का पानी जो बेकार जाता है वह ज्यादा उपयोग में आ सकता था क्योंकि ६ महीने तक धान को जून से नवम्बर तक पानी की जरूरत होती है। इसलिये मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सूचना मंत्री मेरे इस विषय पर ध्यान देंगे।

सिंचाई उप मन्त्री (श्री राम मूर्ति)--क्या अभी कुछ समय इसके लिये है ?

श्री उपाध्यक्ष--समय तो कम है, ५ मिनट आप ले सकते हैं।

श्री राम मूर्ति--माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने जिन बातों का जिक्र किया, मैंने उनको बड़े गौर से सुना। उन्होंने खास तौर पर विभाग के कर्मचारियों में करप्शन है उसका जिक्र किया। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यह इतना बड़ा विभाग है कि उसमें अगर कुछ आदमी ख़राब हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और मैंने यह भी कहा था कि जब तक कोई स्पेसिफ़िक इन्सटेन्स न बतलाई जाय जब तक किसी मामले में आमतौर पर जांच करना मुश्किल है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ज्यों ही कोई माननीय सदस्य बतलायेंगे कि फलां आदमी गड़बड़ी करता है उसके खिलाफ मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हम कड़े से कड़े तरीके बरतेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की खिदमत और उसकी जरूरत को पूरा कर सकें। परन्तु आप एक बात न भूलें और वह यह है कि यह चीज कोई हमारे ही विभाग के ऊपर के या नीचे के कर्मचारियों के विषय में नहीं है बल्कि यह विभाग हो या और दूसरे विभाग हों हमारे यहां जब कि मुल्क पिछले सौ साल से ज्यादा से गुलाम था और बराबर एक्सप्लायटेशन होता था और इसी वजह से उस समय हमारा, हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ और जब तक हमारे समाज का नैतिक स्तर ऊपर नहीं उठता उस वक्त तक यहां एक दो विभाग के सिलसिले में ऐसी बात कह देने से कोई लाभ नहीं होता। पिछले साल भी ऐसी बात कही गई थी और जब भी इस विभाग की बात आती है तो ऐसा जिक्र आता है, लेकिन यह एक विभाग की बात ही नहीं बल्कि यह तमाम समाज की बात है और इस नैतिक स्तर को जनरली हम सबको ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये और जब वह ऊपर उठेगा तो जरूर हमारी फ़ारिग़उलबाली बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी और बढ़ोत्तरी हर तरह से होगी और जो लोग गिरे हुए हैं वह भी अपने को सुधारेंगे और हर विभाग में बेहतर हालत हो सकेगी और छोटे और बड़ों सभी का नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा।

माननीय दाताराम जी ने कहा कि उनके यहां पानी की बहुत कमी है। उनके यहां पानी का इंतजाम करने के लिये ही ईस्टर्न यमुना कैनाल निकाली गई है और उसके बनने के बाद तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पानी की कमी नहीं रहनी चाहिये। और खास कर धान के जमाने में तो हमारे यहां पानी यों ही काफी रहता है बल्कि मैंने खुद मैनपुरी और इटावे में देखा कि वहां पानी काफी रहता है। मैंने देखा कि मैनपुरी में इस साल ३६ हजार और इटावे में

[श्री राममूर्ति]

८ हजार से ५२ हजार एकड़ धान की सिंचाई हुई और फ़र्रुखाबाद और एटा में भी काफ़ी अच्छी फसल थी और गंगा जमुना की कैनाल्स में पानी कम नहीं रहता और धान की पैदावार में भी वहां कोई कमी नहीं आई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस पर काफी विवाद हो गया। अब उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सूचना मंत्री जी के उपमंत्री जो हमारे मित्र हैं, मुझे हक़ है कि उन्होंने जो कुछ भी मुझे आश्वासन दिया उस से कुछ संतोष तो हुआ और मैं यह समझता हूं कि आगे के वर्ष में कुछ इससे ज्यादा सुधार हो जायेगा लेकिन एक बात मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि जब हम सारे समाज के स्तर को ऊंचा उठाने की बात और उसके लिये कोई योजना पेश करते हैं तो उससे हमारे मित्र श्री राममूर्ति जी इन्कार करते हैं और अगर वह इन्कार न करते होते तो हम और वह दो जगह ही क्यों बैठते? सारे समाज का स्तर उठाने की बात है वह तो हमें श्री राममूर्ति जी से सीखनी है, उनसे हमने खुद जेलखाने में पढ़ा है, हम तो जेल में रहे, सूचना मंत्री का भी शिष्य होने का दावा है, लेकिन गुरु और शिष्य का इतना फ़र्क़ समझ नहीं पा रहा हूं कि शिष्य समझ रहा है कि जो कुछ भी करते जा रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। यह मैं जान लेता कि सब समाज का स्तर एक साथ उठेगा तो उनका भी उठेगा, लेकिन हमारी कमर पर जो बोझ डाल कर वह चले जा रहे हैं करों का उसकी वजह से जो हम कराह रहे हैं, उस कराहने का मौका तो देंगे ही। हमारे ऊपर कर का बोझ बढ़ाया और खूब हमने दूसरी तरफ कहा कि अपने अफसरों को भी सुधरने का मौका दीजिये, उनको सुधरने के लिये प्रेरणा दीजिये तो कहते हैं कि समाज का स्तर गिरा हुआ है इसलिये वे भी गिरे हुए हैं और वह ऐसे ही बने रहेंगे। अगर यह उनको कहने का मकसद नहीं है कि वह ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन जो मतलब निकलता है वह यही निकलता है कि चूंकि समाज का स्तर गिरा हुआ है, समाज का स्तर जब तक नहीं उठेगा तब तक उनका भी स्तर गिरा रहेगा। यह बदकिस्मती से मैंने ऐसा समझा। मेरा मन नहीं कहता है कि मैं ऐसा समझूं, लेकिन मैंने ऐसा ही समझा और इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जहां एक तरफ वह सारे समाज का स्तर उठाने का दावा करें और उसके लिये कोशिश करें और दूसरी तरफ हमारे ऊपर कोई बोझ न डालें तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऊपर कर का बोझ डालते हैं तो हमें कहने का हक़ है कि अपने नौकरों से, अपने काम लेने वालों से वह ठीक इस तरह से काम लेने की हिदायत करें जैसे खरीदने वालों के साथ व्यवहार होता है। हम खरीदने वाले हैं और वह हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि खरीदने वालों के साथ इज्जत का और उनकी सुविधा और सहूलियत का ध्यान रख कर बरताव किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री गेंदा सिंह--जी नहीं, वापस तो नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई पर व्यय (लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८) के अन्तर्गत २,२४,००,००० रु० की मांग मंजूर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

२७ फरवरी, १९५३ को सदन की बैठक न करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कल इस सदन की बैठक न हो और कल का कार्य जो है वह २१ मार्च को ले लिया जाय।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—गवर्नमेंट को इसमें तो कोई एतराज हो नहीं सकता।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—बजाय २१ मार्च के जो काम कल का बाकी रह जाता है वह जिस दिन असेम्बली फिर बैठे उस दिन ले लिया जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पहले कुछ बातें सदन में हो चुकी हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कल इस सदन की बैठक न हो और कल का कार्य जो है वह २१ मार्च को ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक: ६८—सिंचाई, नौ-चालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत ३,४१,३०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में विशेष लम्बा चौड़ा भाषण करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इसके सम्बन्ध में हमारे इस सदन के जो सदस्य लोग हैं वह अपने विचार प्रकट करें, जिसमें सरकार को उनके सुझावों और विचारों से कुछ सहायता प्राप्त हो सके। परन्तु थोड़े से शब्दों में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनुदान महत्वपूर्ण अनुदान है।

जो हमारे प्रदेश की पंच वर्षीय योजना की मूल भित्ति और आदर्श सामने रखा है, जिस पंच-वर्षीय योजना का निर्माण हुआ और जिसे आगे चल कर के केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया, उस योजना पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप यह देखेंगे कि उसकी मूल भित्ति, आधारशिला, जिसके ऊपर सारी योजना की अट्टालिका खड़ी की गयी है वह शक्ति संबंधी योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में यहां का प्रत्येक सदस्य यह जानता है और यह स्वीकार करता है कि जीविका का मुख्य साधन कृषि रहा है और इस प्रदेश में ७५ और ८० प्रतिशत जन-संख्या हमारे गाँवों में निवास करती है। इस प्रदेश का धन और सम्पत्ति और जो कुछ भी इस का ऐश्वर्य है, जो भी जीवन यापन का साधन है, सब कुछ खेती पर ही निर्भर करता है। और ऐसे प्रदेश में जहां कि जीविका का मुख्य साधन कृषि हो सिंचाई की व्यवस्था की न्यूनता पिछले वर्षों में हम सब अनुभव कर रहे हैं। किसी समय थोड़ी बहुत अगर सिंचाई की व्यवस्था की गयी और हमारे प्रदेश के ऐसे खंडों में जहां जल की वर्षा कम होती है, यह सिंचाई की व्यवस्था कुछ थोड़ी सी दिखायी देती है, जिन्हें हम और आप पश्चिमी जिले कहते हैं। परन्तु उन जिलों की आवश्यकता की पूर्ति एक बहुत ही परिमित मात्रा में थोड़ी सी हुई और शेष सारा प्रदेश ऐसा है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं के बराबर रही है। जब हमें स्वाधीनता मिली और इस देश के शासन और इसके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व हम सब पर आया और जब यह आवश्यकता हमें प्रतीत हुई और जब हमने इस बात का अनुभव किया कि देश की स्वाधीनता और स्वतन्त्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हमारे प्रदेश में दरिद्रता का अन्त न हो। तो यह आवश्यक हो गया कि यहां की भूमि की उत्पादक शक्ति बढ़ायी जाय। उसका साधन सिंचाई की व्यवस्था ही रही है। साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों से जो प्राकृतिक संकट है, एक ईश्वरीय प्रकोप हुआ हमारे प्रदेश में उसने यह और भी सिद्ध कर दिया कि यदि यहां की भूमि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की उत्पादक शक्ति नहीं बढ़ाई जाती तो जन सम्पत्ति बढ़ाना तो दूर, इस प्रदेश के निवासियों के प्राण भी संकट में पड़ जायंगे और हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे प्रदेश में, हमारी जनसंख्या के अनुपात से अन्न का अभाव है और इन तमाम विषयों में जितने उपकरण हो सकते हैं, जितना हमारी परिस्थिति हम को देखने के लिए बाध्य कर सकती है उन सब से यह आवश्यक हो गया कि इस प्रदेश की न केवल उन्नति के लिए प्रत्युत यहां के निवासियों की प्राणरक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्थाओं का अधिक से अधिक विकास किया जाय और इस प्रदेश की सरकार की सारी शक्ति, साधन और योजना शक्ति इस दिशा की ओर उन्मुख हो जाय कि प्रदेश में सिंचाई के साधनों का विकास हो और इसी दृष्टि से पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ। केन्द्रीय सरकार ने उसके बाद अपनी योजनाएं बनायीं और उन्होंने हमारे प्रदेश की योजना को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया। हमने अपने प्रदेश में उस योजना को कार्यान्वित करने का कार्य उठाया और जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा गत वर्ष भी जब कि नव निर्वाचन के बाद यह नयी सरकार बनी, जुलाई में जब उसने अपना नया बजट रखा उसने उस पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक अच्छी खासी रक़म रखी और इस वर्ष भी उसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक अच्छी खासी रक़म बजट में रखी गयी है। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस वर्ष एक प्रकार से ३ करोड़ ४१ लाख रुपया कैपिटल वर्क्स में यानी, जिनको रेवेन्यु से मीट नहीं करते, लेकिन मूल धन लग जाता है चाहे कर्ज से अथवा किसी और फंड से, जो कैपिटल वर्क्स हैं उनमें ३ करोड़ ४१ लाख रु० रखा गया है। गत वर्ष इससे अधिक रक़म थी, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने रक़म कम कर दी और काम में कमी कर दी बल्कि यह है कि ३ करोड़ ४१ लाख तो इस में है और २ करोड़ २० लाख रुपये हमको अपने स्पेशल डेवलपमेंट फंड से मिलेंगे और इस प्रकार क़रीब ५ करोड़ ६१ लाख रुपया वह हुआ और २० लाख रुपये के लिए हमारी यह चेष्टा होगी कि हम श्रम धन के द्वारा काम करायें, प्लानिंग कमेटियों के जरिये, माननीय सदस्यों के सहयोग से और जनता के सहयोग से हम २० लाख रुपये का कार्य श्रम धन के द्वारा करायें और इस प्रकार जो हमारा बजट जो कैपिटल एकाउंट पर है ५ करोड़ ६१ लाख के क़रीब होता है

अब हमारे सामने जो योजनायें हैं उन पर दृष्टिपात करने की प्रार्थना मैं अपने सदन के सम्मानित बन्धुओं से करना चाहता हूं। उस योजना का बहुत कुछ स्पष्टीकरण आज जो पुस्तिका वितरित हुई है उसमें मौजूद है। मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण सारे उत्तर प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था को विकसित और उन्नत करने की ओर है। अवश्य ही हमारे इस देश के जिन भूखंडों में कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहां की परिस्थिति आज हमारे दुर्भाग्य से अधिक खराब है, जहां का संकट हमारे और आपके सम्मुख आता है और करोड़ों रुपया इस सरकार को उनकी रिलीफ में, उनकी सेवा में, उनको तकावी देने में, उनको भुक्त बांटने में, अथवा उनको सस्ता गल्ला खिलाने में खर्च होता है क्योंकि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, उस ओर स्वभावतः सरकार की दृष्टि कुछ अधिक है, परन्तु इसका बिलकुल यह तात्पर्य नहीं है कि प्रदेश और किसी भाग में या किसी हिस्से को हम यह समझते हों कि वह पूर्णतया स्वावलम्बी बन गया हो, सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में और उधर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है। हर तरफ आवश्यकता है, लेकिन यह देखना चाहिए कि जहां जितनी अधिक आवश्यकता है वहां उतना ही अधिक प्रयास किया जाय और यदि आप इस पर दृष्टिपात करें तो आप यह देखेंगे कि हमारे इस प्रान्त के, इस प्रदेश के चतुर्दिक कुछ न कुछ प्रयास इस सम्बन्ध में हो रहा है, चाहे पश्चिम हो, पूरब हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, मध्य का भाग हो, चारों तरफ, चारों दिशाओं में आवश्यकतानुसार और साधनों की सीमित परिस्थिति को देखते हुए जो कुछ हो सकता है करने की चेष्टा की जा रही है। हमारे सदस्यों को और इधर और उधर बैठे हुए हमारे सारे बन्धुओं को कदाचित यह ज्ञात हो कि हमने अपर गंगा कैनाल की क्षमता बढ़ाने की पूरी चेष्टा आरम्भ की है। गंगा कैनाल

जो हरिद्वार से निकलती है, जितना पानी अपनी प्रणालियों के द्वारा ले आती है उस पानी के परिमाण में वृद्धि करना सम्भव है यदि उन प्रणालियों को कुछ विस्तृत और कुछ और गहरा किया जाय। उनकी कैपेसिटी इस प्रकार बढ़ाई जा सकती है और अन्दाज यह किया जाता है कि साढ़े बाईस हजार क्यूजेक पानी गंगा कैनाल की क्षमता बढ़ाने से बढ़ सकता है और यदि हम इस गंगा कैनाल की क्षमता बढ़ा दें और इतना पानी हमको मिल जाय तो इससे क़रीब क़रीब एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती है गंगा के जल से और यह योजना इस विषय में कार्यान्वित हो चुकी है। गत वर्ष भी इस पर रुपया रखा गया था और इस वर्ष भी ६ लाख रुपये के करीब है और सारी योजनायें क़रीब १५ लाख रुपये में समाप्त होती हैं, जो हम यह आशा करते हैं कि आगामी वर्ष में यह समाप्त हो जाय। कठिनाई इसमें यह पड़ती है कि जब तक नहरों को बन्द न किया जाय, नहरों की खुदाई का काम और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम जरा कठिनाई से हो पाता है और जहां बरसात में पानी की आवश्यकता नहीं होती और नहरों का पानी रोका जा सकता है वहां बरसात में नहरों को बन्द भी नहीं किया जा सकता और जब नहरों को बन्द किया जा सकता है तब पानी की आवश्यकता भी हो जाती है। यह कठिनाई इस काम में होती है, लेकिन फिर भी इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जमुना कैनाल की भी क्षमता को बढ़ाने और उसकी रिमाडेलिंग करने की चर्चा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले की थी।

साथ साथ यदि आप उत्तर की तरफ जायं तो पहाड़ों में भी कुछ न कुछ योजनाएं हमारे इस पंचवर्षीय योजना के अधीन सिंचाई के सम्बन्ध में चल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र बड़ा ग़रीब है, वहां खाने के लिये अन्न नहीं होता, खेती भी कम होती है और फिर सिंचाई के साधनों का वहां पर बिलकुल अभाव है। वहां की दुर्दशा का बार बार वर्णन हमारे इसी सदन में हो चुका है। कुमायूं की इरिगेशन स्कीम्स के नाम पर गढ़वाल, नैनीताल, अलमोड़ा आदि जिलों में नहरियों के द्वारा पानी पहुंचा के थोड़ी बहुत सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने की चेष्टा की जा रही है। यदि आप उत्तर प्रदेश के मध्य में आवें तो आप यह पावेंगे कि हमारी यह योजना जो है यह मध्यवर्ती प्रदेश की भी सेवा करने की चेष्टा करती है। हमारे एक बन्धु ने कल कदाचित बजट पर साधारण वादविवाद जब हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब पश्चिम सुनते हैं, पूर्व सुनते हैं, दक्षिण सुनते हैं लेकिन बीच का हिस्सा भुला दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व, पश्चिम और बीच, इनके भेदभाव को इस प्रकार मन में न ला करके इस योजना पर यों दृष्टिपात कीजिये कि सरकार सारे प्रदेश की सेवा अपने साधनों और शक्ति के अनुसार करने की चेष्टा कर रही है अथवा नहीं। हां, दृष्टि केवल इतनी है कि जहां जितनी अधिक आवश्यकता है वहां उतना ही अधिक ज़ोर लगाया जाय। मध्य क्षेत्र में आप देखें कि शारदा नहर की बड़ी लम्बी चौड़ी कई योजनाएं चल रही हैं। शारदा की क्षमता भी बढ़ाने की चेष्टा हो रही है ताकि दो हजार कसेक्स पानी उसमें बढ़ जाय। उसको बढ़ाने के लिये भी उसकी नालियों और परनालियों को रिमाडेल करने की आवश्यकता है और उन्हें अधिक चौड़ा करने की जरूरत है ताकि वे पानी अधिक ले जा सकें। इसके साथ साथ दो हजार मील शारदा की नहरें बढ़ाई गयीं हैं और सुल्तानपुर में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में और उन्नाव आदि में दो हजार मील नहर बनाने की योजना बराबर चल रही है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक पानी पहुंच सके। जौनपुर में यह योजना बराबर चल रही है और बहुत काम हो चुका है, जिसका विस्तार इस पुस्तिका में आप को मिलेगा। शारदा की योजना में एक योजना सुरई के रिजरवायर की भी है। पीलीभीत और नैनीताल के बार्डर पर एक स्थान सुरई है, जो एक बड़ा भारी जंगल है। इरादा यह है कि वहां पर बरसात का पानी जो शारदा में आता है उसका एक भंडार बने और बरसात के बाद जाड़े के दिनों में जब शारदा का पानी कम हो जाता है, उस समय उस पानी को दिया जाय और उसके द्वारा खरीफ की भी और जहां तक हो सके रबी की भी सिंचाई की जाय। तो यह तमाम क्षेत्र आप देखें शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, खीरी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सुल्तानपुर, जौनपुर, जिसको मध्यवर्ती क्षेत्र कहा जा सकता है, इसकी सेवा उस योजना के द्वारा, जिस पर काम हो रहा है, होती है और सिंचाई का कार्य होता है।

दक्षिण बुन्देलखंड में भी बहुत लम्बी लम्बी योजनाएं हैं, जिनका जिक्र कई बार इस सदन में किया जा चुका है। माननीय सदस्यों से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक हमारे प्रदेश में सिंचाई के लिये केवल दो साधन सोचे गये, एक तो नहरों से और दूसरा ट्यूबवेल के जरिये। एक तीसरा प्रयोग भी हमने शुरू किया है और वह यह है कि बरसात का जल बड़े बड़े जल भंडारों में एकत्रित किया जाय और बरसात के बाद उस जल का प्रयोग सिंचाई के लिये किया जाय। यह योजना एक मल्टी परपज योजना भी है। सिंचाई के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी होता है कि उन क्षेत्रों में जहां बरसात में नदियों से बाढ़ आ जाती है, वहां उस बाढ़ से भी सुरक्षा मिल जाती है और उस जल से फिर हम सिंचाई भी कर सकते हैं। जहां बरफ से नदियों का उद्गम हो वहां तो लम्बी लम्बी नहरों का बना देना संभव है, पर जहां की नदियां ऐसी हों कि बरसात में उभड़ने लगें और बरसात बीतते ही लोप हो जायें, तो ऐसी नदियों से नहरों का काम नहीं लिया जा सकता है। उसके लिये उपाय यह सोचा गया है कि जल-भंडार बनाये जायं। जहां बरसात में उमड़ कर बहने वाली नदियों का जल एकत्र हो जाय उस जल को सिंचाई के काम में लावें। यह क्षेत्र बुन्देलखंड, मिर्जापुर, जहां पहाड़ी नदियां निकलती हैं और जहां भूमि विस्तृत पड़ी हुई है और जहां अकाल भी आ जाया करते हैं और अन्न संकट भी पड़ा करते हैं वहां इस प्रकार जल देने का प्रयास पंचलर्षीय योजना के द्वारा किया जाय। बुन्देलखंड और बघेलखंड में इस बात का प्रयास हो रहा है। अभी ललितपुर, सपरार, कबरई यह सब बंधे इसी वर्ष अभी चालू किये गये हैं। और जो रंगवा और माता टीला यह तमाम भी बड़े बड़े बांध हैं यह उन्हीं जिलों में बन रहे हैं, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन इत्यादि क्षेत्र में और उनके द्वारा सिंचाई का कार्य हो रहा है। आज लाखों एकड़ जमीन को पानी नहीं मिलता इस प्रकार से पानी हम दे रहे हैं। मिर्जापुर के क्षेत्र में आज भी वहां कई बांध इस प्रकार के बन रहे हैं जहां कि खासा जल एकत्रित करके उन जिलों की सिंचाई करने का प्रबन्ध किया जाय। यह आप के उधर के इलाके हैं।

पूरब की तरफ भी हमारी योजनाएं हैं कि उस क्षेत्र की सिंचाई के लिये अधिक से अधिक प्रयास किया जाय। वहां सिंचाई के साधन बहुत न करके साथ ही साथ वहां बाढ़ से भी बहुत हानि हुआ करती है, इसकी ओर भी ध्यान देना है। वहां पर वास्तविक समस्या सिंचाई की उतनी नहीं है जितनी कि समस्या है बाढ़ से तबाही की। वहां पर पानी निकालने की फिक्र अधिक करनी है, पानी पहुंचाने की नहीं क्योंकि वहां बरसात खासी हो जाती है। पहले वहां काफ़ी बरसात हुआ करती थी पर अब जब से वहां सूखा पड़ने लगा है तब से यह संकट उत्पन्न हुआ है। अब इस विषय पर पूरे तौर से जांच पड़ताल की गयी और की जा रही है कि इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए कौन सा प्रबन्ध किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरब के जिलों के लिये जो सबसे अच्छी व्यवस्था सोची गयी और जो तुरन्त कार्यान्वित हो सकती है वह ट्यूबवेल की है। क्योंकि यहां पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा है और ६ फुट पर पानी मिल जाता है। जहां पानी का स्तर ऊंचा हो वहां ट्यूबवेल का बनाना अच्छा है। वहां ट्यूबवेल सस्ते और आसानी से बन सकते हैं। सिर्फ पांच सौ, चार सौ या ढाई सौ फिट खोदना पड़ता है। इसके साथ ही साथ उसका यह अर्थ नहीं है कि इससे हमारी नहर निकालने की व्यवस्था सम्पूर्ण हो जायगी। कई स्कीमें आज परीक्षण के अधीन हैं जोकि बहराइच, गोंडा और गोरखपुर आदि जिलों में सिंचाई करने के लिए निकाल सकें। वह स्कीमें हमारे विचाराधीन हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनका परीक्षण जारी है इस विचार से कि जो नहरें हम निकाल सकें उन्हें निकालने की कोशिश करें। बस्ती और गोरखपुर के गांवों में कुछ नहरें निकाली भी गयी हैं। रूहेन और डंडा की नहर रामगढ़ पम्प कैनाल गोरखपुर में मौजूद है। बस्ती में बान गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें बड़ा भारी बांध

बनेगा जो उसका बाजार तक जाता है और यह कई हजार एकड़ जमीन का सिंचन करेगा। चकिया में जो नौघड़ बांध और चन्द्रप्रभा का बन रहा है उससे यह भी आशा की जाती है कि बनारस और उसका वह हिस्सा जो मर्ज हुआ है और साथ साथ गाजीपुर की भी इसके द्वारा सिंचाई हो सकेगी। यह योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

केवल यही नहरों का ही कार्य नहीं हो रहा है परन्तु ट्यूबवैल की भी बड़ी भारी योजना इस पंचवर्षीय योजना में है। हमारे प्रदेश में सन् ४६-४७ में १८५० से अधिक कुंवे नहीं थे और आज मार्च, ५३ में उनकी संख्या २,६०० के क़रीब होगी। हमारा इरादा यह है कि हम एक अच्छी तादाद में कुंओं के निर्माण का कार्य इस प्रदेश में कर डालें। पंचवर्षीय योजना में २,००० और कुंओं का भी प्रबन्ध किया गया है। इनमें से १,२०० या १,४०० कुंओं में हाथ लगा हुआ है। भारत सरकार के टी० सी० ए० प्रोग्राम के मुताबिक क़रीब ९९५ कुंओं की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है और वह कुंए उनके कथनानुसार, उनके सर्वे के अनुसार और हमारी राजी के अनुसार बंटे हुये हैं और उनका जिक्र इस पुस्तिका में है। एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी में, फैजाबाद, सुलतानपुर, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती में, कुछ थोड़े से आजमगढ़ में, उस योजना के अधीन हैं और वे ९९५ होते हैं। साथ साथ इस सरकार ने भी २०० कुंओं की एक योजना चलाई है। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और बनारस के लिये उसकी तफ़सील भी आपको मिलेगी। इन कुंओं की संख्या सन् १९५६ में लगभग ५,५०० हो जायगी। आज तक जो ट्यूबवेल्स निर्मित हैं उनकी संख्या २,६१३ है, जिनका वितरण क़रीब क़रीब इस प्रकार है। सहारनपुर में १३, मुजफ्फरनगर १३३, मेरठ ४४६, बुलन्दशहर ३५७, अलीगढ़ २३८, एटा ३७, फर्रुखाबाद कुछ नहीं, बिजनौर २०९, बदायूं ४१७, मुरादाबाद ४७१, बरेली ६४, शाहजहांपुर ३५, सीतापुर ४५, खेरी ११, फैजाबाद में १५, गोरखपुर २६, देवरिया ३०, बस्ती ५२, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में केवल एक्सप्लोरेटरी वैल्स १–१ या २–२ की तादाद में हैं। हमारा ख्याल है कि आगामी वर्ष में सन् ५४ के मार्च तक हम इनकी संख्या ३,२६३ कर लेंगे और यदि भगवान की कृपा रही तो ५६ में यह संख्या ५,०६१ हो जायगी। इस प्रकार इधर के क्षेत्रों में काफ़ी तादाद में कुंए हो जावेंगे जिनसे अधिक नहीं तो, थोड़ी बहुत, संकट दूर होने की आशा की जा सकती है।

हमारे एक मित्र ने, वह यहां मौजूद नहीं हैं, पंडित ब्रजबिहारी जी ने यह कहा कि आजमगढ़ में घाघरा की कैनाल निकाल दी जाय और यह भी कहा कि सारदा की नहर उधर क्यों नहीं बढ़ा दी जाती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सूबे के किसी भी क्षेत्र में जहां कहीं भी पानी पहुंचाना सम्भव होगा उसकी चेष्टा सरकार अपने साधनों के अनुसार कर रही है।

आजमगढ़ में कुयें तो बन ही रहे हैं, छोटी मोटी बहुत सी बंधियां भी ली गई हैं जिनका उल्लेख इसी पुस्तिका में है और अगर वह इसे देखेंगे, तो उन्हें संतोष होगा कि ऐसी बात नहीं है कि जहां नहरें पहुंच सकती हैं वहां हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ ट्यूबवेल्स को बिजली की बड़ी आवश्यकता होती है और बिजली का जो बजट आयेगा उससे हमारे सम्मानित सदस्यों को पूरी सूचना मिल जायेगी कि कहां कहां नये पावर स्टेशन्स बनाये जा रहे हैं जिनका मुख्य काम हमारे ट्यूब-वेल्स को विद्युत् शक्ति प्रदान करता है। मऊ में, गोरखपुर में, सोहावल में, मैनपुरी म इस प्रकार के पावर स्टेशन्स बनाने की कोशिश हो रही है कि वहां से काफ़ी बिजली मिल सके और य कुयें चल सकें। शारदा का हाइडेल जिस दिन ठीक हो जायेगा उसी दिन शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई आदि जिलों में जो कुयें हैं उनको खासी बिजली मिल जायेगी। हमारे प्रदेश में बिजली के उत्पादन के लिये लाखों और करोड़ों रुपय खर्च किये जायेंगे क्योंकि सोचा यह जाता है कि बिना बिजली के आज के इस युग में किसी प्रकार की न औद्योगिक और न कृषिमूलक उन्नति सम्भव हुआ करती है।

अब कुछ थोड़े से आंकड़े पहले पेश किये गये थे और विरोधी दल के नेता यहां उपस्थित नहीं थे और उन्होंने मेरी प्रतिभा का भी उलाहना दिया और मैं मानता हूं कि उनकी प्रतिभा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

के सामने सबकी प्रतिभा लुप्त है "अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडुगण ज्योति मलीन।" परन्तु जो आंकड़े उन्होंने सुनाये कि मैक्सिमम इर्रीगेशन तो ७१ लाख एकड़ और इर्रीगेबिल एरिया जो है वह है सिर्फ ६७ लाख एकड़। तो कैसे हो सकता है? अब देखा प्रतिभा स्वस्थ शरीर का स्वस्थ मस्तिष्क और उसका स्वस्थ विचार नहीं है लेकिन, मैक्सिमम इर्रीगेबिल एरिया जो हमारे यहां है वह इस प्रकार है :—

मार्च सन् ४६ में इर्रीगेबिल एरिया फ्राम आल स्टेट इर्रीगेशन वर्क्स ६७,८०,००० एकड़ है, मार्च सन् ५२ में ८०,८५,००० एकड़ है, मार्च ५३ में ८३,८५,००० एकड़ है और मार्च १९५४ में यह ८७,३५,००० एकड़ है। यह इर्रीगेबिल एरिया है। आज सन् ५३ में ८० लाख एकड़ से ऊपर यह एरिया है और सन् ४६ में ६७ लाख एकड़ के क़रीब था जिसको आप कमांड एरिया या इर्रीगेबिल एरिया कह सकते हैं। मैक्जीमम इर्रीगेशन सन् १९४१-४२ में ६०,२५,००० एकड़ रहा है और ५१-५२ में ७१,०५,००० एकड़ रहा है जब कि इर्रीगेबिल एरिया ८० लाख एकड़ से ज्यादा है तो यह आंकड़े इस तरह से साफ मेजूद हैं। मुझे कोई भ्रान्ति नहीं दिखाई देती है परन्तु यदि कहीं भ्रान्ति है तो उसे साफ करने के लिये चेष्टा करनी चाहिए। अभी जो हमारे कैनाल के.....

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट सोर्सेज से इर्रीगेशन एरिया कितना है। यह बतला दिया जाय तो अच्छा है। इसमें तो गवर्नमेंट सोर्सेज से बतलाया गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—"उत्तर प्रदेश ऐज फिगर्स" नाम की जो पुस्तिका निकली है उसमें यह सब दिया हुआ है। उसको मैं आपके पास भेज दूंगा।

अब मैं जिसका जिक्र बार बार किया गया है उस पर आता हूं। ६ लाख एकड़ के लगभग प्राइवेट सोर्सेज से इर्रीगेटेड एरिया है। आप देखेंगे तो आपको मिल जायगा। जिसका जिक्र किया गया है। मेन कैनाल्स के सम्बंध में मैं फिगर्स देना चाहता हूं ताकि स्पष्टीकरण हो जाय। आज भी जिक्र किया गया कि आप देखेंगे तो कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य मिल जायगी, लेकिन बावजूद खोजने के मेरी प्रतिभा को नहीं मिली। सन् ४६ के मार्च के अखीर में माइलेज आफ इर्रीगेशन चैनेल्स, मेन कैनाल्स, ब्रांचेज, डिस्ट्रीयूटरीज एंड मायनर्स १७,८२४ मील है, १९५२ में १९,५२५ मार्च, ५३ में २०,०४५ मील और मार्च, सन् १९५४ में ३०,५४५ मील है। अगले साल जो काम होंगे उनसे क़रीब क़रीब ५०० मील लम्बी नहर बढ़ेगी। माइलेज आफ अदर चैनल्स सच एज ड्रेन्स, एसकेप्स, नेवीगेशन, चैनेल्स एंड ट्यूबवैल्स। सन् १९४६ में ७,८१० मील, मार्च, १९५२ में ९,४९० मील, मार्च १९५३ में ९,८१० मील और मार्च १९५४ में १०,५६० मील। इस प्रकार यदि आप देखें तो सन् १९५४ में ३१,१०५ मील हो जायंगी। सब मिलाकर २९ हजार एक सौ हो जायंगी। मार्च, १९५३ में इस तरह से यह आंकड़ों को देख लेंगे तो मुझे आशा है कि वह संतुष्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षेप में पंच वर्षीय योजना का जिक्र किया और जिस कार्य के लिये आदरणीय सदन से व्यय करने की विनम्र अनुमति मांगी जा रही है, उसे आपकी कृपा से सदन के सम्मुख उपस्थित की है और मुझे आशा है कि उदारतापूर्वक सदन इसको स्वीकार करेगा और हमें प्रत्येक सदस्य से जो यहां उपस्थित हैं और बाहर जनता से भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे। आज हमारे सामने कठिनाइयां हैं, बाधायें हैं लेकिन इन कठिनाइयों और बाधाओं पर हमारा संकल्प है कि हम उन पर काबू पायें और यथासम्भव इस लक्ष्य को पूरा करें।

बार बार जिक्र इर्रीगेशन रेट कमेटी का किया जाता है। यह अवश्य ही इस सरकार को प्रिय नहीं है कि किसी के ऊपर धन का बोझा डाला जाय। यदि यह संभव हो तो बिना किसी से धन लिये हुए, बिना टैक्स लगाए हुए, बिना किसी की जेब या सर पर डाले हुये करोड़ों रुपयों के निर्माण कर दिये जाय, लोगों

की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाय, प्रत्युत जो कुछ लिया जाता है वह भी माफ कर दिया जाय और किसी प्रकार जादू या मन्तर से इन्तजाम हो सके तो यह सरकार उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर सकती है, लेकिन हमारे सामने कठिनाइयां हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम हैं उसे पूरा करना है। जब से इस विभाग का चार्ज मेरे पास आया गत वर्ष ५ करोड़ रुपया खर्च हुआ और आगामी वर्ष ५ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जितनी योजनायें हमारे पास हैं उनको पूरा करने के लिये आगामी तीन वर्ष में २०, २२ करोड़ रुपये लगेंगे। यदि ऐसा न करें तो उत्पादन न बढ़ेगा और जीवन संकटमय हो जायगा। अगर करें तो कहीं न कहीं से उसके लिये धन का साधन प्राप्त करना होगा। अवश्य ही उन लोगों से, जिनको आज स्टेट ने थोड़ी बहुत सुविधा प्रदान कर दी है, हम यह मांग करते हैं कि उदारता-पूर्वक वह सार्वजनिक सेवा के लिये उन लोगों के लिये जो आज संकट में पड़े हुए हैं थोड़ा कष्ट उठायेंगे और इस दृष्टि से वह इस यज्ञ में दान समझ कर कुछ दें जिससे हम इस कार्य को पूरा कर सकें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अभी जो माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया कि मुजफ्फरनगर में १३३ ट्यूबवेल्स हैं तो वे नये ट्यूबवेल्स हैं जो बनने जा रहे हैं या पुराने ट्यूबवेल्स हैं जो अब तक बन चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो ४८-४९ तक ट्यूबवेल्स बन चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान ४४ के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, अभी सिंचाई मंत्री ने बड़े प्रभावोत्पादक शब्दों में पंचवर्षीय योजना के अनुसार पूंजी के व्यय में जो यहां उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्यों का विवरण हमारे सामने रक्खा, तो जहां तक सिंचाई सम्बन्धी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये उनकी भावना और प्रस्तावना है उसके साथ किसी का असहयोग नहीं हो सकता। यह ठीक है कि उनकी भावनायें तो हैं और एक योजना भी सिंचाई के बारे में हमारे प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। प्रश्न यह है कि योजनायें जो हमारे सामने सिंचाई की आई हैं वे किस प्रकार कार्यान्वित की गईं। वे समय पर कार्यान्वित हो सकीं अथवा नहीं, यह प्रश्न अजबत्ता उठता है। श्रीमन्, जहां तक मैंने पुरानी रिपोर्टस् को देखा ललितपुर, सपरार डेम्स और कबरई लेक प्रोजेक्ट जितनी योजनायें हैं जिनका उद्घाटन पिछले दिसम्बर में माननीय मंत्री जी द्वारा हुआ, उनको सन् १९५० में पूरा हो जाना चाहिये था। योजनाओं की तारीफ यह होती है कि वह समय के पहले पूरी हो जाया करें और उनका एस्टिमेट और विधान इस प्रकार निर्धारित किया जाय जिसके अनुसार वे योजनायें समय के पूर्व बन जांय। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो दावा होता है जिसके आधार पर हम बजट बनाते हैं उस समय के अनुसार हमारी योजनायें नहीं बन पातीं। नायर डेम का बड़ा भारी सर्वे किया गया। उसे भी हमें त्यागना पड़ा और आज भी माताटीला डेम को लीजिये। २७ लाख रुपये उस पर खर्च करने के लिये कहा जा रहा है लेकिन जैसा समाचार पत्रों में पढ़ा, मध्य भारत की सरकार से हमारे प्रदेश की सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। माताटीला डेम की बात को लेकर हमारे प्रदेश की सरकार और मध्य भारत की सरकार के बीच वादविवाद खड़ा हो गया है। यह दावा किया जा रहा है कि माताटीला डेम तैयार हो जायगा लेकिन अगर मध्य भारत की सरकार के स्पोकमेन के स्टेटमेंट पर विचार किया जाय कि हम भी शर्तें रक्खेंगे, विचार करेंगे तब कुछ हो सकेगा। अगर योजना ठीक प्रकार बनायी होती तो मध्य भारत गवर्नमेन्ट, यू० पी० गवर्नमेन्ट और विन्ध्य प्रदेश की सरकार इन तीनों को मिला कर एक माता टीला डेम बोर्ड बनाया होता तो कोई इस प्रकार की कठिनाई न होती कि हमें इस प्रकार का मुआविजा इतने दिनों बाद देना पड़े और खामखाह बीच में एक अड़ंगा आ जाय। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारी योजनायें किस प्रकार बनती हैं और किस तरह से उनको कार्यान्वित किया जाता है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन्, पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्टतया कहा कि यह सही है कि वहां सिंचाई का काम होना चाहिये और उन्होंने बतलाया कि ट्यूबवेल्स वहां पर बन रहे हैं और उन्हीं के आधार पर वहां सिंचाई हो सकती है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने जो आंकड़ों की पुस्तिका रखी उसके अनुसार मालूम पड़ता है कि इस समय सारे प्रदेश में २,३९३ ट्यूबवेल्स हैं, जिनसे ७,५४,१९५ एकड़ जमीन सींची जाती है। इस प्रकार एक ट्यूबवेल एक साल में २९८ एकड़ जमीन सींचता है। अगर यह औसत २९८ एकड़ एक साल में सींचने की लगायी जाय तो एक हजार ट्यूबवेल्स एक साल में २,९८,००० एकड़ जमीन और सींच सकते हैं। तो पूर्वी जिलों की समस्या या केन्द्रीय जिलों की समस्या ट्यूबवेल्स से हल होने वाली नहीं है। पंच वर्षीय योजना का ध्यान शायद इस ओर कम गया है। जब हम इस ओर ध्यान देते हैं कि पूर्वी जिलों में वर्षा बहुत होती है, इंजीनियरों ने रिपोर्ट यह दी है कि वहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है| इसलिये वहां सिंचाई की इतनी आवश्यकता नहीं है, वहां पर तो बाढ़ के पानी को रोकने की समस्या है। श्रीमन्, मेरा दुर्भाग्य है कि इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन जो भी आंकड़े सरकार की रिपोर्ट में हमारे सामने हैं उनसे यह बात साबित नहीं होती है। पूर्वी जिलों में औसत रेन फ़ाल ४५.२ है। बुन्देलखन्ड रीजन में केवल ५ प्रतिशत कम है यानी ४०.८ है, केन्द्रीय रीजन में ४३.३ है। तो केवल २ दशमलव का फ़र्क है पूर्वी जिलों और केन्द्रीय रीजन में। पश्चिम में ३७.७ है। तो पश्चिम और पूर्व के जिलों को मिलाकर केवल ६ दशमलव का फ़र्क है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि पूर्वी जिलों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिये वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ जब हम एक ओर पूर्वी जिलों की सिंचाई का अनुपात लगाते हैं तो हमें यह देखने में आता है कि जहां सरकारी साधनों से पूर्वी जिलों में केवल ७० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई पिछले साल हुई थी वहां और दूसरे साधनों से ३९,४०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार के द्वारा सिंचाई में और दूसरे सिंचाई के साधनों में १०० और १.७६ का अनुपात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--आप तो यह कहते हैं, पूर्व के जिलों में अक्सर जिले ऐसे हैं जहां एक इंच भी सरकार की ओर से सिंचाई का साधन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे कह लेने दीजिये। मैं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं। कम से कम एक बार तो उन्होंने कहा कि मेरे आंकड़े सही हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरे कहने का मतलब यही था कि रेहेंड डैम के बारे में मेरा तो विश्वास है कि जब तक हमारी सरकार रेहेंड डैम की ओर ध्यान नहीं देगी तब तक यह पूर्वी जिलों की या केन्द्रीय जिलों की समस्या का हल होने वाला नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि रेहेंड डैम के लिये पिछले साल १० लाख रुपये रखे गये थे और इस साल भी १० लाख रुपये बजट में दिखाई देते हैं और सप्लीमेंटरी बजट में भी हमने देखा कि रिहेंड डैम का एक नया डिवीजन बना दिया गया, लेकिन श्रीमन्, अब इस दस लाख से काम होने वाला नहीं है। अपने बजट के भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि रिहेंड डैम के लिये रुपया कैसे मिले इस बारे में केन्द्रीय सरकार से बात चीत चल रही है। हमारी पंच वर्षीय योजना में तीन ही साल शेष रह गये हैं। अगले साल हम तय कर पायेंगे कि हम रुपया कहां से लेंगे और तब केवल दो साल ही पंच वर्षीय योजना के रह जायंगे। तो दो साल में कैसे रेहेंड डेम बन जायगा इसको तो माननीय मंत्री जी जानें और उनकी सरकार जाने। जो हमारे सामने चीज है उसके आधार पर तो मैं यही कह सकता हूं कि रेहेंड डैम का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिये। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि रुपया कहां से आयेगा। अभी अभी माननीय मन्त्री ने जी बताया कि सिंचाई की बढ़ायी गयी दरों से ३३० लाख रुपया मिलेगा और उसका स्पेशल डेवेलपमेंट फन्ड बनाया जायगा। मेरा तो अभी तक ख्याल यह था कि यह रुपया केवल सिंचाई वाले कार्यों में लगाया जायगा। लेकिन अभी मुझे मालूम हुआ कि इस रुपये में से २२० लाख रुपया सिंचाई के कामों में लगाया जायगा और ११० लाख

रुपया हाईडल में डाल दिया जायगा। सिंचाई से जो रुपया वसूल किया जा रहा है उसके लिये आवश्यक था कि उसको सिंचाई के कामों में ही लगाया जाता, केवल नहरों और डैम के सम्बन्ध में ही वह रुपया खर्च किया जाता। लेकिन अगर इस रुपये को रिहन्ड डैम के ऊपर खर्च किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और वह भी एक तरह से हाईडल का ही काम होता। यदि मैं माननीय मन्त्री जी की जगह होता तो इस बात पर जोर देता कि इस ११० लाख रुपये को रिहन्डडैम के निर्माण के लिये लगा दिया जाय और इस प्रकार से १२० लाख रुपया रिहन्ड डैम पर खर्च किया जाय। इस प्रकार से उसका काम बहुत सफलता पूर्वक आरम्भ किया जा सकता था। यह तो मैंने कुछ सुझाव माननीय मन्त्री जी के सामने सिंचाई और डैम्स के बारे में दिये। इसके साथ ही साथ में माननीय मन्त्री का ध्यान इर्रीगेशन स्कीम्स जो कुमायूं की है उनकी ओर दिलाना चाहता हूं।

यह सही है कि कुमायूं में दो-तीन स्कीम्स कामयाब हुईं, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो जल्दी में बनायी गयीं और उनसे उतना लाभ नहीं हो सका जितना कि उनसे होना चाहिए था। मिसाल के तौर में भीमताल और लोहली का जिक्र करूंगा। इन दोनों योजनाओं से कोई भी सिंचाई नहीं हो सकती है अगर दो-तीन एकड़ हो गयी तो क्या हुआ? होना तो यह चाहिए था कि प्लानिंग कमेटी ने जिनके बारे में सुझाव दिया था और जिनसे हजारों एकड़ सिंचाई हो सकती थी, उनको पहले लिया जाना चाहिए था, मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें गे।

सिंचाई के सम्बन्ध में दूसरी बात सिंचाई के साधन और उसके वितरण के सम्बन्ध में है। मान लिया कि एक फार्म है उसको कुलावा दे दिया जाता है कि इतना पानी मिलेगा, लेकिन इस ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगर क्रोप के लिहाज से पानी का बटवारा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खेत में धान की फसल खड़ी हुई है और उसको पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खेत खाली पड़े हुए हैं और पानी उसमें बह रहा है और जिसका धान खड़ा है वह खड़ा देख रहा है। इर्रीगेशन कमेटी भी अगर क्रोप के बेसिस पर पानी के वितरण की ओर ध्यान दे या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी योजना बनायें तो बहुत लाभ होने की आशा है। तराई-भाबर में तो यही होता है कि फार्मों में पानी बहा करता है दूसरे स्थानों की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमारे पास तो इसी प्रकार की शिकायतें आती हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पानी की व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे। श्रीमन्, मैं और भी अधिक सुझाव देता, लेकिन समय अधिक हो जाने से और ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझता। क्योंकि और भी माननीय सदस्य कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। इसलिये मैं केवल इतना ही कहूंगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने अनुदान संख्या १० पर मैं बोलने के लिये उपस्थित हुआ हूं। माननीय सिंचाई मंत्री ने जो कार्य इस संबंध में किया है, मैं उनके लिये धन्यवाद देता हूं। सिंचाई मंत्री के भाषण से और जो आंकड़े उन्होंने बताये उनसे यह साफ साफ प्रकट हो जाता है कि उन जिलों की हालत कैसी है जिनको हम पिछड़े जिलों के नाम से कहा करते हैं।

आपको यह सोचने की जरूरत है कि उन पिछड़े हुये जिलों की दशा कई सालों से अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलों और बाढ़ के कारण कितनी खराब है और किस तरह से उनके दिन कट रहे हैं। वहां के गरीब किसानों की हालत में आपको बताऊं तो आपको जानकर दुख होगा। फिर भी जो प्रयत्न हमारे माननीय सिंचाई मंत्री कर रहे हैं उसके लिये मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जिस जिले से मैं आया हूं उस जिले की आबादी बहुत बड़ी है। मेरा जिला सरकार को कितनी रकम देता है इसको आप देखें। मैं आपको बताऊं कि सन् १९५०-५१ में सेल्स टक्स से आमदनी हमारे जिले से ३९ लाख रुपये हुई थी। लेकिन उसके बदले में

[श्री धनुषधारी पांडेय]

कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं उससे यही मालूम होता है कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जा रहा है इन हमारे पूर्वी जिलों के साथ। हमारे पूर्वी जिलों के लिये जो योजना बनाई गई है गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ के लिये, उसमें २०० ट्यूबवेल्स बनाने के लिये कहा गया है। नहर बनाने के लिये गया है कि वहां पर नहरें नहीं बन सकती हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है दो साल पहले वहां पर नहर बनाने की योजना बनाई गई थी और नाप-तौल भी हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं कि क्या हुआ। वहां पर एक नहर जो बाणगंगा के नाम से है वह बनाई जा रही है। वहां पर छोटी नदियों का रिजर्वायर बनवाकर पूरे तौर पर काम लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिये मैंने बजट में देखा कि कोई नामनिशान नहीं है। जो जिले नहरों और ट्यूबवेल से लदे हुये हैं, जहां पर गर्मी की मौसम में भी हरी हरी घास नजर आती है, उनको फिर भी ट्यूबवेल दिये जाते हैं। ऐसी बातें देखकर दिल के अन्दर दुःख होता है, लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। मैं तो सदन से और माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जो भाई ऐसी बातें कहा करते हैं उनको यह देखना चाहिये कि पूर्वी जिले गोरखपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ की क्या दशा है और वहां के किसान और मजदूर किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में खलिहान में बैल चला कर अन्न निकालते हैं और चलते समय जो अन्न बैल खा लेते हैं और फिर जो वह गोबर करते हैं, तो उसके अन्दर जो दाने रहते हैं उनको बीनकर मजदूर अपना पेट भरते हैं। यह वहां की हालत है। फिर भी अगर कहा जाता है कि ५ साल की योजना में वहां पर २०० ट्यूबवेल्स बनाये जायंगे तो फिर आप क्या देते हैं? इसको आप विचारपूर्वक देखें कि वहां की दशा किस तरह की है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिलेवार जो हिस्सा है उसका बटवारा कर दिया जाय। मैं उनके इन शब्दों का स्वागत करता हूं, लेकिन वह उस बात को भी तो सोचें जो कि उनके जिले के लिये बनाया गया है उसको बनाने के लिये रकम कहां से आयी थी? इसको सोचना चाहिये और इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिये। हमने भी तो इन चीजों को बरदाश्त किया है। अंग्रेजी जमाने में उन जिलों पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। लेकिन अब तो 'हमारी सरकार' कही जाती है, अब तो कुछ होना चाहिये। हम अब भी बरदाश्त करते चले जाते हैं और वह भी इसलिये कि हमारे साथ न्याय किया जायगा। वह सदस्य जो हमारे साथ कन्धे से कन्धा लगाकर काम करते थे वह इस तरह की आवाज निकाला करते हैं। २६ नवम्बर को जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री वहां पर गये थे तो बतलाया गया था कि खलीलाबाद से फैक्टरी उखड़कर दूसरी जगह जा रही है। इस प्रस्ताव को उनके सामने रखा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो यहां की हालत बहुत खराब हो जायगी। इसके बाद मैंने १६ फरवरी की "अमृत पत्रिका" में यह समाचार पढ़ा कि ५ लाख रुपया उस फैक्टरी को दूसरी जगह लगाने के लिये दिया जायगा। हो सकता है ऐसा हो लेकिन इस तरह से काम ठीक नहीं चल सकता है। मैंने इस चीज को बजट में देखा लेकिन बजट के आंकड़ों में यह बात दिखाई नहीं पड़ती है। हमारा इलाका बहुत गरीब है और बहुत खराब हालत है। अगर हमारे यहां से फैक्टरी उखाड़ दी जाती है तो उसका असर ५ हजार मजदूरों पर पड़ेगा और अगर एक फैमिली मजदूर की ५ आदमियों की मानी जाय तो इसका असर २५ हजार आदमियों पर पड़ेगा और साथ ही जो केन ग्रोवर हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा और उनकी संख्या जो इसके असर में आयेगी करीब १॥ लाख होगी और जो वहां के निवासी हैं खलीलाबाद के, उनकी भी तादाद करीब ५-६ लाख के होती है और उन सब की जिन्दगी का दारमदार इस एक मिल पर निर्भर करता है। अगर यह फैक्टरी वहां से उखाड़ी जाती है तो उन सब लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब हमारे पहले मंत्री माननीय केशव देव मालवीय वहां गये थे तो वहां के मजदूरों ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि हमारे लिये सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं जिस से हम यहां सिंचाई कर सकें और फैक्टरी को गन्ना सप्लाई

कर के उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन उस मामले में आज तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जो रुपया देने का वादा किया गया था वह भी नहीं दिया गया और वहां की जो नदियां हैं न उनका पुल ही बांधा गया है। अगर वहां सिंचाई का इंतजाम कर दिया जाय तो फैक्टरी के लिये ५ या ६ लाख मन गन्ने का इंतजाम हो सकता है, लेकिन इस तरफ भी माननीय निर्माण मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बजट में वहां के लिये मैं देखता हूं कि कोई चीज नहीं रखी गई है। इस तरह से मेरे साथ अन्याय हो रहा है और अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो और बाकी काम मंत्री जी कर रहे हैं उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं और अन्त में मैं उनसे फिर प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी ओर ध्यान दें। हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहते हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने सूचना विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छी योजना बना कर हमारे सामने पेश की है। इस अनुदान के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य हैं उसमें नये काम नहीं हैं, यह चालू कामों के सम्बन्ध में है और इस अनुदान में ३ करोड़ से अधिक की रकम रखी गई है, लेकिन जो रकम बढ़ाई गई है वह करीब २ करोड़ २० लाख के दूसरी मदों से लेकर बढ़ाई गई है और कोशिश की गई है कि जो हमारी पुरानी योजनाओं के काम हैं वही पूरे हो सकें, क्योंकि हमारी सरकार के बारे में जनरल धारणा है कि योजनायें बनाई जाती हैं लेकिन वह पूरी नहीं होतीं। इसलिये दूसरे विभागों से रुपया लेकर पुराने कामों को ही पूरा करने की योजना है। लेकिन हमारी जो पंचवर्षीय योजना हैं या १५ वर्षीय योजना हैं या जो दूसरी योजनायें हैं उनके विषय में जो बातें मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कही हैं उसके बारे में मैं कहूंगा कि पूर्वी जिले और पश्चिमी जिलों के बारे में जो प्रश्न यहां उठाया जाता है उसके बारे में मैं उनसे बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इस तरह का पूर्व और पश्चिम का प्रश्न उठाना अच्छा नहीं मालूम होता। जिस तरह से पहले काम्युनल सवाल मुसलमान हिन्दू का होता था उसी तरह से यह चीज यहां न आनी चाहिये। इससे अच्छी भावना पैदा न होगी और बेकार में भिन्न दलों की सी भावना पैदा होगी। सरकार पूरी ताकत के साथ जितना अधिक से अधिक हो सकता है वह पूर्वी जिलों के लिये प्रयत्न कर रही है। वहां भी नहरें बढ़ाई जा रही हैं, जलकूपों का आयोजन हो रहा है। २,००० नये जलकूप बनाये जा रहे हैं और उसमें से १,६०० से अधिक पूर्वी जिलों में ही बनाये जा रहे हैं। इसलिये पूर्वी जिलों के साथ पश्चिमी जिलों के मुकाबले में कोई दूसरी भावना या अन्याय सरकार नहीं कर रही है। पूर्वी या पश्चिमी का सवाल नहीं है और न इस में किसी के कोई अहसान की बात है। हमारी सरकार का और सम्मानित सदस्यों का कर्त्तव्य है कि जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां का पहले प्रबन्ध करे और हमारे मंत्री जी ने इसीलिये उधर ध्यान भी दिया है।

यह हम जानते हैं कि पश्चिमी जिलों में भी इस तरह की जगहें हैं। अभी कुछ दिन हुए मैंने प्रश्नों के जरिये मुरसान परगने की ओर ध्यान दिलाया था जहां पानी के सादा कुयें भी नहीं हैं, उसका प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं वहां इस वक्त काम आगे की योजनाओं का रुका हुआ है। वहां पर जहां कि नल कूप सम्भव नहीं हो सकते हैं तो वहां कोआपरेटिव के जरिये कुयें बनाये जायं। गवर्नमेन्ट भी कोआपरेटिव्स को ५ हजार सहायता देगी और ५ हजार रुपया कर्जा मिल जायगा। हमने ऐसे जल कूप अपने अलीगढ़ जिले में बनाये और ३,३ ०० रु० में कम्पलीट कुआं बनाया जिसमें कि वे मशीनें जो कि टाइगर मशीनें होती हैं उससे काम पूरा किया है। तो किसान भी कोआपरेटिव्स की सहायता से पूरा करें तो बहुत सा का काम इस प्रकार हो सकता है जो कि सरकारी योजनाओं के अलावा होगा।

[श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ]

तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह से पूर्वी जिलों में किया जा रहा है उसके लिये हम पूरा सहयोग देते हैं और उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पहले काम नहीं हो रहा है, जहां पानी की आवश्यकता है और पानी की तकलीफ है वहां भी आपके बजट में कोई ऐसा विधान नहीं रखा गया है कि वहां कोई नयी व्यवस्था रखी जायगी । इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि वहां भी जल्दी कोशिश की जाय । पिछली बार मैंने एक पत्र सूचना मंत्री जी को लिखा था कि एक इलाका ऐसा है जहां आस-पास में नहर है लेकिन बीच में सूखी जमीन है । वहां कोई व्यवस्था हो सकती है । बिना पैसा खर्च किये एसी व्यवस्था हो सकती है जिस से वहां लोग पानी की व्यवस्था स्वयं कर लें, नहर तैयार कर लें । जनता वहां अपने खर्चे से सब कुछ करने को तैयार है । वहां ऐसी कई नालियां हैं । मैंने मंत्री जी को लिखा था । मैं फिर याद दिलाता हूं कि अगर वहां पानी दिया जा सके तो वह योजना सफल हो सकती है । यह हो सकता है कि बजट में कोई इसके लिये खर्चा न हो लेकिन यदि थोड़ा सा खर्चा दे दिया जाय तो हम ऐसी योजनाएं तैयार कर सकते हैं जिसमें श्रमदान लेकर जनता का, उसे पूरा किया जा सकता है । यह हो सकता है कि इस रुपये में से जो इस अनुदान में हैं हम न ले सकें तो प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की तरफ से ले लें । मैं तो आप से कहूंगा कि यह तो अनुदान वह है जिसमें बाहर से रुपया ले कर इसमें पूरा करते हैं और काफी लम्बी रकम दो करोड़ रुपया से भी ज्यादा इसमें रखी गयी है । अगर थोड़ा सा भी रुपया उन जगहों के लिये खर्च किया जाय तो यह एक ऐसी योजना होगी जो देश के लिये जरूरी है ।

दूसरी बात यह है कि जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है हम बार बार कहते हैं कि हम मजदूर हैं, गरीब हैं । तो मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे सहयोग और पूरी शक्ति के साथ हमारी सरकार इन योजनाओं को पूरा करने में जुटी हुई है और उनको पूरा कराना चाहती है और इस पंचवर्षीय योजना में तो करेगी ही, लेकिन यदि श्रमदान और सद्भावना से काम किया जाय, सिर्फ गाली गलौज और प्रदर्शन से यह काम न करके अगर काम में पूरी शक्ति से जुटें और एक वालंटियर कोर कायम करें जिसमें एक नवीन प्रोत्साहन और जीवन डाल कर उसको पूरा कर सकें तो ज्यादा सफलता हमको प्राप्त हो सकती है

जै हिन्द ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने जो इस सदन के सामने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

इस अनुदान पर कुछ कहने के पहले मैं इस प्रदेश के इंजीनियर साहबान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के मुताल्लिक जो उनकी भावनाएं थीं वह कम से कम सूचना मंत्री से मालूम हुआ कि वह बदल रही है और वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूर्वी जिलों में भी नहरें बन सकती हैं ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---ऐसा नहीं कहा गया ।

श्री कमला सिंह---नहीं, कह रहे थे कि वहां बाढ़ वगैरा ज्यादा आती है जिसकी वजह से नहीं बन सकतीं । इस प्रदेश के बारे में ऐसा देखा गया कि दो हिस्सों में लोगों ने ट्यूबवेल्स को बांटा है, एक पश्चिमी जिले और दूसरे पूर्वी जिले । पूर्वी जिले के मुताल्लिक सूचना मंत्री ने बतलाया कि रिहन्द बांध ऐसा है जिससे हम पूर्वी जिलों को सब को बिजली सप्लाई कर सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं । लेकिन ३५ करोड़ का खर्चा है जोकि हमारी सरकार की पावर के बाहर है कि जिससे हम उस रुपये को किसी तरह से भी इकट्ठा करके उसको बना सकें । लेकिन फिर भी मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रिहन्द बांध अंग्रेजों के जमाने से ही शुरू हुआ और शारदा पावर हाउस उसके बाद शुरू किया गया,

वह बन कर तैयार हो गया, लेकिन रिहन्द बांध नहीं बन सका। अगर अब तक इस पर थोड़ा थोड़ा पैसा भी जैसे चारा फेंका जाता है उस तरीके पर खर्च किया गया होता तो यह बांध जिससे पूर्वी जिलों और उनके अगल बगल जितने प्रान्त हैं उनको भी बिजली दी जा सकती है, तो यह तैयार हो जाता। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि वह इसको बनवाये। इतना ही। जब मैं ट्यूबवेल्स की ओर आता हूं तो जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने सुनाए हैं उनको सुन कर बड़ी खुशी हुई और उनका जो भाषण हुए इतने सुन्दर थे कि हम अपने भविष्य को उज्वल देख रहे थे। लेकिन हमारी ठीक वही दशा है कि सोते समय मनुष्य बहुत सुन्दर सुन्दर स्वप्न देखता है लेकिन आंख खुलते ही कुछ नहीं दिखायी देता। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ दिये हैं उसमें कहा गया है कि पूर्वी जिलों के ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं उनकी सिंचाई की व्यवस्था बिलकुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की तरफ आप देखें कि कितने ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं। जब हमारे सूचना मंत्री जी आंकड़े पढ़ रहे थे तो ऊपर से नीचे आते समय जब वह जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस पर पहुंचे तो उनका धाराप्रवाह कम हो गया। अगर आप आंकड़े देखें तो ५, ३, २ और ४ हमारे ट्यूबवेल्स हैं। यही हैं जिनसे प्रत्येक जिला सींचा जा रहा है। मुझे अफसोस है कि वह पूर्वी जिले जहां पर खाद्य समस्या इतनी खराब हो रही है, लोग भूखों मर रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि किसी तरीके पर ट्यूबवेल्स आदि कोआपरेटिव बेसिस पर भी बना सके, वहां पर हमारी सरकार की यह कृपा है कि वह १४ ट्यूबवेल्स मुश्किल से इन जिलों में बनवा रही है। यह नमूना है इस सरकार का। अगर भविष्य की तरफ भी हम देखें तो यह आंकड़े हैं २५, १८, १२, २० और ३०। इससे पता चल सकता है कि हमारा भविष्य कितना उज्वल है अगर सरकार सचमुच ट्रायल करना चाहती है जैसे कि हमारे इंजीनियर साहबान ट्रायल करना चाहते हैं तब तो हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अभी बतलाया गया कि रुड़की में और सब जगह ट्रायल हो रहा है कि नदियों में जो बाढ़ आती है वह किस तरह से रोकी जाय। मैं समझता हूं कि सरकार भी अब सोच रही है कि पूर्वी जिलों में खाद्य परिस्थिति इतनी खराब है उसको किस प्रकार सुधारा जाय और उनको सुधारने का पहले एक्सपेरीमेंट होगा, जब तक कोई दैवी प्रकोप न हो तब तक शायद आंखें न खुलेंगी। मैं समझता हूं कि पिछले साल अगर भुखमरी गाजीपुर, बलिया, देवरिया वगैरह में न होती तो शायद यह चीज भी सुनने में न आती। पिछले १९५२–५३ के बजट में हमने सुना था कि १०० ट्यूबवेल्स पूर्वी जिलों में बनेंगे और ५० हजार रुपया आजमगढ़, बस्ती, बलिया के मुताल्लिक ग्रांट किया गया। लेकिन आज क्या दशा है? आज भी ट्यूबवेल नहीं बनते। कहीं हमने यह भी नहीं देखा कि वाकई बनने जा रहे हैं या नहीं। इन चीजों को कहते हुए मुझे शर्म मालूम होती है और मैं समझता हूं कि सूचना मंत्री जी ने जो बातें कहीं वह सचमुच स्वप्न हैं। मैं समझता हूं कि जो हालत इस खित्ते की है अगर वही हालत रही तो शायद हम लोग बरबाद भी कर दिये जायंगे। मैं तो यह भी बतला देना चाहता हूं कि नहरों की जो हालत है जैसा कि अनुदान संख्या ९ में दिया गया था उसमें दिया गया कि नहरों की लम्बाई चौड़ाई आज सिटुरेटेड प्वाइंट पर पहुंच गई है और ज्यादा से ज्यादा रुपया उनकी मेंटिनेंस पर लगाया जा रहा है और वह वक्त आ गया है कि जब हमारे लिए एक कौड़ी भी नहीं बचेगी कि आगे एक्सटेंशन कर सकें। और अगर यही हालत रही जैसी कि हमने अब तक देखी है तो मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों के लोग जो भूखों मर रहे हैं शायद उन लोगों को खून का शिकार होना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि मैं तो यह भी बतलाना चाहता हूं कि अगर सरकार वाकई पूर्वी जिलों की व्यवस्था को सुधारना चाहती है तो मैं कहता हूं कि जितना जनश्रम का सवाल है हम लोग करने को तैयार हैं। हम लोगों ने सब से ज्यादा जनश्रम का काम किया है। हम लोगों ने यह नहीं देखा कि भूखे हैं कि खाना खाये हैं और सबने मिल कर इतना ज्यादा काम किया, लेकिन फिर भी नतीजा यह हुआ आपने देखा। सन् १९४२ में भी गाजीपुर और बलिया सबसे आगे थे उसका परिणाम भी जो

[श्री कमला सिंह]

कुछ हुआ वह आपने देखा, नमूना आपके सामने है। अगर ट्यूबवेल्स की तरफ देखें तो हमें दो विभागों से ट्यूबवेल्स मिलते हैं। एक तो कृषि इंजीनियरिंग विभाग और दूसरा पी० डब्ल्यू० डी०। जो पिछला बजट था उसमें हमने यह देखा कि करीब ४४० ट्यूबवेल्स थे, उनका दाम ८० लाख रुपया रखा गया था। उसमें था कि ८० लाख रुपये में बन जायगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक ट्यूबवेल्स का दाम १८ हजार रुपया रखा गया था। इस साल वही ट्यूबवेल जो बनाये जा रहे हैं उनकी कीमत ५० लाख एस्टीमेट की गई है? इस तरह से २५ हजार रुपये उसकी कीमत होती है और उधर पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये अगर देखा जाय तो ५० हजार में एक ट्यूबवेल बनता है। मैं नहीं समझता कि यह डिफरेंस क्यों है। इस चीज का हमें ख्याल करना है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सूचना मन्त्री जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं वह उसको क्लीयर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि कहां तक ये एस्टीमेट ठीक हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के गांवों की ज्यादातर अवहेलना की जा रही है। . . . .

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो टाइम मुकर्रर है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—समय तो १० मिनट का है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—सात मिनट का है।

श्री कमला सिंह—गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में एक ताल है बेलहरी, दरवेपुर जो ६० मील लम्बा है। उसके मुताल्लिक कई दफ़ा मैंने प्रश्न दिये और इनफार्मेशन मिनिस्टर साहब को भी मैंने सुझाव देने की कोशिश की प्रश्नों के जरिये लेकिन मुझको उसका जवाब नहीं मिला कि आया उस ताल के जरिये सिंचाई की कोई योजना चालू की जा सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा वह ताल है गाजीपुर जिले में लेकिन उसके लिए कोई भी विवरण सुझाव वगैरह नहीं बतलाया गया। मैं समझता हूं कि अगर उस ताल को भी सिंचाई के लिये. . . . . .

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो उस ताल का नाम लिया वह समझ में नहीं आया। उसको जरा फिर से बतला दें।

श्री कमला सिंह—बेलहरी, दरवेपुर ताल का नाम है। इसी नाम से वह मशहूर है। इस ताल के जरिये और हमारे जिले में बहुत से छोटे छोटे नाले हैं जिनसे भी अगर माननीय मन्त्री जी उसकी तरफ भी ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी सिंचाई की योजना बनाई जा सकती है। इन सब चीजों को कहते हुए मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी यह पूर्वी जिलों की जो समस्या है उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे और ट्यूबवेल की जो तादाद कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के साधनों की दृष्टि से मैं अपने प्रदेश को दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक तो वह जिसमें कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा और बड़ी बड़ी नहरों के द्वारा सिंचाई के साधन मुहैया किये जा सकते हैं। और दूसरे वह भाग हैं जिनमें न ट्यूबवेल बनाये जा सकते हैं, न कुएं खोदे जा सकते हैं और न बड़ी बड़ी नहरें बनाई जा सकती हैं। सरकार ने छोटी छोटी चेनल्स वहां बनाना प्रारम्भ किया और उसका एक प्रयोगात्मक तरह से कार्य आरम्भ किया। इससे वह इस नतीजे पर पहुंची कि पर्वतीय प्रदेशों में छोटे छोटे चैनल्स बनाये जा सकते हैं और छोटी छोटी चैनल्स के द्वारा वहां के किसानों की हालत सुधारी जा सकती है और सिंचाई के साधनों को मुहैया किया जा सकता है। सन् १९५१-५२ ई० में इसके लिये १२ लाख रुपया मंजूर किया गया, मुझे ताज्जुब हुआ कि सन् १९५२-५३ ई० में उस रकम को कम करके आधा कर दिया गया।

दूसरी बात सुनने में यह आयी कि यह कहा जाता है कि जो चैनल्स वहां बने हैं उनको सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभाओं को सुपुर्द कर देना चाहती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अल्मोड़ा की माली हालत बहुत खराब है और गांव सभाओं की यह दशा है कि वे अपने सेक्रेटरियों का वेतन नहीं दे सकीं, जिसे सरकार को अपने बजट से देना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जो चैनल्स बने हैं उनको सरकार अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभाओं को देने का इरादा रखती है, तो उसको छोड़ दे और सरकार उनका प्रबन्ध खुद करे। यदि सरकार उनका खुद प्रबन्ध नहीं करेगी तो चैनल्स के ऊपर जो अब तक खर्चा हुआ है वह बेकार चला जायगा। वहां छोटे छोटे चैनल्स के अलावा पानी की इतनी कमी है कि अगर टिकाओं को बनाया जाय तो उनके द्वारा भी थोड़ी बहुत सहायता किसानों को मिल सकती है। इसलिये चैनल्स के अलावा टिकाओं के बनाने का प्रयास भी किया जाय। इसके अतिरिक्त वहां नदियों के प्रवाह से जो जमीन बह जाती है, उसको भी लैंड मैनेजमेंट डिवीजन में शामिल किया जाय ताकि जो जमीन बह जाती है और उससे किसानों को नुकसान होता है वह नुकसान उनको न हो, और वहां पर किसान जो थोड़ा बहुत सिंचाई का काम करते हैं उसकी भी रक्षा हो। जहांतक पंच वर्षीय योजना का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं पंच वर्षीय योजना की सफलता श्रमदान पर निर्भर करती है। लेकिन मैं अदब के साथ उपाध्यक्ष महोदय आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अल्मोड़ा की करीब आधी लाख की आबादी में कौन सी ऐसी चैनल्स की योजना है जिस में वहां के लोग श्रमदान करें। मैं चाहता हूं कि जिले में कोई भी योजना जब पहले बने तो इस दृष्टि से योजना बनाई जानी चाहिये कि जिले के हर हिस्से के लोग उसमें भाग ले सकें और उसका निर्माण कर सकें। वहां जिले का आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां कोई भी इस प्रकार की योजना नहीं है। अगर हम चाहें कि वहां के लोग श्रमदान दें तो किस चीज में दें, यह सवाल हमारे सामने आता है। मैं पिछले वर्ष वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से नैनीताल में मिला। मैंने उनसे निवेदन किया और यह प्रार्थना की कि जिला के तमाम हिस्सों का वह सर्वे करके एक पूरी योजना बना दें और पूरी योजना को बना करके जिस हिस्से में अगर सरकार आज रुपया नहीं दे सकती है, तो वहां के लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि वे अपने श्रमदान से वहां निर्माण कार्य करें। यह हो सकता है कि ओवरसियर और इंजीनियर्स की कमी हो। अगर उनकी कमी की वजह से सर्वे नहीं हो सकता है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इंजीनियर्स और ओवरसियर्स की तादाद को बढ़ाएं जिससे वहां सर्वे का काम हो सके। इस गणतन्त्र के सप्ताह के मौक़े पर हमने देखा कि सरकार और राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वे पीछे रह गईं और जनता हमसे आगे रही। कई जगह जनता कार्य करना चाहती थी लेकिन कोई योजना न होने की वजह से वह अपने श्रमदान का उपयोग न कर सकी। चाहे सड़कों का निर्माण कार्य हो, चाहे नहरों का निर्माण कार्य हो, चाहे कुवों का निर्माण कार्य हो उसके लिए कोई न कोई योजना बनानी पड़ती है। जब एक योजना होती है तो उस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वहां के लोगों के श्रम को लगाना ही ज्यादा उपयुक्त होता है। अलमोड़ा में इस प्रकार की कोई योजना, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं बनाई गई जिसका निर्माण वहां की जनता अपने श्रमदान से कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की योजना बनाने के लिये अपने विभाग को आदेश देंगे। मैं अपने दौरे में कई जगह गया और बहुत सी पट्टियों में मैंने देखा कि वहां चैनल्स बन सकते हैं। सरकार के पास पट्टी, सकटी, रीठगड़ आदि के बारे में मैंने लिखा और मैंने यह निवेदन किया कि उनकी योजना और उनका सर्वे हो जाना चाहिये। क्योंकि यातायात की असुविधा के कारण वहां बड़े बड़े अफसरों को जाने में दिक्कत होती है इसलिए जहां तक मैं समझता हूं वहां कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर असुविधा के कारण ही वहां नहीं जाया जा सका तो अल्मोड़ा में बहुत सा भाग ऐसा पड़ेगा जहां कि चैनल्स नहीं बन सकेंगे और जहां कि इस कार्य में सरकार को अधिक श्रमदान वहां के लोगों का नहीं मिल सकेगा।

[श्री गोवर्धन तिवारी]

सरकारी अफसरों को इस बात के लिए मजबूर किया जाय कि ऐसे हिस्सों में भी जहां यातायात के साधन नहीं हैं, जहां मोटरें नहीं जा सकती हैं, जहां कारें नहीं जा सकती हैं वहां वे जायं और उन जगहों को देखें और उसको देख करके और वहां सर्वे करके उसकी योजना बनावें। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्य वहां होते हैं सिंचाई साधनों के सिलसिले में, मैंने पिछली बार यह निवेदन किया था कि उसमें रुपया गांव के लोगों को चैनल्स बनाने के लिये दिया जाय। गांव सभाओं द्वारा यह कार्य थोड़े से रुपयों में भी ज्यादा हो सकता है। ठेके दे करके जो हम कार्य करते हैं उसमें खर्चा ज्यादा होता है लेकिन जो कार्य की मिकदार है वह बहुत ही कम होती है। हम उतना ही रुपया वहां की गांव सभाओं को और वहां के स्थानीय लोगों को दें तो उससे हम ज्यादा कार्य कर सकेंगे और उतने ही रुपये में ज्यादा लम्बे चैनल्स बन सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सरकार इस बात की कोशिश करेगी तो उसमें उसको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी और चैनल्स ज्यादा बन सकेंगे। बहुत से गांवों में लोग अपने यहां अब से चैनल्स बनाना चाहते हैं लेकिन उनको दिक्कत यह होती है कि या तो चैनल जंगलात से होता हुआ जाता है या किसी दूसरे की जमीन से हो करके जाता है तो वह उन चैनल्स को तब तक नहीं बना सकते हैं जबतक कि कोर्ट में न जांय और फारेस्ट से इजाजत न मिले। अगर सरकार ऐसी योजना बनाएगी तो किसानों की यह दिक्कत दूर हो जायगी। इसलिये मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो योजनायें बनें, वहां के लोगों को इस तरह से सहूलियत होगी। माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि पहाड़ी जिलों में योंही प्रकृति ने इतनी कठिनाइयां, जिस ढंग के वहां इलाके हैं, भूमि की कमी है, पैदा कर दी हैं और लोगों ने छोटे छोटे खेत बना रखे हैं। यों ही बहुत सी कठिनाइयां लोगों के सामने हैं जिन्हें अपनी जिन्दगी बसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिये विशेष तौर पर निर्माण के कार्यों में और सिंचाई के साधनों को बनाने में सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी ने जो रकम रखी है वह आयन्दा बढ़ा दी जायगी और इस बात का ख्याल रखा जायगा कि वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और उसके लिये जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के निर्माण कार्य में अधिक से अधिक सहायता वहां के लोगों को की जाय।

यह कह कर मैं जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, इस बजट के सेशन में मैं बराबर इस बात की कोशिश करता रहा कि मुझे भी कुछ अवसर मिले तो निवेदन करूं। लेकिन सौभाग्य से, बावजूद इसके कि मेरा कटमोशन नहीं है, आपने कृपापूर्वक मुझे समय दिया है उसके लिये धन्यवाद है। क्या ही अच्छा हुआ होता कि यदि मुझे पहले समय मिलता तो मैं कुछ निवेदन कर सकता था। लेकिन इस अनुदान के सिलसिले में बस्ती जिला, जो इस प्रान्त का सबसे बड़ा जिला है, उसका भी इसमें जिक्र है तो थोड़े समय में मैंने यह चाहा कि आपसे प्रार्थना करके समय निकाल लूं और अपने यहां का प्रतिनिधित्व कर सकूं।

बानगंगा कैनाल के सम्बन्ध में आदरणीय मंत्री जी ने जिक्र किया है और इस बानगंगा नहर के सिलसिले में पिछले साल भी मैंने जिक्र किया था कि सरकार ने जो उस पिछड़े हुए जिले के वास्ते कार्य किया है उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं और उसके आभारी हैं। ३४ लाख रुपया सरकार उस बानगंगा नहर पर खर्च करने के लिये उद्यत है और कुछ लाख रुपया खर्च भी हो चुका। इसी सिलसिले में मैंने एक पत्र भी माननीय मंत्री जी की सेवा में भेजा था कि किस तरह से उसका और भी सुधार हो सकता है। आज साल भर गुजर गया, माननीय मंत्री जी ने हमारे पत्र की पहुंच की इत्तिला भी दी और यह फरमाया था कि उनके दफ्तर में मैं पहुंचूं और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हों और एक दूसरे के परामर्श से अगर कुछ सुधार होना सम्भव हो तो वह कर दिया जाय। सालभर गुजर गया, हमको वह सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ और आज विरोधी दल के नेता ने यह शिकायत की कि वहां पर फसल को काटा जा रहा है जबकि काटने का अवसर नहीं है। किसानों को नुकसान होता है। मैं खुद

वहां गया और वहां की स्थिति को देखा और विस्तारपूर्वक लिपिबद्ध करके मैंने सेवा में समर्पित किया। यदि अवसर दिया गया होता तो बहुत मुमकिन है कि हमारे ऊपर जो भार डाला गया है वह हलका होता। आज जो ३४ लाख रुपया हमारे ऊपर खर्च किया जाने वाला है इस साल भर में नहीं मालूम उसमें कितना बरबाद हुआ। जब हम टैक्सपेयर की एक एक पाई का हिसाब रखना चाहते हैं और उन किसानों से जो आबपाशी के जरिये से सरकार की उत्पादन वृद्धि में सहायता करना चाहते हैं तब अगर ५०० रुपया भी ज्यादा खर्च किया गया है तो उन किसानों की गाढ़ी कमाई पर हम कुठाराघात करते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वह कृपापूर्वक अपने अधिकारियों के ऊपर न रह जावें और मेरे ऐसे जो यहां पर सदस्य हैं उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। यदि वह ध्यान नहीं देते हैं तो नतीजा यह होगा कि जहां तक रास्ता जाना चाहिये वहां तक नहीं जायगा। मैंने अपने पत्र में सुझाव दिया था कि कई हजार एकड़ की सिंचाई करने के लिये जहां उसमें सुविधायें दी गई हैं मैं समझता हूं कि ३४ लाख रूपया आपका खर्च हो जायगा और फिर भी वानगंगा में इतना पानी नहीं होगा जिससे आपका मक़सद पूरा होजाय। मैं खुद उस जगह पर देख कर आया हूं कि वहां पर इतना वाटर नहीं रहता जिससे वहां के लोगों का काम चल जाय। वह क्षेत्र अन्न का भंडार है, वहां धान की खेती होती है तो वहां किन रास्तों से केनाल्स ले जानी चाहिये, इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां गये होते या हम लोगों को सुविधायें दी गई होतीं यानी जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमेटियां कायम होंगी लेकिन इन कमेटियों के मुकर्रर करने से क्या फायदा होगा जब यहां से आर्डर तो जायगा लेकिन जिले में उसके अनुसार काम नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को मिलने की सुविधा दी गई होती तो आज दूसरी ही स्थिति हमारे सबके सलाह से बन जाती। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब गये लेकिन उन्होंने यह भी मेहरबानी नहीं की कि हमसे पूछ भी लिया होता कि तुमको या तुम्हारे किसानों को क्या तकलीफ है, इसका हमें बहुत दुख है। हमें यह खुशी है कि उसका बाजार का जिक्र यहां पर आया। वह अन्न का भंडार है लेकिन यह सही होते हुये भी अगर पानी वहां पहुंचाया नहीं जाता तो फिर वह भी खत्म हो जायगा। सिर्फ कैनाल्स बना देने से कोई फायदा नहीं होता। यह सही है कि जहां पानी पहुंचाया जायगा वहां अन्न उत्पादन में वृद्धि तो होगी ही लेकिन पानी उचित मात्रा में ठीक तरीक से पहुंचाया जाय तभी लाभ ज्यादा हो सकता है। फ्लड ऐफेक्टेड एरियाज की बात हमारे माननीय मंत्री ने कही है तो वहां बहुत से रिजर्वायर्स हैं। अगर वानगंगा का पानी उन रिजर्वायर्स में डाल दिया जाय तो बहुत मुमकिन है कि बरसात का पानी बहुत काम में आ सके। मैंने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव नक्शा बनाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भेज दिया और वह बहुत सम्भव है जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय गये थ उनके सामने आया हो लेकिन उस पर क्या हुआ यह मुझे मालूम नहीं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय और मैं दोनों एक ही जगह के पढ़े हुए हैं और एक ही क्षत्र के निवासी हैं और वह इन क्षेत्रों से पूर्ण रूप से अवगत हैं। अगर उन्होंने स्वयं इस ओर ध्यान न दिया तो बहुत सम्भव है कि ये ३४ लाख रुपये भी निरर्थक स्थान पर खर्च हो जायं और इससे बढ़ कर क्या विडम्बना हो सकती है।

इसके अतिरिक्त जो किसानों के ऊपर यह टैक्स नहरों का लगाया जा रहा है वह मेरे मन में ऐसा लगता है कि अगर उसको, टैक्स को न लगाया गया होता तो अच्छा था। बस्ती जिले का जिक्र किया गया है कि ५२ ट्यूबवेल्स लगे हैं। बस्ती प्रापर में एक ट्यूबवेल है लेकिन सिर्फ ट्यूबवेलों के बन जाने से ही काम नहीं चलता। अगर पानी कच्ची नहरों से उलारा जाय तो बहुत मुमकिन है कि वह किसानों के खेत में न पहुंच कर इधर उधर बह जाय क्योंकि वह नई नालियां बनी हैं और कच्ची हैं तो ढेकुरी से या ढेकुल से या अपने गड्ढे से जब पानी चलाते हैं उसमें और जो मार्डनाइज्ड ढंग ट्यूबवेल्स का है उसमें जमीन आसमान का फर्क है।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

अब वह जो टैक्स लगाया जायगा ट्यूबवेल्स के लिये, वह तो एक यूनीफार्म रेट पर होगा सारे सूबे के लिये, यह तो नहीं होगा कि बस्ती जिले के लिये कुछ फर्क हो और किसी जगह के लिये और हो लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अगर बस्ती जिले के लोगों से लिया जायगा तो यह उनके लिये बोझगरां होगा। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा टैक्स नहीं लगना चाहिये। आप लोन ले सकते हैं, आप लेवी लगा सकते हैं या किसी दूसरी जगह से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सूद पर काफी रुपया आपको मिल सकता है क्योंकि आपके अंग बहुत विस्तृत हैं। और हमारा क्रेडिट इस प्रांत का इतना है कि हम दूसरी जगह से कर्जा लेकर विकास के कार्यों को चला सकते हैं लेकिन इन किसानों को जिनके सम्बन्ध में पहले ही अपनी घोषणा में जिक्र कर दिया गया था कि हम तुमको ट्रांजीशन पीरियड में जहां तक हो सकेगा सुविधा देंगे और यदि अब यह भार उनके ऊपर पड़ गया तो बड़ी दिक्कत होगी। यदि ऐसा न होता तो अच्छा होता।

इन चंद शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आप पूर्वी जिलों से, पश्चिमी जिलों से, मध्यवर्ती जिलों से और दक्षिणी उत्तरी जिलों से अवगत हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आपकी अध्यक्षता में विकास के कार्य और इरीगेशन के काम ऊंचे पैमाने पर जायंगे और आपकी देखभाल में हमारा प्रांत फलता फूलता रहेगा।

श्री भगवान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को भी सुना और आज अपने सिंचाई मंत्री महोदय के भाषण को भी ध्यानपूर्वक सुना। मैं यह समझता हूं कि यह टैक्स जो भराई के रूप में बढ़ाकर ५० प्रतिशत लगा रहे हैं वह ठीक और न्यायोचित है। इसके पक्ष में जितने भी जोरों से भाषण हुआ हो, जितनी भी युक्ति दी गई हो, मैं ज्यादा शब्द तो कहना नहीं चाहता हूं और न मेरी आदत ही है। लेकिन मैं इस प्रांत के कैबिनेट को चेलेंज देना चाहता हूं कि वह जाकर इस सम्बन्ध में जो किसान खेतों में पानी लगाते हैं, उनके वोट्स ले लें कि हम इस समय जो ५० प्रतिशत भराई का लगाना चाहते हैं वह इसके लिये तैयार हैं या नहीं। अगर वह तैयार हों तो ठीक है।

मैं भी अपने मंत्री महोदय की तरह से कह सकता हूं कि इस सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। आज जो किसानों की आर्थिक अवस्था है उसके खिलाफ यह बात है। घर में बैठ कर वह किसी तरह से भी कहें लेकिन यह जो आप ५० प्रतिशत भराई के रूप में लेना चाहते हैं इसको वह सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर आपका क्या कर्त्तव्य हो जाता है? मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ईख की फसल पर २२ रुपये फी एकड़ पहले से ही बढ़ गया है और अब ५० प्रतिशत भराई का और बढ़ा देने से ११ रुपये फी एकड़ की बात हो जायगी। जो आप उन्नति कर लगाने के लिये जा रहे थे उसके बराबर ही नहीं बल्कि उससे भी यह ज्यादा हो जायगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है।

दूसरी बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी खींचूंगा कि सदन में यह बराबर कहा जाता है कि कहीं पर भी कोई आंकड़े से यह साबित कर दे कि हमारे यहां कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है किसी डिपार्टमेंट के अन्दर, तो हम फौरन उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं। मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि कहां पर यह है। उन्होंने कहा कि पावर हाउस जो बना है उसमें भी मेरा हाथ है। मैं जानना चाहूंगा कि कासिमपुर में पावर हाउस बना तो वहां पर पुराने पुराने ब्वायलर्स तो इंगलैंड से आगये लेकिन अभी तक वहां ट्रांसफारमर्स का नाम तक नहीं है। यह सब से पहली चीज थी जो सब से पहले आनी चाहिये थी। लेकिन उस वक्त के इंजीनियर साहब के दिमाग में यह बात नहीं रही और ब्वायलर्स को मंगा लिया गया और उनकी हालत क्या है यह भी आपको मालूम हो जाना चाहिये और आपकी कड़ी दृष्टि इधर जानी चाहिये।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि श्रमधन की बहुत तारीफ की गई है। मैं उन आदमियों में से हूं जिन्होंने २६ तारीख से लगाकर ३० तारीख तक अपनी सिकन्दरा राऊ तहसील में डेढ़ मील लम्बा नाला अपनी शक्ति से, सरकार की शक्ति से नहीं बल्कि अपनी प्रजा पार्टी के १०० आदमियों ने काम करके डेढ़ मील लम्बा नाला इसलिये बनाया कि वहां पर फसल गर्क हो जाती है। उन्होंने भी हमारे कहने से बड़ी लग्न से काम किया और हमने डेढ़ मील लम्बा नाला खुदवाकर तैयार किया। तो मैं उसकी तारीफ नहीं करना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने कासिमपुर पावर हाउस के पास तीस गांवोंके आदमियों को अपनी तरफ मिला कर ६० आदमी प्रति दिन के हिसाब से एक डेढ़ मील लम्बी सड़क बनवाई। आपके राज्यपाल उसका उद्घाटन करने के लिये गये। गांव वालों ने एक पत्थर खोद रक्खा था जिस पर उस मेकेनिकल इंजीनियर का नाम था क्योंकि वह नाली उसी की मेहनत से बना था उसका नाम गांव वाले रखना चाहते थे लेकिन एस० डी० ओ० साहब उसे छिपाना चाहते थे। गांव वाले वह पत्थर ले कर राज्यपाल के सामने पहुंच गये और राज्यपाल महोदय ने खुद उनके हाथ से उस पत्थर को ले लिया और खुद १०, ५ कदम आगे चल कर उसको अपने हाथ से लगा दिया। इस महीने की १९ तारीख की बात बतलाता हूं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी से उसकी शिकायत की थी। १९ तारीख को ही टेलीफोनिक हुक्मों के जरिये से उस आदमी को बरखास्त कर दिया गया यह कह कर कि तुम्हारी पोस्ट एबोलिश कर दी गई। जो आदमी सन् १९४४ ई० से लगातार आज तक काम करता रहा, जिसके काम की आज तक कहीं भी शिकायत नहीं उस आदमी को सिर्फ इसलिये कि उसने श्रमधन के लिये प्रयत्न किया और वहां के किसानों ने जो तीस गांवों के थे उन्होंने चाहा कि उसका नाम वहां रहे उसने वहां पर एक स्कूल भी खोला, हुक्म पहुंच जाता है कि उससे फौरन चार्ज ले लिया जाय कि २८ फरवरी के बाद वह काम नहीं करेगा यह पोस्ट एबोलिश कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बात मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर वाकई इंजीनियर की जरूरत नहीं है तो फिर पांच पांच ट्रांसफार्मर क्यों रक्खे जा रहे हैं? वहां पर उस पावर हाउस में बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। मैं उनके सामने आंकड़े पेश कर सकता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह जल्दी तहकीकात कर ले। अगर एक महीने के बाद तहकीकात की गई तो सब गोलमाल ठीक हो जायगा। ऐसे मामलों में तहकीकात करने के लिये यह होना चाहिये कि फौरन ऊंचे से ऊंचा अधिकारी जाय और उस मामले की जांच करे। मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जसा बिजली के कुओं के बारे में कहा गया। जरा कड़ी निगाह आपकी उस तरफ हो। मैं यह जानना चाहूंगा कि अलीगढ़ के जिले में खैर और इगलास तहसील में किसने कुओं की योजना थी और अब तक कितने बने। ट्यूबवेल के जो इंजीनियर हैं उन्होंने पिछले साल कितने कुएं बनवाये और कितना रुपया लैप्स हो गया। इसके ऊपर जांच होनी चाहिये कि क्यों नहीं बने। मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जनवरी के शुरू में प्लानिंग कमेटी में गये। लोग अब तबाह हो गये हैं। लोग चाहते हैं कि खुद खेती की उपज बढ़ायें। उनको कम से कम कुओं के लिये सीमेंट मिलना चाहिये। हमारे प्लानिंग आफिसर साहब ने कहा कि मेसनरी ट्यूबवेल्स का सीमेंट अलहदा से आता है। हम ने तार पर तार दिये, रिमाइंडर भेजे लेकिन सीमेंट नहीं मिला। यह मैं १३ जनवरी की बात कह रहा हूं। जो लोग अपने कुएं बना कर जमीन को पानी देना चाहते हैं उनको सीमेंट तो कम से कम मिलना चाहिये।

एक हमारे एम०पी० महोदय ने यह सुझाव दिया कि साहब कम से कम आपकी सरकार यह कहती है कि अधिक अन्न उपजाओ तो जो सीमेंट इधर उधर आप सिनेमा वगैरह को

[श्री मलखान सिंह]

देते हैं कम से कम उसी में से निकाल कर किसानों के कुओं के लिये दे दो। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि ऐसा करने का हमको हुक्म नहीं है। अभी अलीगढ़ जिले में जैसा कि हमें बताया गया कि तार पर तार देने के बाद भी वहां सीमेंट नहीं पहुंची और किसानों का रुपया भी सरकारी खजाने में पहुंच गया लेकिन सीमेंट नहीं मिली और फस्ल खत्म हो गयी। तो इसका भी कोई इन्तजाम हमारे माननीय मंत्री जी को करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री राम मूर्ति—उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों ने इस अनुदान के सम्बन्ध में जो सुझाव रखे उनको बड़े गौर से हमने सुना। हम उनको यह आश्वासन देते हैं कि उनकी तमाम बातों पर हम ध्यान देंगे और उनकी उपयोगिता को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करेंगे कि अपनी योजनाओं के प्रोग्राम में उनको सम्मिलित कर सकें। आखिर हमारा और आप सबका कोई अलग अलग इंटरेस्ट नहीं है, हम और आप सब एकही लक्ष्य को सामने रखते हैं कि अपने प्रदेश की उन्नति हो और उस नजरिये से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करें।

तिवारी जी ने जब विवाद शुरू किया तो उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कुछ बातों की शायद उनको जानकारी नहीं थी इसलिये उन्होंने ऐसी बात कही। उन्होंने यह कहा कि हमारी योजनायें समय के अन्दर तैयार नहीं होती हैं और ज्यादा वक्त लग जाता है। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि हमारी योजनायें समय के अन्दर नहीं बल्कि समय से पहिले तैयार हो जाती हैं। हमारे यहां जो डैम बनते हैं तो यह कायदा है कि ज्यों ज्यों पानी स्टोर करने की कैपिसिटी उसकी होती जाती है उसके साथ ही साथ हमारे यहां टनल भी बनने लग जाता है और ज्योंही पानी स्टोर होने लगता है उसके बाद ही देना भी शुरू कर देते हैं। फार्मल तरीके से ओपनिंग सेरेमनी हम तब करते हैं जब काम पूरा कम्पलीट हो जाता है या इतना रह जाता है जिससे कोई अड़चन न हो। समय से पहिले काम खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आपको ख्याल होगा, आप अगर रिपोर्ट पढ़ें, तो हमारा वेलन वीयर जब बना तो उस समय हाफिज साहब जो मिनिस्टर थे उस महकमे के, उनको यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी वह वियर बन कर तैयार हो गया होगा और इस सदन के तमाम सदस्यों को भी इस बात का ताज्जुब हुआ। और जब हाफिज साहब वहां पहुंचे और उन्होंने वियर को तैयार हुआ देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि कितनी जल्दी वहां पर काम हुआ। माता टीला डैम के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र किया और कुछ बात अखबारों में छप गयी। लेकिन वह कोई वैसी चीज थी नहीं। हमारा जो सर्वे हुआ वह पहले से सब काम तय करने के बाद हुआ। मध्य भारत के कुछ लोगों को जानकारी न होने के वजह से उन्होंने हमारे कुछ काम में रुकावट डाली लेकिन जब मामला हमने उनको रिफर किया तो वहां की जो चीज सबसे पहिले तैयार हो चुकी थी उसी के अनुसार काम हुआ। और मध्य भारत या विन्ध्य प्रदेश को एतराज करने का क्या मौका है? उससे तो उनकी ४० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। इससे तो वह खुश होंगे। और आप जानते हैं कि वह बहुत छोटी स्टेट्स हैं हमारे मुकाबिले में।

श्री नारायण दत्त तिवारी—कोई एतराज मध्य भारत गवर्नमेंट ने पेश किया या नहीं?

श्री राम मूर्ति—मैंने आपको बताया कि उनके जो कर्मचारी थे वे बगैर जानकारी की बुनियाद पर एतराज कर गये थे। जब हमारे यहां से रेफरेन्स हुआ तो उन्होंने उस एतराज को वापस ले लिया। यह मैंने बतलाया आपने उस पर ध्यान दिया होगा।

इसके अलावा उन्होंने यह भी जिक्र किया कि इस बजट में से १ करोड़ १० लाख रुपया हमने हाईडेल में डाल दिया। उनको मालूम होना चाहिए कि १ करोड़ १० लाख रुपया हमने हाईडेल में नहीं डाला है बल्कि हमारे ये जो टयूबवेल्स बनते हैं उनके लिये पावर की जरूरत होती है और उस पावर के लिये हम कम्पनीज को रुपया दिया करते हैं ताकि वे अपने पावर हाउसेज बनायें और अपने डिपार्टमेंट के जरिये से पावर हाउसेज बनते हैं जैसे कि हमने

शाहजहांपुर, गोरखपुर और मऊ में बनाये हैं। बनारस की कम्पनी को हम रुपया दे रहे हैं ताकि बनारस और जौनपुर के लिये जो ट्यूब वेल्स बन रहे हैं उनको वह इनरजाईज कर सकें। तो उसके लिये १ करोड़ १० लाख रुपया हमने रखा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पर एतराज किया जा सके। हाईडेल का अलग प्रोग्राम है। उसका जब प्रोग्राम यहां पेश करें उस वक्त आप कहें तो मुनासिब होगा। यह जो रुपया दिया है वह ठीक तरीके से दिया है और जो ट्यूब वेल्स हैं उनको इनर्जाईज करने के लिये दिया है। उन्होंने भावर के बारे में भी जिक्र किया कि भावर में पानी की बहुत कमी है। हम पहले ही बता चुके हैं कि भावर में ट्यूब वेल्स बनाने में बड़ी दिक्कतें हैं, इसलिये वहां पर जो साधन हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने एक बार प्राईवेट तरीके से भी जिक्र किया था कि गोला नदी का सर्वे कराया जाय। अगर वे प्रपोजल देंगे तो उनका भी सर्वे कराया जायगा और अगर उसमें पानी देने की कैपेसिटी पायी जायगी तो जरूर हमें खुशी होगी कि भावर के लोगों को पानी दे सकें। ट्यूबवेल्स के बारे में सुबह माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया कि वहां पर ट्यूबवेल्स में बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन फिर भी एक बन चुका है और भी बनाये जा रहे हैं और आगे भी जितनी जरूरत होगी उनको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

गेंदा सिंह जी ने इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि जिस एरिया में आबपाशी बढ़ रही है उसमें पैदावार में भी तरक्की होगी या नहीं। सन् ५२ से ५६ तक हमारे यहां २१ लाख एकड़ जमीन में अधिक सिंचाई होगी। हम सन् ५२ में ८० लाख ८५ हजार एकड़ जमीन को पानी दे रहे हैं लेकिन सन् ५६ में कम से कम २१ लाख एकड़ जमीन ज्यादा पानी का उपयोग कर पायेगी और ५, साढ़े पांच प्रति एकड़ के हिसाब से ४ लाख ३५ हजार टन गल्ले की वृद्धि होगी। और अगर उसकी कीमत का अन्दाजा लगाया जाय तो १७,१८ करोड़ रुपये का अधिक गल्ला पैदा होगा। इसलिये ये स्कीम्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं।

श्री धनुषधारी जी ने कुछ बातों का जिक्र किया है। उन्होंने अपने ज्यादा समय को शुगर फैक्ट्रियों के बारे में लगा दिया। शुगर फैक्ट्रियों से हमारे विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। सिंचाई के बारे में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जिलों का ही ज्यादा जिक्र किया। मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार के सामने पूर्व और पश्चिम का कोई सवाल नहीं है हमारे यहां प्रेजेन्ट कन्डीशन या वस्तुस्थिति जैसी भी होती है उनके हिसाब से ही योजनाओं को बनाया जाता है। पिछले जमाने में पूर्व के जिलों में बारिस बहुत होती थी और पश्चिम के जिलों में केवल २०–२१ इंच पानी बरसता था इसलिये, पश्चिम के जिलों की तरफ सिंचाई के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया और उधर ही नहरें और ट्यूब वेल्स आदि की स्कीमें चालू की गयीं। लेकिन अब जबकि पूर्वी जिलों में पानी की कमी देखी गयी और इन जिलों में पहले से पानी कम बरसने लगा, लड़ाई के जमाने में जंगलों के कट जाने से यहां बर्षा की अधिक कमी हो गयी तो अब यह सवाल पैदा हुआ कि पूर्व में पानी का इन्तजाम किया जाय, नहरें और ट्यूब वेल्स बनायें जायं। तो अब उसको ध्यान में रखा जा रहा है और वहां के लिये नहरों और ट्यूब वेल्स की योजनायें तैयार की जा रही हैं, लेकिन वहां पानी की लेबिल बहुत कम ऊंची है इसलिये नहरों का वहां अधिक उपयोग नहीं हो सकता। इसलिये ट्यूब वेल्स वहां के लिये अधिक उपयुक्त होंगे। हर जिले के लिये ट्यूब वेल्स अलाट कर दिये गये हैं और आशा की जाती है कि जल्द ही वे तैयार हो जायेंगे। हमारे यहां जो यह गल्ले का अभाव हो रहा है वर्षा कम होने की वजह से वह अभाव दूर होगा। यहां की पैदावार बढ़ेगी और लोगों की जो दिक्कत है, गरीबी है, परेशानी है, वह दूर होगी।

वाशिष्ठ जी ने भी कुछ बातों का जिक्र किया है और धनुषधारी जी ने इस बात की प्रार्थना की कि हमारे यहां पूर्व और पश्चिम का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। यह बात सही है कि ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए और हमारे यहां तो जनता की गवर्नमेंट है जहां जिस चीज की जरूरत हो

[श्री राममूर्ति]

वहां उसको किया जाय और उस चीज को बनाया जाय। इसमें जगह का क्या सवाल हो सकता है वह अपना सजेशन दें जो उनके जिले से सम्बन्ध रखने वाले सजेशन हों और प्रस्ताव हों उन पर गौर करने के लिये हम तैयार हैं और हमारी यह कोशिश होगी कि उनके सुझाव को अपने डिपार्टमेंट के सामने रखें और उनको देखें कि अगर वह फायदेमन्द है तो हम जरूर अपने फाईनेन्स के रिसोर्सेज को देखते हुए, अपनी पूंजी को देखते हुए अपने यहां उनकी बातोंको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे।

गोवर्धन जी ने भी कुछ अल्मोड़ा जिले का जिक्र किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने केवल अल्मोड़ा जिले का ही प्रश्न नहीं है बल्कि जो पहाड़ी जिले हैं उनके बारे में ५३ के लिये जितना प्लान बनाया था वह सब ५३ के अन्त तक पूरा हो जायगा। इसके अलावा और ६ लाख रुपया हमने अल्मोड़ा के काम के लिये दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो काम वहां पर किया जाय उसको पहले वहां की प्लानिंग कमेटी के सामने रखा जाय और महज एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की सलाह से काम न लिया जाय। हमको इसमें कोई एतराज नहीं है। हम वहां पर इसकी खबर कर देंगे और जो काम हो वह बजाय एक्जीकीटिव इन्जीनियर खुद करे वह प्लानिंग कमेटी की सलाह से किया जाय। इसमें हमको कोई एतराज नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह ६ लाख रुपया अल्मोड़ा में सिंचाई के लिये दिया गया है ?

श्री राममूर्ति --जी हां, सिंचाई के लिये दिया गया है।

रामकुमार जी ने अपने बस्ती जिले का जिक्र किया और उसमें बान गंगा के सम्बन्ध में कहा मैं उसकी डिटेल तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहां चीफ इन्जीनियर लोग बहुत काबिल हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई स्कीम ३४ लाख की हो और उसको बिना समझे चालू कर दिया गया हो। फिर भी जो बातें उन्होंने हमारे नोटिस में लाने का कष्ट किया है हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उन बातों की जांच की जाय और दोबारा उनको देखा जाय। यों तो हमारे बजट में १० लाख उसको कम्पलीट करने के लिये रखा गया है और वहां पर १३२ ट्यूबवेल्स बनने वाले हैं। इस हैसियत से तो ऐसा मालूम होता है कि बस्ती जिला कोई ऐसा पिछड़ा हुआ नहीं है। जिस तरह से ट्यूब वेल्स बनने का एलाटमेंट और जिलों में किया गया उसी तरह से बस्ती जिले को भी ध्यान में रखा गया है।

हमारे ठाकुर साहब ने हाईडेल के बारे में जिक्र किया। वह मामला हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। हाईडेल के बारे में जो अनुदान यहां पर आने वाला है वह हाफिज साहब से सम्बन्ध रखता है और जब वह अनुदान यहां पर आयेगा तब उस पर बहस हो सकती है। अलीगढ़ में जो स्कीम्स थीं उन सबको बना दिया गया है और ट्यूब वेल्स हैं उनको भी बना दिया गया है।

श्री मुखत्यार सिंह--यह गलत है कि जितनी स्कीम्स वहां पर थीं वह सब बन गयी हैं।

श्री राममूर्ति --आखिर उसके लिये जांच की जायगी। लेकिन इतना मैं अवश्य बतलाना चाहता हूं कि कुछ दिनों तक वह ट्यूबवेल खाली पड़े रहे और उसका कारण यह था कि कि कोपरवायर मिलने में हमको दिक्कत हुई। यह आप लोग जानते हैं कि कोपर वायर अमेरिका से मिलता है और वह देश आजकल सामान को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और वह दिक्कत से हमको चीज सप्लाई करता है। वह लाइन आ गयी है और जल्द से जल्द कोशिश की जायगी कि वहां के ट्यूब वेल्स को इनरजाईज किया जाय और उनको काम में लाया जाय।

किसानों के कुओं के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे यहां हजारों बैसीनरी वेल बनाये गये हैं और मैं नहीं जानता कि आपके यहां किसी को सीमेंट और लोहे के मिलने में दिक्कत हुई हो, किसी वक्त सामान का इस तरह का बाटलनैकिंग हो सकता है कि हो गया हो लेकिन डिपार्टमेंट की कभी ऐसी मन्शा नहीं है कि जनता के लिये एक चीज रखे और फिर उनको वापिस

ले लें और न गवर्नमेंट ऐसी बात जानबूझकर कभी कर सकती है। यह हो सकता है कि प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ होने से कोई चीज कहीं किसी खास वक्त में रुक जाय, लेकिन आप तो अलीगढ़ के लीडर हैं आप तो स्वयं अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ऐसे मामले तय कर सकते हैं और आपके लिये यह कोई मुश्किल काम नहीं है।

इसके साथ साथ इर्रीगेशन के बारे में भी जिक्र किया गया। मेरे पास इस वक्त ज्यादा समय नहीं है वरना मेरे पास रिकार्ड है और अगर समय होता तो मैं साबित कर देता कि पिछले इर्रीगेशन के रेट किन कीमतों पर किस हालत को मद्देनजर रखकर लगाये गये थे और आज यह क्यों बढ़ाये जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई अन्धाधुन्धी से वैसे ही बढ़ाये जा रहे हैं। न इसमें किसानों को या किसी को परेशान करने की बात है। हमें और नये कामों को पूरा करने के लिए रुपये की बहुत जरूरत है। हमारे यहां अभी बहुत सी जगह पानी वगैरह की कमी है और उसके लिये हमारे पास योजनायें हैं और उसके लिये हम रुपया उनसे ही लेते हैं जिनको पानी मिल चुका है और जिन्होंने उस पानी से फायदा उठा लिया है। पहले भी तो जो नहरें और ट्यूबवेल्स बनाये गये थे वह पब्लिक के और टैक्सपेयर के ही रुपये से बनाये गये थे जिसको पूर्व के जिलों से आदमी भी देते थे। आपको उनसे बड़े भाई की तरह पहले लाभ हो चुका अब आप का कर्त्तव्य है कि अब आप छोटे भाई के लिये भी उस लाभ में से थोड़ा सा देकर उसकी उन्नति और उसके लाभ के कामों में भी हाथ बटावें, उसकी दिक्कत को भी समझें। यह अच्छा नहीं मालूम होता कि थोड़ी सी दिक्कत के लिये चिल्लपुकार मचाई जाय। आपका यह फर्ज होना चाहिए कि जिन दूसरे भाईयों को अभी साधन प्राप्त नहीं है उनको भी अब साधन प्राप्त हो जायं। हर साल जहां अकाल पड़ जाता है और जहां के लोग भूख से परेशान हो जाते हैं और जहां हमारे श्री शिब्बन लाल जी को भूख हड़ताल करनी पड़ती है वहां का भी आपको कुछ ख्याल करना चाहिए ताकि वह लोग भी सुख से रह सकें। मैं बड़ा आभारी हूं जिन्होंने हमारे विभाग के बजट में भाग लिया है और उन लोगों को भी जिन्होंने हमारे विभाग के इन्जीनियरों की प्रशंसा की। यह इन्जीनियर भी प्रजापति के खानदान के लोग हैं, उनको काफी मेहनत से काम करना पड़ता है, अगर हम उनका खाली क्रिटिसिज्म ही करें तो उससे उनका दिल मर जाता है और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आगे इसका ध्यान हमारे तिवारी जी रखें और मैं समझता हूं कि उनका भी थोड़ा सा फर्ज है कि वह उनकी कभी कभी तारीफ कर दिया करें अगर वह कोई अच्छा काम करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने अब लाल लाइट लगा दी है इसलिये मैं आखिर में अपने मित्र तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और यह सदन एक मत होकर हमारे अनुदान ४४ को पास करे।

श्री श्री चन्द (जिला मुजफ्फर नगर)---इस अनुदान की विशेषता देखते हुए समय बहुत कम मिला है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट और बढ़ा दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो मिनिस्टर साहब बोल चुके हैं, मैं समझता हूं कि अब समय बढ़ाना उचित न होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं इतना निवेदन करना चाहता था कि पद्धति प्रायः ऐसी होती है कि जब विभाग की ओर से बहस का उत्तर दे दिया जाय तो फिर उसके बाद जिसने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसी को मौका दिया जाता है।

कुछ सदस्य---वह तो हो ही रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझ रहा था कि १५ मिनट इस लिये मांगे जा रहे हैं कि औरों को भी बोलने का मौका हो।

श्री उपाध्यक्ष---श्री नारायण दत्त जी को मैंने इसीलिये बुलाया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्री मन्, अभी माननीय उपमन्त्री जी ने हमारे वाद-विवाद के उत्तर में कुछ बातें कहीं और उन्होंने हमको यह विश्वास दिलाया कि योजना को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होती है और समय के अन्दर ही योजनायें कार्यान्वित हो जाती हैं। अगर भविष्य में ऐसा हो जाय तो इससे अच्छा क्या हो सकता है और मैं तो यही विश्वास करूंगा कि माननीय उपमन्त्री जी अपने निश्चय में सफल हों और परमेश्वर इतनी शक्ति उनको दे और विभाग को कि वह योजनायों को समय पर पूरा कर सकें। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सुरई रिजरवायर का सवाल है। उसका एस्टीमेट बन चुका है इसके लिये मैं उनकी तारीफें करता हूं। लेकिन इस वर्ष उनका कोई अनुदान नहीं है। इसकी कुछ चर्चा जरूर माननीय मन्त्री जी ने की कि सारे केन्द्रीय जिलों को इस योजना से फायदा मिलेगा लेकिन इस बजट में माला और सुरई रिजरवायर को बनाने के लिये कोई चर्चा नहीं है। रिहन्ड डैम के बारे में जब मैंने कहा था कि हीडेल चार्जेज में १ करोड़ १० लाख रुपया ट्रान्सफर करने के बजाय उसे रिहन्डडैम में लगाया जाय तो अच्छा होता, उसे माननीय मन्त्री जी गलत समझे। मेरा तो सुझाव यह था कि ३,३० लाख रुपया सारे का सारा सिंचाई के कार्य में खर्च किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी अब भी इस पर विचार करेंगे और रिहन्ड डैम के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार और विन्ध्य प्रदेश तीनों सरकारें मिलकर एक बोर्ड कायम करें क्योंकि तीनों को रिहन्डडैम से फायदा पहुंचता है।

जहां तक सिंचाई की नहरों का सवाल है बहुत सी ऐसी मिसालें है जहां बरसाती नहरें कार्य नहीं कर रहीं हैं, या जो पुरानी नहरें हैं वह काम नहीं कर रहीं हैं। हमारे यहां झड़कलिया स्थान है, मछली बान्ध जिसमें ५० पुलियां अन्दर ग्राउन्ड हैं, पहाड़ के अन्दर हैं। इसी प्रकार एक स्थान गोल पाड़ा है, वह सैला भावर की बरसाती नहर है वहां बेकार पड़ी है। तो इस प्रकार बरसाती नहरों से भी काम लिया जा सकता है। जो पुरानी नहरें अंग्रेजी जमाने की सूखी पड़ी हैं, जैसे मछली बान्ध नहर, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वह बन्द पड़ी है। वान गंगा प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो शास्त्री जी ने ध्यान आकर्षित किया वह एक महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बारे में मैंने भी कई बार ध्यान दिलाया है और जो कुछ मैंने शुरू में कहा था उसकी शास्त्री जी द्वारा पुष्टि की गयी। वान गंगा प्रोजेक्ट के लिये पिछले साल कांटीजेन्सी फन्ड से रुपया मांगा गया था। उसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अब समय समाप्त हो चुका है। मैं इतना ही कहकर अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लूंगा कि अब चूंकि सिंचाई को पंचवर्षीय योजना में मिलाना है तो यह कटौती का प्रस्ताव कोई विशेष अर्थ नहीं रखेगा। इसलिये मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौ-चालन, बान्ध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण) के अन्तर्गत ३,४१,३०,००० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर बुधवार, ४ मार्च, १९५३ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२६ फरवरी, १९५३ ई०।

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिए तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

अंग्रेज अफसरों की सूची जो अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं।

विभाग का नाम	अंग्रेज अफसर का नाम तथा पद जिसपर काम कर रहे हैं
वन विभाग	१--श्री जी० एम० हौपकिन्स, आई० एफ० एस०, कन्जर-वेटर आफ फारेस्ट। (यह ५ जुलाई, १९५३ को सेवा से अवकाश ग्रहण करेंगे ।)
न्याय विभाग	२--श्री ओ० एच० मूथम, जज, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
	३--श्री डब्ल्यू० ब्रूम, आई० सी० एस०, डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेशन्स जज, लखनऊ ।
पुलिस विभाग	४--श्री डब्ल्यू० ए०सी०पीयर्स, आई०पी०सी० यह भारत सरकार के अधीन ११-१-१९४९ से डायरेक्टर आफ इन्फोर्समेंट के पद पर काम कर रहे हैं।
	५--श्री जे० डी० ए० पोलक, आई० पी० सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, बहराइच ।
	६--श्री जी० ए० बर्ज, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सी० आई० डी०, स्पेशल ब्रान्च, लखनऊ ।
	७--श्री एस० बी० उपहम, असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, चौथी बटालियन, पी० ए० सी०, इलाहाबाद ।
	८--श्री के० एम० केलेघन, रिजर्व इन्सपेक्टर, नैनीताल।
	९--श्री आर० डब्ल्यू० बी० पार्किन्सन, रिजर्व इन्सपेक्टर, आगरा।
चिकित्सा विभाग।	१०--डा० श्रीमती यू० मार्टिन, आफिसर इन्चार्ज, लेडी, लायल हास्पिटल, आगरा ।
	११--कुमारी ई० सी० वाई० मैकलियड, मैट्रन, उर्सुला, हार्समन मैमोरियल हास्पिटल, कानपुर।

पी० एस० यू० पी०--१०२ एल० ए०--१९५३--८३०